बाल श्रम एवं मानवाधिकारः चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. हेमलता कुम्पावत
सह–आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

MGM Publishing House
JAIPUR • DELHI

© *Author*

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or copied in any material form (including photo copying or storing it in any medium in form of graphics, electronic or mechanical means and whether or not transient or incidental to some other use of this publication) without written permission of the copyright owner.

ISBN: 978-93-49468-81-8

Edition: 2025

Price: Rs. 795/-

Published by:
MGM Publishing House
Head Office
Plot No. 4, Shop No. 315
Airport Plaza, Balaji Tower-6
Durgapura, Jaipur - 302015 India

Branch Office
Flat No. 14, RZF-768/21, Rajnagar-II Dwarka
Sector-8, Delhi NCT, New Delhi-110077

Printed by:
In-house-Digital
Jaipur-302018

Disclaimer

The publisher have taken all care to insure highest standard of quality as regards type setting, proofreading, accuracy of textual material, printing and binding. However, neither they nor the author accept responsibility for any lose occasioned as a result of any misprint or mistake found in this publication.

प्रस्तावना

मैं इस पुस्तक के लेखन में अपनी गहन कृतज्ञता उन सभी विद्वानों, मार्गदर्शकों एवं सहयोगियों के प्रति व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस सम्पूर्ण शैक्षणिक यात्रा में मुझे निरन्तर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान की है। साथ ही मैं अपने परिवार, मित्रों एवं सहकर्मियों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, जिनके प्रोत्साहन एवं सहयोग के बिना इस पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं हो पाता।

मैं अपने सम्मानित प्रकाशक एम.जी.एम. पब्लिशिंग हाउस के प्रति गहन आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक की सम्भावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया और अवधारणा से लेकर अंतिम प्रकाशन तक प्रत्येक चरण में मुझे व्यावसायिक सहयोग प्रदान किया। ज्ञान के प्रसार हेतु उनकी अटूट निष्ठा एवं प्रतिबद्धता इस प्रकाशन की सफलता का आधार स्तम्भ रही है।

मैं अपने समीक्षकों, मार्गदर्शकों तथा परामर्शदात्री सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनकी रचनात्मक प्रतिक्रिया ने विषय सामग्री को परिष्कृत करने तथा इसकी गुणवता को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

इस प्रकार इस पुस्तक के प्रकाशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती हूँ।

डॉ. हेमलता कुम्पावत
सह आचार्य राजनीति विज्ञान
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर

विषय–सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मानव अधिकार एवं बाल अधिकार : एक अवधारणा	*01–31*
2	बाल श्रम : एक अवधारणात्मक विश्लेषण	32–66
3	बालश्रम उन्मूलन के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रावधान	67–98
4	बालिका बालश्रम चुनौतियाँ और समाधान	99–110
5	राजस्थान में बाल श्रमिक एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका	111–133
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	134–142
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	143–148

♦❐♦

1

मानव अधिकार एवं बाल अधिकार : एक अवधारणा

1.0 प्रस्तावना

मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास एवं जीवन के निर्बाध संचालन हेतु अधिकार आवश्यक एवं मूलभूत परिस्थितियाँ हैं। मानव अस्तित्व के संरक्षण के लिए आवश्यक होने के कारण अधिकार मनुष्य के जन्म में ही निहित होते हैं, मानव जीवन की गरिमा एवं स्वतन्त्रता से संबंधित होने के कारण, ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं भौतिक कल्याण में भी सहायक होते हैं। इन अधिकारों के बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। मानव अधिकारों की अपरिहार्यता राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से परे है। यद्यपि इनके स्वरूप की विभिन्नताओं के कारण कभी–कभी इन्हें मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्मसिद्ध अधिकार भी कहा जाता है।

वर्तमान संदर्भ मे मानवाधिकारों का स्वरूप सार्वभौमिक विचारधारा बन चुका है, जिसमें अधिकार राष्ट्रीय बंधनों से परे एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में सभ्य समाज की कसौटी का आधार, व्यवस्था द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं इनकी क्रियान्विती है, क्योंकि अधिकार उन्मुक्तियाँ होने के कारण इस बात को निर्दिष्ट करते हैं कि कतिपय कार्य व्यक्तियों के लिए उनकी इच्छा के विरूद्ध नहीं किए जा सकते हैं। प्राचीन समय से ही राज्य का मुख्य कार्य

कानून व व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही मानव कल्याण को सुनिश्चित करना भी रहा है यद्यपि अधिकारों के प्रति गंभीर नीतिगत एवं व्यावहारिक प्रयास विशेष रूप से 20वीं सदी में ही प्रारंभ हो पाए थे।

मानवाधिकार मनुष्य की प्रकृति में ही अन्तर्निहित है क्योंकि इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति अपनी गरिमा एवं सम्मानजनक स्थिति को बनाए रखने में सफल नहीं हो सकता है हम इन्हें मानवाधिकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ये मानवाधिकार समस्त मानव जाति को किसी धर्म, जाति लिंग नस्ल एवं राष्ट्रीयता के आधार पर बिना भेदभाव के प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार की अवधारणा के अनुसार मानव को उसके साथ होने वाले अन्यायपूर्ण, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से संरक्षित किया जाना चाहिए।[1] मानवाधिकारों की मांग एक सभ्य, व्यवस्थित एवं संगठित समाज अथवा राज्य में ही की जा सकती है। एक असभ्य एवं अराजक समाज या राज्य में अधिकारों की मांग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्रत्येक राज्य चाहे वह प्रजातांत्रिक हो या नहीं मानवाधिकार को लेकर वह हमेशा सचेत रहता है एवं प्रयास करता है कि उसके राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को यथोचित स्वतंत्रता एवं अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राज्य इस बात का भी प्रयत्न करते हैं कि मानवीय गरिमा एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी भी परिस्थिति में आघात नहीं पहुँच पाए। मानवीय गरिमा एवं सम्मान को बनाए रखना तथा मानव के व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना अंतर्राष्ट्रीय विधि की भी महान उपलब्धि है। अतः मानवाधिकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय न होकर एक सर्वदेशीय एवं सार्वभौमिक विषय बन चुका है।[2]

वर्तमान समय में मानवाधिकार प्रत्येक सभ्य समाज की कसौटी का आधार बन गया है समय के साथ ही मानवाधिकार के स्वरूप में भी व्यापक परिवर्तन हुआ है, जैसे प्राचीन समय में जहाँ स्वतंत्रता समानता एवं जीवन रक्षा का अधिकार सम्मिलित था, वहीं वर्तमान समय में यह अपने व्यापक स्वरूप में स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, बुनियादी सुविधाएँ जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण, स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं सामाजिक सुरक्षा आदि को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है।

1.1 मानवाधिकार का अर्थ

मानवाधिकार वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना जाता है, किन्तु राज्यों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विधिक प्रणाली, उनके विचार एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिस्थितियों में भिन्नता के कारण मानवाधिकार का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मानव जीवन के सफल संचालन हेतु सामाजिक, नागरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित रहते हैं। मानवाधिकारों को मूल अधिकारों के रूप में सर्वोच्चता प्राप्त है क्योंकि इन अधिकारों का अतिक्रमण राज्य के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में भी अध्याय तीन के अन्तर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इनके संरक्षण का उत्तरदायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत कर मानवाधिकारों को

सार्वजनिक घोषणा पत्र के रूप में मान्यता प्रदान की है इसे विश्व के सभी देशों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस सार्वभौमिक घोषणा का विश्व के राष्ट्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और यही कारण है कि विश्व के अधिकांश राष्ट्रों द्वारा मानवाधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और यह न केवल राष्ट्रीय वरन अन्तर्राष्ट्रीय विधि का भी महत्वपूर्ण भाग बन गया है।

जैसा कि मानवाधिकार शब्द से ही स्पष्ट होता है कि यह मानव एवं अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, ये वे अधिकार हैं जो मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। मानवाधिकार मानव की निजता, गरिमा एवं सम्मान से संबंधित हैं, मानवाधिकार इस विश्वास पर आधारित होते हैं कि सभी मनुष्य सम्मान, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जन्म लेते हैं, अतः मानवाधिकार जन्मजात होने के कारण जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र विशेष से परे हैं।

प्राचीन काल से वर्तमान समय तक मानव अपने अधिकारों को लेकर अनवरत रूप से संघर्षरत रहा है। मानव जीवन के प्रमुख कारण समाज में व्याप्त भेदभाव रहे हैं जो कि व्यापक रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हैं। यह भेदभाव सभ्यता के विकास से प्रारंभ होकर वर्तमान समय में भी स्वरूप में भिन्नता लेकर बने हुए हैं, इस प्रकार इन भेदभावों को समाप्त करके समस्त मानव जाति द्वारा स्वतंत्रता एवं समानतापूर्वक जीवनयापन करने हेतु मानवाधिकारों की माँग राज्य एवं समाज के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। मानवाधिकारों को अधिक व्यापक रूप से समझने के लिये सर्वप्रथम हमें अधिकार शब्द को समझना होगा। यदि हम अधिकार के अर्थ एवं स्थिति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अधिकार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की वे दशाएँ, अथवा परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के श्रेष्ठ रूप को प्राप्त करने से वंचित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्रता समानता एवं प्रतिष्ठा की चाह रखता है, इसी कारण ये व्यक्ति के जन्मसिद्ध अधिकार हैं, इसकी परिभाषाएँ विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी है।

बोसाके के अनुसार "अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है एवं राज्य इसे लागू करता है।"

वाइल्ड के अनुसार "कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतंत्रता एवं विवेकपूर्ण मांग को अधिकार कहा जाता है। आधुनिक राज्य का भयानक केन्द्रीयकरण अधिकारों की आदर्श कल्पना का शत्रु है।"

हेराल्ड लास्की के अनुसार "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना आम तौर पर कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता।"

टी.एच. ग्रीन के अनुसार "अधिकार वह शक्ति है जिनकी मांग केवल लोक कल्याण के लिए ही की जाती है, और जिन्हें इसी उद्देश्य से मान्यता भी दी जाती है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम अधिकार राज्य में ही संभव है और इनका स्वरूप सामाजिक एवं कल्याणकारी होता है। अधिकारों के द्वारा ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में सफल हो सकता है, ये अधिकार व्यक्ति को उसके

व्यक्तित्व के विकास एवं संपूर्ण समाज के सामूहिक हित हेतु प्रदान किए जाते हैं। अधिकारों को राज्य का समुचित संरक्षण प्राप्त होता है। अधिकारों की प्रकृति जाति, लिंग, धर्म एवं भाषा से परे सार्वभौमिकता एवं सर्वव्यापकता लिए हुए होती है। अधिकारों के कारण ही मानव जीवन पुष्पित एवं पल्लवित होता है।

अधिकार शब्द की परिभाषा के पश्चात अब हम मानवाधिकारों की परिभाषा को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।

1.2 मानवाधिकार की परिभाषा

वियना सम्मेलन 1993 में आयोजित विश्व मानव अधिकार सम्मेलन की घोषणा के अनुसार सभी मानव अधिकार व्यक्ति की गरिमा और अंतर्निहित योग्यता से उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति मानवाधिकार तथा मूल स्वतंत्रता का केन्द्रीय विषय है।[3]

डीडी बसु के अनुसार "मानव अधिकारों को उन न्यूनतम अधिकारों के रूप में जाना जाता है, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी अन्य विचार के मानव परिवार का सदस्य होने के फलस्वरूप राज्य या अन्य लोक प्राधिकारी के विरूद्ध प्राप्त होने चाहिए।"[4]

राफेल के अनुसार "मानवाधिकार को परम्परागत रूप से प्राकृतिक अधिकार, अनन्य अधिकार, असंक्राम्य अधिकार, अहस्तान्तरणीय अधिकार या मानव अधिकार शब्द जो फ्रांसिसी क्रान्ति से लिया गया है कहा जाता है।"[5]

हेराल्ड लॉस्की के अनुसार "मानवाधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता।"[6]

एलेन पेजल्स के अनुसार "मानवाधिकार वह विचारधारा है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति के द्वारा समाज अथवा राज्य के विरूद्ध इस प्रकार के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे इन अधिकारों को राज्य आवश्यक रूप से मान्यता प्रदान करे।"[7]

डेविड बैंथम एवं **केबिन बॉयल** के अनुसार "मानवाधिकार एवं मूल स्वतंत्रता वे व्यक्तिगत अधिकार हैं जो मानवीय समताओं एवं आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।"[8]

डेविड सेल्वई के अनुसार "मानवाधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त हैं क्योंकि यह स्वयं में मानवीय हैं, ये पैदा नहीं किए जा सकते हैं एवं खरीद या संविदावादी प्रक्रियाओं से मुक्त होते हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं में मानवाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि मानवाधिकार मानव को प्राकृतिक अथवा जन्मजात रूप से प्राप्त होते हैं ये मानवाधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं इनके बिना कोई भी मनुष्य अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने में असफल रहता है। मानवाधिकार एक सभ्य समाज द्वारा ही प्रदान किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वानों ने विधिक संकल्पना को आधार मानते हुए भी मानवाधिकार को परिभाषित किया है जिसमें से कुछ निम्न प्रकार हैं–

डब्ल्यू मिलर के अनुसार "मानव अधिकार समय के अनुक्रम में राजनीतिक एवं विधिक संकल्पना भी है।"[9]

ए ई सईद के अनुसार "मानवाधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा से है, एवं यह आत्मसम्मान का वह भाव है जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है एवं मानव समाज को आगे बढ़ाता है।"

न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर के अनुसार "मानव अधिकार वे अधिकार हैं, जिनके बिना व्यक्तित्व का हनन और प्रतिष्ठा का विनाश हो जाता है। इन मौलिक स्वतंत्रताओं के छिन जाने पर अथवा विकृति आ जाने से मानव के दैवीय गुणों का ह्रास हो जाता है।"[10]

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार "मानवाधिकार व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित हैं। ये मानवाधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं, एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियों में उल्लिखित हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।"[11]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मानवाधिकार में मानव की गरिमा एवं प्रतिष्ठा के मध्य, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। मानवाधिकारों का वास्तविक अर्थ मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमायुक्त जीवन की संकल्पनात्मक अवधारणा से है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में तीन बातों को मुख्यतः सम्मिलित किया गया है। पहला 'मनुष्य स्वभाव', दूसरा मानव की 'गरिमा' एवं तीसरा 'सभ्य समाज का अस्तित्व' जो मानव हेतु अति आवश्यक हैं।

उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मानवाधिकार प्राप्त होने पर ही व्यक्ति की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अभाव में मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा इसलिए सम्मानजनक एवं गरिमामय जीवन हेतु मानवाधिकार अति आवश्यक है।

- मानवाधिकार हमें एक सभ्य समाज या राज्य में ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
- मानवाधिकार मुख्य रूप से मौलिक स्वतंत्रता एवं समानता पर आधारित होते हैं।
- यदि मानव को मानवाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं अथवा मानवाधिकारों का हनन होता है या उसकी मौलिक स्वतंत्रता को आघात पहुंचाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में मानव के दैवीय गुणों का ह्रास हो जाता है।
- भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान कर उनके मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया है मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं। मौलिक अधिकारों का हनन राज्य एवं केन्द्र के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है।
- मानवाधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं।

इस प्रकार मानव अधिकार मानव के व्यक्तित्व के विकास एवं गरिमामय एवं सम्मानपूर्ण जीवन हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इन मानवाधिकारों के अन्तर्गत जीवन स्वतंत्रता, समानता एवं सम्मान का अधिकार आते हैं।

1.3 मानव अधिकार की उत्पत्ति

मानव अधिकारों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। प्राचीन काल से ही शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों पर आधिपत्य स्थापित करना, विजित राष्ट्र द्वारा हारे हुए देश के नागरिकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, उन्हें प्रताड़ित करना और अपना दास बना लेना, उन्हें प्रताड़ना शिविर में रखना, युद्धबंदियों पर निर्मम अत्याचार करना, बालकों से अनवरत कार्य करवाना, समुचित वेतन नहीं देना आदि रहा है।

सामान्यतः हिंसक घटनाएँ सदियों से ही होती रही हैं, किन्तु इसके साथ ही मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रमाण भी प्राचीन काल से ही प्राप्त होते रहे हैं। बेबीलोनिया विधि, असीरिया विधि तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में मानवाधिकारों की जड़ें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। मानवाधिकार प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणाओं में भी देखे जा सकते हैं।

427–348 ईसा पूर्व में प्लेटो द्वारा जिन सार्वभौमिक मूल्यों एवं सत्य के विचारों की वकालात की गई थी वह मानवाधिकारों के संरक्षण का ही प्रतीक है। प्लेटो ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि हमें विदेशियों से भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने देश के नागरिकों के साथ करते हैं।

इसी प्रकार अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में लिखा है कि न्याय, सद्‌गुण और अधिकार जो विभिन्न प्रकार के संविधानों में समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। यद्यपि अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन किया है किन्तु उसने यह भी कहा है कि उन्हें ज्ञान प्राप्त कर स्वयं को दासता से मुक्त करवाने का भी प्रयास करना चाहिए। यह कार्य वह अपने मालिक की सहायता से ही कर सकता है। इसी प्रकार चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस (550 से 478 ईसा पूर्व) ने भी विधिशास्त्र में मानव अधिकारों के बारे में लिखा है और मनुष्य के मानवाधिकारों की वकालात की है।

यदि हम यूनानी सभ्यता के अन्तर्गत नगर राज्यों के बारे में बात करें तो वहाँ हम पाएंगे कि वहाँ के नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, मताधिकार एवं व्यापार करने और न्याय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था।[12]

उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि हम रोमन मध्यकाल एवं उदारवादी राजनीतिक चिंतन का अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि वहाँ पर भी मानवाधिकारों के संरक्षण और उसके संवर्धन हेतु प्रयास किये गये थे जैसा कि सिसरो ने अपनी पुस्तक दी लॉस (52 ईसा पूर्व) में लिखा है कि ऐसी सार्वभौमिक मानवाधिकार विधि होनी चाहिए जो कि परंपरागत एवं नागरिक विधियों से श्रेष्ठ हो।

'सोफेक्लेज' ने राज्य के विरूद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार को प्राथमिकता दी। इसी प्रकार स्ट्रोइक ने भी मानवाधिकार विधि का विश्लेषण करते हुए यह कहा कि विधि की उच्चतर व्यवस्था हेतु प्राकृतिक विधि की ऐसी नैतिक अवधारणा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो प्रकृति के समरूप हो एवं जिसे सभ्य समाज और सरकार की विधियों के रूप में प्रयोग किया जा सके।[13]

इसी प्रकार मध्यकाल में सेंट थॉमस एक्विनास द्वारा उस प्राकृतिक विधि का समर्थन किया गया जिसका स्वरूप दैवीय था। इसी प्रकार ग्रीक रोमन प्राकृतिक विधि के सिद्धांतों में माना गया है कि मानवीय आचरण प्राकृतिक विधि के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार मध्यकाल में प्राकृतिक विधि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया जो कि, मानवाधिकार का ही एक रूप है। पुर्नजागरण आंदोलन ने चर्च एवं राज्य की संप्रभुता को चुनौती देते हुए इस बात पर बल दिया था कि लोगों को प्राकृतिक अधिकार एवं धर्म के प्रति आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।

उपर्युक्त विश्लेषण के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि मानवाधिकारों को आघात पहुंचाने वाली या क्षति पहुंचाने वाली हिंसक घटनाएं सदियों से निरंतर चली आ रही हैं तथापि कुछ घटनाएं इतिहास में ऐसी घटित हुई हैं जिन्होंने मानव इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। उदाहरण के लिए जब कालिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक को बोध भिक्षु उपगुप्त द्वारा युद्धस्थल की विभिषिका दिखाई गई तो इस घटना से ना केवल सम्राट अशोक महान का ह्रदय परिवर्तित हुआ वरन् उनके द्वारा फिर कभी युद्ध न करने एवं जीवन भर अहिंसा का पालन करने की प्रतिज्ञा ने एक महान परिवर्तन को जन्म दिया। इसी प्रकार जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी एवं हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो इस घटना ने मानवाधिकारों को रौंदकर रख दिया। इसी प्रकार युद्धबंदियों के साथ यातना शिविरों में की जाने वाली अमानवीय बर्बरता युक्त घटनाओं ने विश्व समुदाय को सोचने पर विवश कर दिया कि यदि भविष्य में भी ऐसी ही घटनाएँ होती रहीं तो मानव का भविष्य क्या होगा और मानव सभ्यता कब तक चल पाएगी। इसी परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकार की अवधारणा का विकास प्रारम्भ हुआ जिसने मानव के अधिकारों के लिए अथक प्रयास करने पर बल दिया।

1.4 मानवाधिकार का विकास

जब हम वर्तमान संदर्भ में मानवाधिकारों के अस्तित्व एवं विकास के बारे में अवलोकन करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि इसकी जड़ें 1215 के मेग्नार्काटा अधिनियम में पाई जाती हैं। इस अधिनियम को मानव अधिकारों का प्रथम मूल दस्तावेज भी माना जा सकता है। इसमें मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं जीने के अधिकार की मांग की आवश्यकता को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया।[14]

इसी क्रम में यदि हम देखें तो 1628 में पिटिशन ऑफ राइट्स एवं 1679 में हेबियस कार्पस एवं 1689 में बिल ऑफ राइट्स आदि ने मानवाधिकारों के विकास एवं संरक्षण में विशेष

योगदान प्रदान किया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने भी मानवाधिकारों के विकास में अहम भूमिका का निर्वाह किया।

इसी क्रम में मूल अधिकारों को कई राज्यों ने अपने संविधान में न केवल स्थान प्रदान किया वरन उनकी वकालत भी की। जैसे 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा, 1809 में स्वीडन, 1812 में स्पेन, 1814 में नार्वे, 1813 में बेल्जियम, 1850 में डेनमार्क, 1850 में पूसा और 1874 में स्विट्जरलैंड में मूल अधिकारों हेतु प्रावधान किए गए।[15]

यदि हम 20वीं शताब्दी की बात करें तो मानवाधिकारों की विधिवत शरूआत एवं मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिए 'शांति स्थापना लीग' के गठन की स्थापना की गई। इसके पश्चात 1920 में राष्ट्र संघ का गठन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विवादों को निपटाने हेतु किया गया किन्तु इसके पश्चात द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ जिसमें मानवाधिकारों का जमकर हनन हुआ।

इसी प्रकार पुर्नजागरण आंदोलन ने तत्कालीन स्थापित मूल्यों की समीक्षा की और नए मूल्यों को स्थापित भी किया। जान लॉक एवं जीन जैक्स रूसो ने राज्य को कृत्रिम संस्था बताया एवं मनुष्य की समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जान लॉक एवं रूसो ने स्पष्ट किया कि मनुष्य राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ही प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग कर रहा था किंतु सामाजिक समझौते के सिद्धांत के उपरान्त, उसे कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समानता का अधिकार राज्य द्वारा संरक्षित किया गया।

इसी प्रकार जॉन लॉक एवं जीन जैक्स रूसो ने समकालीन चिंतन पर प्रभाव डालते हुए अमेरिकी एवं फ्रांसीसी राजनीतिक क्रांतियों को प्रेरित किया और मानवाधिकारों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

26 अगस्त 1789 का घोषणा पत्र विश्व में सबसे अधिक उद्धृत किया जाने वाला दस्तावेज था। इसका सर्वाधिक महत्व अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को सूचीबद्ध करने की अपेक्षा उनके सार्वभौमिक सिद्धान्तों को स्थायित्व प्रदान करना था। 1789 की फ्रेंच क्रांति के घोषणा पत्र के अनुसार मानव के अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्राकृतिक एवं अदेय है।

1789 का घोषणा पत्र विश्व के राष्ट्रों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गया एवं इसमें निहित अधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं को सार्वजनिक स्वीकार्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार फ्रेंच एवं अमेरिकन क्रान्ति के पश्चात् नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, विश्वास की स्वतन्त्रता एवं संपत्ति की स्वतन्त्रता आदि अधिकार प्राप्त हुए, जो मानवाधिकारों के विकास में मील का पत्थर साबित हुई।

प्रसिद्ध फ्रांसिसी लेखक जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि "मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है किन्तु वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।" इसलिए शोषण एवं असमानता के बन्धनों में बंधे मानव को अधिकारों के द्वारा ही बंधन मुक्त किया जा सकता है।

अमेरिकन क्रांति ने भी मानवाधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1721 में बने अमेरिकन संविधान में प्रथम 10 संविधान संशोधनों के माध्यम से जिन्हें हम 'बिल ऑफ राइट्स' के नाम से जानते हैं, में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के अधिकार एवं स्वतंत्रताएँ प्रदान की गयी। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिवृति की स्वतंत्रता का अधिकार, शस्त्र रखने का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने एवं याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार आदि प्रदान किये गये। इसी प्रकार संविधान संशोधन 13 के अन्तर्गत दासता एवं बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया एवं 15वें संविधान संशोधन द्वारा व्यक्ति को बिना किसी नस्ल, रंग एवं जाति के आधार पर मतदान से वंचित करने के अधिकार को प्रतिबंधित किया गया।

फ्रांस की क्रांति ने भी मानवाधिकारों को प्रभावित किया है। 1789 की घोषणा के अन्तर्गत व्यक्ति के अधिकार एवं स्वतंत्रता को प्राकृतिक एवं अदेय माना गया। इस घोषणा का सर्वाधिक महत्व अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को सूचीबद्ध करने की अपेक्षा इसे स्थायी एवं सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित किया गया। यह घोषणापत्र विश्व के देशों के लिये स्वतंत्रता एवं अधिकारों के द्वारा मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु प्रेरणास्त्रोत बन गया।

इस प्रकार यदि हम फ्रेंच क्रांति के परिणामस्वरूप प्राप्त अधिकारों को प्रथम चरण के अधिकार मानें तो द्वितीय चरण के मानवाधिकारों का प्रारंभ श्रमिक वर्ग के राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों की मांगों हेतु किए गए आंदोलनों पर आधारित हैं। द्वितीय चरण के अधिकारों में विशेष रूप से राजनीतिक सहभागिता, मतदान का समान अधिकार, कार्य के निश्चित घंटे एवं न्यूनतम वेतन एवं भत्तों का अधिकार तथा संघ एवं संगठन बनाने जैसी राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों की मांगें द्वितीय चरण के अधिकारों में महत्वपूर्ण थी।

मानवाधिकारों के तृतीय एवं अंतिम चरण के अन्तर्गत विश्व की समकालीन परिस्थितियाँ आती हैं क्योंकि हम इस चरण में दो विश्वयुद्धों का सामना कर चुके थे। इन युद्धों में मानवाधिकारों की जमकर अवहेलना हुई थी। इन युद्धों ने विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि यदि अभी भी हम मानवाधिकारों को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।

1.5 वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार

वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार शब्द का पहली बार प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने 6 जनवरी 1941 में किया था जिसमें उन्होंने चार मूलभूत मानव स्वतन्त्रताओं की घोषणा की थी, जो इस प्रकार है– वाक स्वतन्त्रता, धर्म स्वतन्त्रता, गरीबी से मुक्ति एवं भय से स्वतन्त्रता। राष्ट्रपति के अनुसार "स्वातन्त्रय से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है। हमारा समर्थन उन्हीं को है जो इन अधिकारों को पाने के लिए अथवा बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं।"[16]

1.5.1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948

प्रोफेसर सोन लुई बी के अनुसार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रताओं को व्यापक रूप से परिभाषित करती है।[17]

स्पष्ट है कि मानवाधिकारों के विकास की दिशा में प्रथम कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत करके किया जिसमें कहा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट्स जो प्रसंविदा करने वाले पक्षकारों पर वैध रूप से आबद्धकर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सार्वभौमिक घोषणा रखी गई, जिसमें मानव को परिवार की स्वभाविक प्रतिष्ठा व सम्पन्न विश्व में शक्ति, स्वाधीनता तथा न्याय की नींव बताया गया। चार्टर में यह कहा गया कि "संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों को यह विश्वास है कि कुछ मानवाधिकार जो स्त्री एवं पुरूषों को समान रूप से गरिमामय जीवन हेतु आवश्यक हैं। इन्हें छीनना अथवा इनसे किसी को भी वंचित करना मानवाधिकारों के विरूद्ध हैं।[18] चार्टर में सभी सदस्य राष्ट्रों से निवेदन किया गया कि वे इस घोषणा का प्रसार करें। यह घोषणा पांच भाषाओं में अनुवादित है। अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसिसी, रूसी एवं स्पेनी भाषा। यह एक व्यापक सहमति है जो स्वयं गैर बाध्यकारी है एवं प्रथागत अन्तर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा नहीं है। इस बात पर भी सहमति है कि इसके कई प्रावधान बाध्यकारी हैं जो प्रथागत कानून में पारित हो गए हैं।[19]

सार्वभौमिक अधिकारों की प्रस्तावना में कहा गया है कि मानव परिवारों के समस्त सदस्यों को जन्मजात गौरव, सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति देना आवश्यक है। मानवाधिकार विश्व शान्ति, न्याय एवं स्वतंत्रता की बुनियाद है। जब भी मानव अधिकारों के प्रति उपेक्षा एवं घृणा का भाव प्रदर्शित किया जाता है, तब तब मानव जाति को अत्याचार एवं बर्बरतापूर्वक किये गये अमानवीय पूर्ण अत्याचार को सहन करना पड़ता है।

उपरोक्त कारण से ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना को बल मिला जिसमें सर्वसाधारण को भय से मुक्ति प्राप्त हो सके। सार्वभौमिक घोषणा पत्र के चार्टर के माध्यम से राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बढ़ाना एवं स्त्री व पुरूष दोनों का समान रूप से उनके व्यक्तित्व के विकास एवं गरिमामय जीवन हेतु बुनियादी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिससे मानव जीवन को सर्वोत्तम बनाया जा सके। इसलिए सामान्य सभा घोषित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज और उसका हर एक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टिगत रखते हुए अध्यापन एवं शिक्षा के माध्यम से प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान जाग्रत हो एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपायों द्वारा समस्त देशों की जनता इन अधिकारों को सार्वभौम एवं प्रभावी स्वीकृति प्रदान कर इनका पालन करवाएगी। "समस्त विश्व जानता है कि 30 धाराओं वाली यह घोषणा लोकतांत्रिक एवं समाजवादी शक्तियों के बढ़े हुए प्रभाव के अन्तर्गत और मानवाधिकारों एवं लोकतन्त्र की रक्षा के लिए व्यापक जनसाधारण की सशक्त कार्यवाहियों के फलस्वरूप की गई थी।[20]

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं, इसमें 30 अनुच्छेदों के माध्यम से विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।[21]

इसमें कहा गया है कि सभी मनुष्यों को अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त होनी चाहिए। किसी के भी साथ जन्म, जाति, संपत्ति एवं अन्य किसी कारण से किसी भी देश या समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। किसी को भी गुलामी की हालत में नहीं रखा जाएगा और दासता का व्यापार सभी रूपों में निषिद्ध होगा। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी और न ही उसके साथ अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा। कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है एवं भेदभाव रहित सुरक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। सभी को संविधान द्वारा प्रदत्त बुनियादी अधिकारों का अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध न्यायालयों में प्रभावी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या निष्कासित नहीं किया जा सकेगा ओर सभी न्यायालय की दृष्टि में समान होंगे।

प्रत्येक व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक उसे खुली अदालत में, जहाँ उसे अपने बचाव की समस्त कानूनी सुविधाएँ प्राप्त हो, कानून के अनुसार उसे अपराधी घोषित नहीं कर दिया गया हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कृत्य, अकृत्य अपराध हेतु दंडनीय अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा जिसे तत्कालीन राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दंडनीय अपराध नहीं माना गया हो। किसी भी व्यक्ति की निजता के प्रति मनमाने रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं के भीतर आने जाने एवं निवास करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को परेशान किए जाने पर अन्य देश में शरण लेने का अधिकार है, किन्तु उपर्युक्त अधिकारों का लाभ गैर राजनीतिक अपराध एवं संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांत के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्येक नागरिक को किसी भी राष्ट्र विशेष की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है और उसे स्वयं के राष्ट्र की नागरिकता से मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जाएगा। समस्त स्त्री एवं पुरूष को समान रूप से बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता व धर्म के आपस में साथ रहने, विवाह करने का दोनों को समान रूप से अधिकार है। सभी को संपत्ति रखने का अधिकार है एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एवं सभी को उपासना, शिक्षा की भी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, साथ ही उसे शांतिपूर्ण सभा, समिति बनाने की भी स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के देश में शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का समान अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार व योग्यता के आधार पर रोजगार का चुनाव करने, कार्योंचित दशाएँ, बेरोजगारी से संरक्षण एवं समान कार्य करने के लिए समान मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार है। साथ ही उसे श्रमजीवी संघ बनाने का भी अधिकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश के कार्य के उचित घंटो की सीमा तय करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को उचित जीवन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है। इसके साथ ही चिकित्सकीय सहायता एवं सुविधा प्राप्त करने का भी अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्राप्त करने का अधिकार रखता है, जिसमें उक्त घोषणा में उल्लिखित अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को पूर्णतः प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए केवल कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं से ही बाध्य होगा। ये अधिकार व स्वतंत्रता संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों व प्रावधानों के विरूद्ध नहीं होनी चाहिए और अंत में कहा गया है कि कोई भी देश राष्ट्रीय सिद्धांतों की विवेचना अपने दृष्टिकोण से नहीं करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 से राष्ट्रों को प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। भारत सरकार ने भी इस घोषणा को मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हुए लागू किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह मानव का एक मूलभूत अधिकार है और इस नाते इन अधिकारों का संरक्षण न्यायालय के द्वारा किया जाना आवश्यक है। व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अमानवीय, अपमानजनक और यातनापूर्ण व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, साथ ही महिलाओं एवं बालकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार आदि मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होने ही चाहिए, ताकि वह एक सम्मानपूर्ण एवं गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा इन्हीं अधिकारों के द्वारा, नागरिकों का जीवन सम्मानजनक बनाती है। भारतीय संविधान के द्वारा भी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को ध्यान में रखकर सभी व्यक्तियों को मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए हैं। बशर्ते कि वे निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रतिबंधित न हो।

1.5.2 संयुक्त राष्ट्र एवं बाल अधिकार

बालक किसी भी देश का भविष्य होने के साथ उस देश के कर्णधार भी होते हैं। किन्तु जब व्यक्ति को परिभाषित किया जाता है तो हम बालकों को नजरअंदाज कर देते हैं। यद्यपि बालक अपने अधिकारों के लिए अपने माता–पिता या संरक्षक पर निर्भर रहते हैं, किन्तु जब उनके माता–पिता अथवा संरक्षक उनकी परेशानियों एवं कठिनाईयों को या तो सुनते ही नहीं हैं, या सुनकर समझ पाने में असक्षम होते हैं। ऐसे समय बालकों को ना केवल बाहरी व्यक्ति के शोषण का शिकार होना पड़ता है वरन कई बार बालक का शोषण उसके स्वयं के परिवार के द्वारा भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी समस्या उन बाल श्रमिकों की है, जिन्हें वयस्क बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक संरचना के कारण बाल श्रम के दलदल में धकेल दिया जाता है ओर बाल श्रमिक अशिक्षा, कुपोषण, शारीरिक और मानसिक विकास की कमी, और कई

अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। बाल श्रमिकों के साथ न केवल दुर्व्यवहार किया जाता है अपितु कई बालकों को अल्पावस्था में ही अपराधी बना दिया जाता है। यद्यपि इस हेतु बालकों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

1948 में जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया तो इस धारणा को स्वीकार किया गया कि "मानव जाति द्वारा बालकों को उनका सर्वोत्तम देना होगा।" यद्यपि इससे पूर्व 1924 में 'लीग ऑफ नेशन' ने जिनेवा घोषणा को अपनाया। जिसमें बालकों को विशिष्ट अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने और बालकों के प्रति वयस्कों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया गया था।

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 नवम्बर 1959 को महासभा के सभी 78 सदस्य राष्ट्रों द्वारा संकल्प 1386 (ग्प्ट) में बाल अधिकारों की घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस घोषणा में कहा गया कि "बालक को सार्वभौमिक रूप में एक मानव के रूप में पहचाना जाना चाहिए, जिसे स्वतन्त्रता एवं सम्मान के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद मिल सके।[22]

बाल अधिकारों की घोषणा में दस मानव अधिकार प्रदान किये गए हैं–

(1) बालक को जाति, धर्म या राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के बिना समानता का अधिकार।

(2) बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास हेतु विशेष सुरक्षा का अधिकार।

(3) बालक को नाम, राष्ट्रीयता एवं स्वयं की पहचान का अधिकार

(4) पर्याप्त पोषण, आवास एवं चिकित्सकीय सेवाओं का अधिकार

(5) जब बालक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग हो तो उसे विशेष सुरक्षा एवं उपचार का अधिकार

(6) माता–पिता द्वारा समझने और प्यार करने का अधिकार

(7) मनोरंजक गतिविधि और मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

(8) सभी परिस्थितियों में सबसे पहले राहत पाने वालों में से एक होने का अधिकार।

(9) सभी प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से सुरक्षा का अधिकार।

(10) समझ, सहिष्णुता, लोगों के बीच मित्रता और भाईचारे की भावना में लाए जाने का अधिकार।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त अधिकार बालक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व हेतु अति आवश्यक हैं। इनके अभाव में बालक अपने सर्वांगीण विकास से वंचित हो जाएगा। इस घोषणा द्वारा सर्वप्रथम बालकों को मानव मानते हुए उन्हें मानवाधिकार प्रदान किये गए।

1.5.3 मानव अधिकारों पर यूरोपीय अभिसमय 1950

मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु 1950 में यूरोपीय राज्यों की परिषद के सदस्यों द्वारा "यूरोपीय अभिसमय 1950" को अंगीकार किया गया। यह सम्मेलन मौलिक स्वतन्त्रता एवं समानता का पक्षधर था। यह अभिसमय मानव अधिकार एवं उसकी स्वतन्त्रता तथा समानता को सुनिश्चित करता है। साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष एवं सार्वजनिक सुनवाई का भी हकदार है।

1.5.3 (1) बालकों के अधिकार के प्रयोग पर यूरोपीय सम्मेलन 1996

बालकों के अधिकारों के प्रयोग पर यूरोपीय सम्मेलन 1996 की प्रस्तावना में बालकों के अधिकारों एवं उनके सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया और कहा गया कि "बालकों को न केवल अपने अधिकारों के प्रयोग का अवसर प्राप्त होना चाहिए वरन उन्हें प्रभावित करने वाली कार्यवाहियों की पर्याप्त जानकारी भी होनी चाहिए।" बालकों के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण में माता–पिता को भी राज्य के साथ संलग्न होना चाहिए।

1.5.4 मानवाधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1981

मानव एवं लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर को "बांजुल चार्टर" के नाम से जाना जाता है। यह चार्टर अफ्रीकी प्रथागत कानून को अभिव्यक्ति प्रदान करने के साथ–साथ नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को भी प्राथमिकता प्रदान करता है।

1.5.4 (1) बालकों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर 1990

बालकों के अधिकार एवं कल्याण हेतु अफ्रीकी चार्टर 1990 द्वारा बालकों के अधिकार उनकी कानूनी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक विकास एवं विशेष देखभाल को सुनिश्चित करता है। यह चार्टर बालकों को सभी प्रकार के शोषण एवं खतरनाक कार्य करने एवं समस्त प्रकार के दुर्व्यवहार व यौन शोषण, तस्करी, अपहरण, जबरन बालश्रम आदि से बालकों को संरक्षित किए जाने पर विशेष बल देता है।

1.5.5. मानवाधिकार, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद

मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति आदर बढ़ाने के प्रयोजन हेतु एवं उनके पालन के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सिफारिश कर सकेगी। यह परिषद मानवाधिकारों की वृद्धि हेतु अन्य आयोगों का भी निर्माण कर सकती है। यह अपराध निरोधक विशिष्ट आयोग, आपराधिक न्यायिक आयोग, महिलाओं की सुरक्षा के संज्ञान हेतु भी आयोगों का गठन कर सकती है।

1.5.6 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है, जो कि बालकों के अधिकारों से संबंधित है। यह न केवल बालकों के अधिकारों को लागू करने पर बल

देती है वरन उन्हें उपचार (संवैधानिक) भी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन सीआरसी बालकों के अधिकारों के चार 'पी' पहलुओं से संबंधित है।

- बालकों को प्रभावित करने वाले निर्णयों में बालकों की भागीदारी।
- बालकों के विरूद्ध सुरक्षा, भेदभाव व सभी प्रकार के शोषण व उपेक्षा की रोकथाम
- उन्हें नुकसान पहुंचाने की रोकथाम।
- बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिये सहायता का प्रावधान।

उपरोक्त के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत बालकों के अधिकारों के लिए कानून बनाता है, जैसे बालक को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार, शरणार्थी बालकों की विशेष सुरक्षा का अधिकार, स्वदेशी बालकों को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि। अतः संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जो बच्चों को प्रभावित करने वाली कार्यवाही एवं सुनवाई के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है। अतः बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

1.6 भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार

बालकों की सुकुमार अवस्था एवं देश के भावी कर्णधारों की भूमिका को देखते हुए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालकों के अधिकारों हेतु कई प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन 138 तथा 182 के अन्तर्गत प्रत्येक देश यह सुनिश्चित करेगा कि, बालकों का स्कूल में प्रवेश एवं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक व्यवसाय से उन्हें दूर रखने पर बल दिया जाए एवं कार्य करने की न्यूनतम आयु निश्चित की जाए।

इसी प्रकार मानवाधिकारों की "सार्वभौमिक घोषणा की धारा 24" में प्रत्येक बालक को रंग, जाति, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव से पूर्ण संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार सभी सदस्य राष्ट्रों ने अपने देश के संविधानों में बालकों के मानवाधिकारों को स्थान प्रदान किया है।

भारतीय संविधान में भी बालकों के मानवाधिकारों की व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है, अनुच्छेद 23 एवं 24 बालक के जबरन क्रय–विक्रय पर रोक एवं 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी फैक्ट्री, खान या अन्य किसी जोखिमपूर्ण नियोजन में कार्य करने का प्रतिषेध करता है एवं उनके शारीरिक व मानसिक शोषण से बाल श्रमिकों की रक्षा करता है।

इसी प्रकार अनुच्छेद 39 (च) (ङ) नियोजन में राज्य को निर्देशित करता है कि बच्चों को उनकी उम्र और सामर्थ्य के अन्तर्गत हानिकारक व्यवसाय में प्रवेश आर्थिक व्यवस्था के कारण मजबूर नहीं किया जाएगा।

बालकों को उसकी उम्र के अनुसार स्वस्थ तरीके से स्वतंत्रता पूर्ण परिस्थितियों में विकसित होने के अवसर प्राप्त होने चाहिए।

अनुच्छेद 45 के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयुवर्ग के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्यों के द्वारा की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रावधानों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अप्रेल 2010 में इसे शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया जा चुका है।

बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नियोजन में रखने से प्रतिषेध करता है इसी प्रकार बागान श्रम अधिनियम 1951 व बीड़ी सिगार कामगार अधिनियम 1966 आदि विशिष्ट नियोजन में निश्चित आयु से कम आयु के बालकों को कार्यों से पृथक करती है। अतः स्पष्ट है कि मानव व बालकों को जो मानवाधिकार प्रदान किए गए हैं वो उनके व्यक्तित्व के लिए अति आवश्यक हैं।

भारतीय संविधान सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्रता प्रदान करता है। इनका उल्लेख संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 36 में वर्णित है। इनका संरक्षण न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया गया है। नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार (जिसमें बालकों के अधिकारों हेतु विशेष प्रावधान किया गया है), धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति एवं लिपि का अधिकार के साथ इन अधिकारों को लागू करने व पालन कराने हेतु संवैधानिक उपचारों का अधिकार मुख्य है।[23] भारतीय संविधान में उपर्युक्त मौलिक अधिकारों के द्वारा नागरिकों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित किया गया है।

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को वर्णित किया गया है। मानवाधिकार आयोग के महत्व को महसूस करते हुए 1993 में विश्व मानव अधिकार सम्मेलन मे यह कहा गया कि विश्व मानवाधिकार सम्मेलन सरकारों से ऐसे राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत बनाने का अनुरोध करता है, जो मानव अधिकारों की अभिवृद्धि व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश अनुच्छेद 123 (1) पारित किया गया। जिसे प्रतिस्थापित करने हेतु लोकसभा में 18 दिसम्बर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत 8 जनवरी 1994 में यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बन गया। उपरोक्त के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना 18 दिसम्बर 1993 में की गई थी। इसमें आठ सदस्य होते हैं। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इसके अध्यक्ष होते हैं और इसकी अवधि पांच वर्ष होती है। आयोग सरकार के समक्ष समय–समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है एवं मानवाधिकार स्त्रियों एवं बालकों से संबंधित विभिन्न कार्य करता है।

1.6.1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के संरक्षण, सार्वभौमिकता एवं अखण्डता के सिद्धान्तों पर बल देता है। 0 से 18 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति बालक की परिभाषा में आते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई। आयोग की शक्तियों एवं कार्यों में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच व समीक्षा तथा अधिकारों का उल्लंघन की जांच करना व उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा करना है व बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना आदि भी है।

1.6.2 राज्य मानवाधिकार आयोग

भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्नता में एकता जैसे देश में कोई एक संस्था ही पूर्ण रूप से प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकती है, इसलिए भारत जैसे देश के लिए एक से अधिक संस्थाओं की आवश्यकता है जो कि मानवाधिकारों का संरक्षण कर सके। उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है।

भारत के 24 राज्यों में आयोग के मुख्यालय हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसका अध्यक्ष होगा। एक जिला न्यायाधीश, दो मानवाधिकारों से संबंधित ज्ञान रखने वाले एवं एक सचिव, जो इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, इसके सदस्य होंगे। इन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। उपरोक्त के अनुपालन में राजस्थान में राज्य सरकार ने दिनांक 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना के माध्यम से राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया। यह मार्च 2000 से क्रियाशील हो गया एवं "संशोधित अधिनियम मानव अधिकार 2006" के अनुसार इसमें एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की रक्षार्थ निगरानी संस्था के रूप में कार्य करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास हैं। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है और इसका कार्यकाल तीन वर्ष है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक किन्तु विधायी निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 द्वारा किया गया।[24] राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में वर्णित विषयों एवं उनसे संबंधित मामलों की जांच कर सकता हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जो निम्न प्रकार हैं :–

- मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना।
- जेल में कैदियों के मानवाधिकारों की समीक्षा करना।
- न्यायालय में लम्बित मानवाधिकारों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करना एवं उनको प्रोत्साहित करना।

- मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संवैधानिक एवं विधिक उपबन्धों की समीक्षा करना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के उन समस्त कारणों की जांच करना, जिनसे बचाव के उपायों की सिफारिश की जा सके।
- मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं दस्तावेजों का अध्ययन कर उन्हें प्रभावशाली ढंग से लागू करने की सिफारिश करना।
- मानवाधिकारों के संदर्भ में शोध को प्रोत्साहित करना।

इस प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, साथ में इन्हें निम्न शक्तियाँ भी प्राप्त हैं।

- समन जारी करने की शक्ति।
- शपथ पत्र पर लिखित गवाही लेने की शक्ति।
- गवाही का रिकार्ड रखने की शक्ति।
- विविध जेलों के निरीक्षण की शक्ति आदि।

राज्य मानवाधिकार आयोग केवल एक वर्ष से कम समय में घटित मामलों की जांच कर सकता है। आयोग द्वारा एक वर्ष से पूर्व की घटनाओं पर कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार और दोषी को दंडित करने का अधिकार नहीं है एवं साथ ही व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा सकता है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा एक वर्ष की घटनाओं की स्थिति को दर्शाते हुए हर वर्ष आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु इसमें व्यापक प्रावधान किये गए हैं।

राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2010

बालकों को मानवीय अधिकारों के साथ अपने शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है उन्हें बाल अधिकारों की श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाता है। जिसमें उनकी आयु 0 से 18 वर्ष होती है। इन बालकों को प्रदत्त मानवाधिकारों एवं बाल अधिकारों को ही "बाल संरक्षण अधिकार" कहा जाता है।

राजस्थान में भी बालकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु "राजस्थान राज्य बाल अधिकार आयोग" की स्थापना की गई है जो एक स्वतन्त्र राज्य स्तरीय वैधानिक प्राधिकरण है इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 में की गई थी।

1.7 मानव अधिकारों का वर्गीकरण

मानव को उसके नैतिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भौतिक कल्याण हेतु मानव होने के नाते जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अधिकार मानव के अस्तित्व के लिये अति आवश्यक हैं, क्योंकि इन अधिकारों के द्वारा ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

जो अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं एवं जो अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं वे संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं और जो अधिकार सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं या व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कानूनी अधिकार कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है।

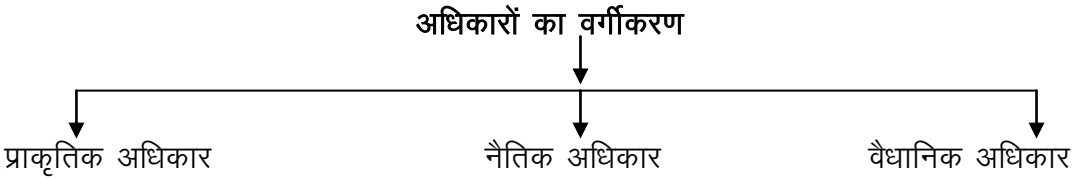

1.7.1 (अ) प्राकृतिक अधिकार

प्राकृतिक अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक एवं अदम्य है। मानव होने के नाते प्राकृतिक अधिकार मानव को नैसर्गिक रूप से प्राप्त होते हैं। जिसे किसी भी सत्ता द्वारा आहरित नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मानव के वे बौद्धिक अधिकार हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी उन्नति हेतु करता है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को इन अधिकारों को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं है।

हाब्स ने भी प्राकृतिक अधिकारों एवं प्राकृतिक नियमों का प्रतिपादन किया है, उनके अनुसार प्राकृतिक अधिकार आदिकालीन अवस्था में समस्त मानवों को समान रूप से प्राप्त थे इसलिए उन्हें एक दूसरे की हत्या एवं लूटपाट का अधिकार भी प्राप्त था। इस कारण समस्त मानवों का जीवन असुरक्षित हो गया। इसलिए इस अवस्था से छुटकारा पाने हेतु मानव ने कुछ प्राकृतिक नियम बनाये जिससे मानव की असीमित स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सके।

लॉक ने प्राकृतिक सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के तीन प्राकृतिक अधिकार मुख्य थे, पहला जीवन रक्षा का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार एवं तीसरा संपत्ति का अधिकार, मनुष्य के स्वतंत्र अस्तित्व हेतु ये अधिकार अति आवश्यक है। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार मानव के अधिकार 'जियो और जीने दो' एवं 'सह अस्तित्व' की अवधारणा' पर आधारित है।

1.7.2 (ब) नैतिक अधिकार

नैतिक अधिकार न्याय की सामान्य अवधारणा पर आधारित हैं। ये अधिकार मानव के लिए आदर्श एवं प्रेरणादायी होते हैं। नैतिक अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से है, जो कि नैतिकता पर आधारित होते हैं। यद्यपि ये वैधानिक रूप से दंडनीय नहीं होते हैं, इनकी पालना मानव अपने अंतःकरण के आधार पर करता है। समाज में व्यक्ति अपनी स्थिति एवं भूमिका के आधार पर नैतिक अधिकारों का क्रियान्वयन करता है।

1.7.3 (स) वैधानिक अधिकार

वैधानिक अधिकारों से तात्पर्य है कि जब व्यक्तियों को कानून निर्माण द्वारा उनकी जीवन रक्षा एवं संपत्ति के साथ अन्य व्यक्तिगत सुविधाओं का अधिकार सत्ता अथवा संविधान द्वारा प्रदान किये जाते हैं तो वे वैधानिक अधिकार कहलाते हैं, ये अधिकार निम्न प्रकार हैं :–

- **मौलिक अधिकार**

मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मौलिक अधिकारों को किसी भी सत्ता द्वारा न तो छीना जा सकता है, और ना ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार सम्मिलित होते हैं जैसे जीवन रक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, कानून के समान संरक्षण का अधिकार, गैरकानूनी तरीके द्वारा गिरफ्तारी से उन्मुक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। इन अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदान किए होने के कारण ये अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। भारत में संविधान के भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकारों को सामान्य परिस्थितियों में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व संविधान को प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में इन अधिकारों का समावेश इंग्लैंड के 'बिल ऑफ राइट्स', अमेरिका के 'अधिकार विधेयक' एवं फ्रांस द्वारा नागरिकों को प्रदान अधिकारों की घोषणा से प्रेरित होने के कारण स्थान दिया गया है।[25] इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

- **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार**

राजनीतिक एवं कानूनी अधिकारों को परंपरागत अधिकार भी कहा जाता है। राजनीतिक एवं नागरिक या कानूनी अधिकार राजसत्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं जो एक सभ्य समाज में ही संभव है। ये अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं इनके बिना नागरिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अनुच्छेद 2 से 21 में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। कुछ प्रमुख राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार इस प्रकार से हैं।

- जीवन रक्षा स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार।
- गुलामी अथवा दासता का उन्मूलन।
- जबरन श्रम का उन्मूलन।
- अमानवीय, अत्याचार क्रूरता व इसी प्रकार के अन्य अत्याचारों के खिलाफ संरक्षण।
- मनमानी पूर्वक गिरफ्तारी एवं नजरबंदी से संरक्षण।

- प्रशासन में न्यायपूर्वक व्यवहार।
- प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के देश में रहने, किसी भी देश को छोड़ने एवं वापस आने का अधिकार।
- संपत्ति रखने का अधिकार।
- राजनीतिक सहभागिता का अधिकार।
- मतदान करने एवं उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार।
- अभिव्यक्ति एवं अपनी राय रखने का अधिकार।
- धार्मिक आस्था का अधिकार आदि।

इसी प्रकार कुछ नागरिक अधिकार ऐसे होते हैं जो मात्र नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं या उन व्यक्तियों को, जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है उन्हें नागरिक अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं।

राजनीतिक अधिकार वयस्क नागरिकों को राज्य के संविधान अथवा कानूनों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। इन अधिकारों के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक सहभागिता के अवसर को प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। राजनीतिक अधिकारों में कई प्रकार के अधिकार आते हैं जैसे मतदान करने का अधिकार, उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार एवं नागरिक द्वारा योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक अधिकार द्वारा देश के नागरिकों को ही प्रदान किये जाते हैं, ये अधिकार विदेशियों को अपनी प्रभुसत्ता के प्रयोग में भागीदार बनाने के विरूद्ध हैं।

नागरिकों को सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार राजनीतिक अधिकार के अन्तर्गत ही प्राप्त होता है। लोकतंत्र की रक्षा एवं मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अति आवश्यक है।

- **आर्थिक अधिकार**

आर्थिक एवं सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को 'कार्यक्रमिक अधिकार' भी कहा जाता है हम इन अधिकारों का प्रादुर्भाव सामाजिक असमानता का उन्मूलन, आर्थिक असमानता, समाजवादी परंपराओं, क्रांतिकारी संघर्ष एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों में खोज सकते हैं। इन अधिकारों के द्वारा मानव गरिमामय जीवन यापन कर सकता है। इनका विश्लेषण इस प्रकार है:–

आर्थिक अधिकार मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हैं इन अधिकारों में निम्नलिखित अधिकार आते हैं।

- व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार।
- व्यक्ति को अपने जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने का अधिकार।

- व्यक्ति द्वारा कार्य करने की मानवोचित एवं न्यायपूर्ण कार्यदशा की परिस्थितियों में कार्य करने का अधिकार।
- श्रमिकों द्वारा अपने हितों की रक्षा हेतु संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार।

1.7.4 सामाजिक अधिकार

सामाजिक अधिकारों के माध्यम से मानव को सम्मानपूर्ण गरिमामय मानवीय जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने का अवसर प्राप्त होता है। राज्य में रहकर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार अर्थात व्यक्ति को बीमारी, बेकारी, गरीबी, बुढ़ापे एवं प्राकृतिक आपदाओं में सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा का अधिकार प्राप्त होता है।

सामाजिक समानता का अधिकार मानव के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है यह अधिकार न केवल सम्मानपूर्ण जीवन हेतु आवश्यक है वरन व्यक्ति के विकास एवं गरिमामय जीवन हेतु भी अति आवश्यक है। हमारे देश के संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के सिद्धांत के अन्तर्गत बिना किसी जाति धर्म, लिंग, भाषा, जन्मस्थान आदि के नागरिकों को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आवेदन का अधिकार, सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश का अधिकार एवं सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार आदि प्रदान किए गए हैं साथ ही अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

1.7.5 सांस्कृतिक अधिकार

- मानव को समाज में होने वाली उल्लासपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है ताकि वह अपने तनाव को कम कर खुशहाल जीवन जी सके।
- व्यक्ति को शिक्षा, साहित्य, रचना एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने एवं समाज के मार्गदर्शक की भूमिका निभाने का अधिकार है।
- व्यक्ति को वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने का भी अधिकार है।

अपनी संस्कृति का पालन करने और इससे संबंधित अधिकारों के प्रयोग द्वारा अपने व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने का भी अधिकार है।

इस प्रकार अधिकारों के मध्य समानता के साथ अन्तर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, अधिकार यद्यपि व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं किन्तु इनको समाज में रहकर ही प्राप्त किये जा सकते हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर राज्य द्वारा इन्हें सीमित भी किया जा सकता है।

1.8 मानवाधिकारों की विभिन्न अवधारणाएं

मानवाधिकारों के संबंध में समय–समय पर अनेक भारतीय एवं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों ने अपने–अपने विचार व्यक्त किए जिनके आधार पर मानवाधिकारें से संबंधित अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं जो इस प्रकार से हैं–

- उदारवादी अवधारणा
- मार्क्सवादी अवधारणा
- गांधीवादी अवधारणा
- दलित अवधारणा

1.8.1 उदारवादी अवधारणा

उदारवादी अवधारणा ने मानवाधिकारों के संबंध में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है इस अवधारणा के अनुसार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए। साथ ही इन अधिकारों को संरक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए।

उदारवादी विचारधारा के अनुसार अधिकारों पर न्यायसंगत आवश्यक प्रतिबंध भी अवश्य होने चाहिए ताकि एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में बाधक नहीं बने।

उदारवाद के दो प्रकार हैं–

(1) **प्राचीन उदारवाद** :– इसके प्रतिपादक जेफरसन, टामस पेन व जेम्स मिल आदि हैं इनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है।

(2) **नवीन उदारवाद** :– नवीन उदारवाद के प्रतिपादक जान लॉक हैं जो व्यक्ति की स्वतन्त्रता प्राप्ति हेतु राज्य को एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं व शासन की शक्तियो को मर्यादित करने के पक्षधर हैं।

मेकगर्वन के अनुसार :–

- एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण हैं इसमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तित्ववाद।[26]
- उदारवाद के केन्द्र में मानव है, जो मानवीय विवेक में आस्था रखता है, मानववाद किसी भी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है जो कि विवेकशील नहीं हैं। उदारवाद इतिहास एवं परम्पराओं पर आधारित है, उदारवादी व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन मात्र मानता है, यह न केवल लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करता है वरन यह मानव के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा का भी समर्थन करता है। साथ ही विश्व शांति एवं विश्व बंधुत्व की भावना का भी समर्थक है। उदारवादी अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता एवं समानता की प्राप्ति अति आवश्यक है तब ही वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

- इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवाद ने पूंजीवाद साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद की दमनात्मक नीतियों के विरूद्ध जनता को इन बुराइयों से मुक्त करने के लिए प्रेरित किया एवं मानव की मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण में अपना योगदान प्रदान किया।

प्रो. जे फेड्रिक के अनुसार "मौलिक रूप से यह गुण इसके मानवतावाद में मानव की अंतर्निहित मूल्यों के आग्रह पर उस सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण के अधिकार पर बल देने में निहित है, जिसमें यह प्रभावी रूप से स्वतंत्रता का सुख प्राप्त कर सकें एवं अपना बौद्धिक एवं नैतिक उन्नयन कर सके।"

स्वतंत्रता प्राप्त होने पर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उदारवाद मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक है जो कि व्यक्तित्ववाद में विश्वास करता है।

1.8.2 मार्क्सवादी अवधारणा

मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार जो अधिकार लोकतांत्रिक देशों में अपने नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं वरन उनका क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि वे अधिक महत्वपूर्ण बन सकें। मार्क्सवादी अवधारणा मानव जाति को शोषण मुक्त करना चाहती है इस हेतु वह राज्यविहीन समाज की कल्पना करती है क्योंकि राज्य को मार्क्सवादी शोषण का यंत्र मानते हैं। अतः मार्क्सवादी समस्त व्यक्तियों को मानवाधिकार प्रदान करके उन्हें समानता एवं स्वतंत्रता के साथ–साथ शोषण से मुक्ति प्रदान करना भी आवश्यक समझते हैं। **एंजिल्स के अनुसार** "राज्य अपने सभी रूपो में एकमात्र शासक वर्ग की संस्था रही है और प्रत्येक अवस्था में इसने दलित एवं शोषित वर्ग को दबाये रखने का कार्य किया है।[27]

मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अन्तर्गत मजदूरों में एकता, चेतना एवं सोई हुई जनता को उनके अधिकारों से अवगत कराने में विश्वास रखते हैं। मार्क्सवाद ने साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विरूद्ध जनमानस की चेतना को आंदोलित किया एवं मानवाधिकारों का जिस प्रकार समर्थन किया वह मार्क्सवाद की मानवता को बहुत बड़ी देन है। मार्क्सवाद ने मानवाधिकारों के लिए किए जाने वाले आंदोलन एंव क्रांतियों के साथ विचारधाराओं को भी प्रभावित किया है। मार्क्सवाद की अवधारणा में अधिकारों का स्वरूप समाजवादी है। इनके अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति एवं लाभ का कोई स्थान नहीं है। मार्क्सवाद में नागरिकों के अधिकारों के साथ कर्तव्यों पर भी बल दिया गया है। इस प्रकार मार्क्स उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं[28] ताकि आर्थिक शोषण और सामाजिक वर्ग संघर्ष को समाप्त किया जा सके।

1.8.3 गांधीवादी अवधारणा

गांधीवादी अवधारणा मानवाधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गांधीवादी अवधारणा सत्य, अहिंसा, समानता सत्याग्रह पर आधारित है, यह शोषण एंव उपनिवेशवाद का विरोध करती है। गांधीजी मानवाधिकारेां के संरक्षण हेतु नागरिकों के उत्तरदायित्व को आवश्यक

मानते थे। गांधीजी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार एवं अभिव्यक्ति, धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार जीविकोपार्जन का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं न्याय प्राप्ति के साथ विधिक उपचारों का अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए।

गांधीजी के अनुसार अधिकार व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने एवं परिपूर्णता अर्जित करने के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करते हैं अतः अधिकार उनके निर्बन्धनों के कारण नकारात्मक स्थिति नहीं है अपितु सकारात्मक सद्‌गुण है।[29]

गांधीजी के शब्दों में "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य की सामाजिक प्रकृति ही उसे अन्य प्राणियों से पृथक करती है यदि स्वतंत्रता उसका अधिकार है तो आत्मनिर्भरता उसका कर्तव्य है।" केवल एक दुष्ट व्यक्ति ही दावा कर सकता है कि वह सबसे मुक्त है और आत्मकेन्द्रित है।[30]

गाँधीवादी अवधारणा के संदर्भ मे हम कह सकते हैं कि गांधी जी उन्हीं अधिकारों को मान्यता देते थे जहाँ पर कर्तव्यों की भी पालना होती है। क्योंकि अधिकारों का वास्तविक स्त्रोत कर्तव्य ही है। गांधीजी अधिकार एवं कर्तव्य में संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं कि कर्म कर्त्तव्य है और फल उसका अधिकार है। अतः व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार में अधिकार व कर्त्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गांधीजी सर्वोदय में विश्वास करते थे, वे वर्ग विशेष की अपेक्षा सभी के हितों के संरक्षण में विश्वास करते थे। सामाजिक व्यवस्था के विषय में उनके विचार मानवतावाद का समर्थन करते हैं, उनका कहना था कि प्रत्येक समाज का, आधार सामाजिक समानता तथा बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। सभी को सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, अस्पृश्यता की भावना गाँधीजी को स्वीकार्य नहीं थी।

गांधीजी ट्रस्टीशिप के समर्थक थे, वे धन पर समाज के अधिकार को मान्यता देते थे एवं धन के आवश्यकता अनुसार वितरण के समर्थक थे, वे चाहते थे कि उत्पादन सामाजिक हित में होना चाहिए। गांधी जी कर्म को कर्त्तव्य एवं अधिकारों को फल मानते थे।[31] गाँधीजी एक अहिंसक लोकतांत्रिक राज्य के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि एक अहिंसक समाज या राज्य ही मानव को अधिकार प्रदान कर सकते हैं जबकि मानव या नागरिक का कर्त्तव्य है कि वे कर्त्तव्य पालन में अपनी पूर्ण आस्था रखें। इस प्रकार गाँधीवाद में व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार के द्वारा कर्त्तव्य एवं अधिकार के मध्य सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया गया है। यह मानवता के लिए एक महत्त्वपूर्ण देन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गाँधीवादी विचारधारा में मानवाधिकारों को प्राथमिकता प्रदान की गयी है। इस प्रकार गाँधीजी के बिना मानवाधिकारों की संकल्पना अधूरी है।

1.8.4 दलितोद्धार अवधारणा

दलितोद्धार अवधारणा मानवाधिकार एवं भारतीय दर्शन के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसके अन्तर्गत महात्मा ज्योतिराव फूले, डॉ. भीमराव अम्बेडकर एवं अन्य कई

समाज सुधारकों ने दलितों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए, इन्होंने देश के पिछड़े हुए लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता दिलाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जिनके परिणामस्वरूप भारत में दलित वर्ग हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों द्वारा दलितों के उत्थान का प्रयास किया गया। किन्तु फिर भी पिछले 76 वर्षों में हुई प्रगति के बावजूद दलित अभी भी समाज के सामाजिक व आर्थिक धरातल पर ही है। दलितों के साथ व्यवहार छिपे हुए रंगभेद जैसा रहा है और वे आज भी स्कूलों और सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच में अलगाव को सहन करते हैं।[32]

भारतीय परिप्रेक्ष्य में दलितों की स्थिति सदियों से ही शोचनीय बनी रही है उन्हें हमेशा से ही विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से निम्न एवं हेय समझा गया। उनके साथ हमेशा अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार किया जाता रहा, उन्हें मात्र कार्य करने वाली मशीनरी ही समझा गया और अधिकारों से हमेशा उन्हें वंचित किया गया। दलित शब्द भारत में उत्पीड़ित लोगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं खानाबदोश लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है।[33] दलितोद्धार की अवधारणा के अन्तर्गत दलितों को उनके मानव होने के नाते उनके व्यक्तित्व के विकास एवं सम्मानपूर्ण, गरिमामय जीवन हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार एवं अवसर प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया। इस हेतु अग्रणी भूमिका निभाने वालों में मुख्य रूप से संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, संत कबीर, राजा राममोहन राय, दयानन्द सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, महात्मा गांधी एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रमुख हैं। इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास के साथ–साथ संघर्ष भी किया जिनमें प्रमुख रूप से डॉ. ज्योतिबाराव फुले एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रमुख हैं जिन्होंने दलितों को समानता, स्वतन्त्रता व न्यायपूर्ण अधिकारों की वकालात करके उन्हें मानव होने का गौरव प्रदान करवाने का भरसक प्रयास किया।

इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

- **महात्मा ज्योतिबा राव फुले**

महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक महान दार्शनिक, क्रांतिकारी समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने मानव अधिकारों के लिए अस्पृश्यता एवं जाति व्यवस्था को जड़ से मिटाने का सराहनीय प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि अस्पृश्यता, भेदभाव एवं जाति व्यवस्था को अतिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए इस हेतु उन्होंने समाज सुधारक के रूप में सत्यशोधन समाज की स्थापना की। सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु उन्होंने यह महसूस किया कि महिलाएं, दलित एवं शोषित वर्ग ही शोषण के उत्पीड़न को झेलते है उसके निवारण का एकमात्र कार्य शिक्षा प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। तत्पश्चात उन्होंने 1852 में तीन स्कूलों में 273 लड़कियों की शिक्षा का प्रबंध करवाया। जिसे 1958 में उनकी इन स्कूलों को समाज के दबंगों ने बंद करवा दिया। उन्होंने अछूत महिलाओं एवं विधवाओं के कल्याण के लिए उन्हें शिक्षित बनने पर बल दिया। वे शिक्षा के माध्यम से

समाज में जागरूकता लाना चाहते थे ताकि दलित अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकें एवं समाज में सम्मान व मानवीय ढंग से जीवनयापन कर सकें।

दलितों का अपमान करना, उनका शोषण करना एवं अस्पृश्य घोषित करना एक सामाजिक बुराई है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। ज्योतिबा राव फुले ने अपनी पुस्तक 'गुलाम गिरी' में इसाई मिशनरीज एवं ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को इस हेतु धन्यवाद दिया कि उनके कारण ही निम्न व शोषित जातियों को यह अहसास हो पाया कि वो भी मानवाधिकारों के योग्य है।[34] ज्योतिबा राव फुले ने मानव कल्याण हेतु एकता समानता और धार्मिक सिद्धान्तों व कर्मकांडों, के विरूद्ध स्वस्थ आदर्शों के साथ सत्यशोधन समाज की स्थापना की।[35]

ज्योतिबा राव फुले व उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले ने भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। 11 अप्रेल को उनकी जयंती मनाई जाती है। ज्योतिबा राव फुले आधुनिक भारत के ऐसे महानतम शुद्र व्यक्ति थे जिन्होंने हिन्दुओं के दलित वर्ग को सवर्णों द्वारा किए जा रहे अपराध अन्याय एवं अमानवीय व्यवहार हेतु उन्हें जाग्रत किया।

फूले ने मनुस्मृति एवं वेदों की कटु आलोचना करते हुए कहा कि वेद व मनुस्मृति भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना तथा सामाजिक न्याय की एकता में सबसे बड़ी बाधा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा राव फुले की दलितोद्धार में विशेष योगदान रहा है जो हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। ज्योतिबा राव फुले ने दलितों के उत्थान हेतु एक वैचारिक धरातल प्रदान किया जिस पर अंबेडकर अपना कार्य कर सकें और उनकी कल्पना को साकार कर सकें।

- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर**

  डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1893 को महार परिवार में हुआ था जो एक अछूत जाति थी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को जीवन में अनेक बार छुआछूत, भेदभाव एवं अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें जाति को लेकर अपमानित किया जाता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। डॉ. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में दलितोद्धार हेतु जो संवैधानिक प्रयास किए, वे सराहनीय हैं। उन्होंने छुआछूत एवं भेदभाव रहित भारतीय समाज की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को समानता एवं स्वतंत्रता के समान अवसर उपलब्ध करवाकर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का अथक प्रयास किया।दलित एवं निम्न जातियों को मुख्यधारा में लाने हेतु आरक्षण का प्रावधान रखा ताकि वे अपनी उन्नति कर सकें एवं समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने दलितों को तीन सूत्रीय मंत्र दिया 'शिक्षित बनो, संगठित बनो एवं संघर्ष करो'।

  दलितोद्धार हेतु भीमराव अम्बेडकर के मुख्य प्रयास इस प्रकार हैं–

  - जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करना क्योंकि एक न्याययुक्त समाज के लिए जातिगत भेदभाव को समाप्त करना मानवीय आधार पर न्यायसंगत है।

- गलत आदतों एवं स्वयं को हीन समझने की जो गलत भावना है उसका परित्याग किया जाए।
- त्रिसूत्रीय प्रावधान पर अमल करने पर बल देना। उन्होंने कहा कि यदि महार अपने बच्चों को स्वयं के मुकाबले में अच्छी दिशा में देखने की इच्छा नहीं रखते तो एक मनुष्य एवं जानवर में कोई अन्तर नहीं होगा।[35]
- सामाजिक परिवर्तन हेतु क्रांति लाने का प्रयास करना, दलित वर्ग में जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास करना क्योंकि पूजा–पाठ व धार्मिक कर्मकाण्डों के माध्यम से जहां ब्राह्मण वर्ग ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की वहीं शिक्षा व शस्त्र रखने के अधिकार से शुद्रों को वंचित रखा ताकि वे प्रतिरोध नहीं कर सकें। उनका कहना था कि वह धर्म जो अपने मानने वालों के बीच पक्षपात करता है वह धर्म नहीं है।[36]
- दलित वर्ग को पृथक एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना एवं विभिन्न संस्थानों एवं विधानमंडल में उनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करवाना उनकी प्रमुख मांग थी जिससे गांधीजी असहमत थे बाद में दोनों के बीच 'पूना समझौता' हुआ।
- अम्बेडकर ने दलितों के प्रति छुआछूत एवं अस्पृश्यता का दृढ़ता से निवारण किया और भारतीय संविधान में इस हेतु प्रावधान भी किया। इसे एक दंडनीय अपराध बनाने में अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डॉ. अम्बेडकर ने 24 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, अम्बेडकर का मानना था कि जाति, संस्था का नाश ही समानता का निर्माण है और इसके लिए अंर्तजातीय विवाह होना एवं पुरोहितों के व्यवसायों का प्रजातांत्रिकरण करना आवश्यक है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने यह प्रस्ताव पारित किया कि दलित एवं अस्पृश्य समाज हिन्दू धर्म का त्याग कर ऐसा धर्म अपनाएं जिसमें सामाजिक व धार्मिक समानता हो, यही कारण है कि भीमराव अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ 6 दिसम्बर को बौद्ध धर्म अपनाया और हिन्दू धर्म का परित्याग किया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर मानवतावाद के समर्थक थे वे एक राजनीतिक, विधि विशेषज्ञ, धर्म, दर्शन व इतिहास के प्रकांड पंडित थे जिन्होंने मानवता के लिए अथक प्रयास किया एवं दलितों के उत्थान में दिये गये अपने योगदान के आधार पर वे दलितों के मसीहा कहलाए। डॉ. वी पी वर्मा ने उनकी तुलना अमेरिका के महान निग्रो नेता पाल राबसन से की है जिन्होंने अमेरिका के श्वेत बहुमत के विरूद्ध समस्त निग्रो जाति के आक्रोश को व्यक्त किया था।[37]

1.9 बाल श्रमिक एवं मानवाधिकार की प्रकृति

बालक किसी भी देश के महत्वपूर्ण संसाधनों में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। ये देश की बहुमूल्य निधि के रूप में पहचान बनाते हैं। बाल श्रमिक प्राचीन काल से ही प्रचलन में हैं।

तथापि, औद्योगिक क्रान्ति के कारण बाल श्रम की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह पूरे विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है। मानव समाज में समानता एक आवश्यक तथ्य है जब बिना किसी कारण एक वर्ग विशेष के साथ अन्याय होता है, अथवा सामाजिक रूप से उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति मानवाधिकारों के हनन का कारण बनती है। यही कारण है कि उद्योगों की रीढ़ श्रमिक वर्ग में बालकों के श्रम उपयोग को सामाजिक अभिशॉप के रूप में एक गंभीर समस्या के अन्तर्गत ख्याति प्राप्त होते हुए देखा जा सकता है। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार ताकतवर ही संघर्ष में विजय होता है उसे शक्तिशाली का शिकार बनना ही पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी समाज में महिला एवं बालकों की स्थिति भी कमजोर जीव के समान होती है। उन्हें हमेशा दोयम श्रेणी का दर्जा प्राप्त होता है। इसी प्रकार बालकों का शोषण भी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु होता आया है, जिससे न केवल उसके मानवाधिकारों का हनन होता है, वरन उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार से लेकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति हेतु शोषण करने पर आमादा सभी सामाजिक मर्यादाओं व नियमों का सरेआम उल्लंघन भी होता है।

विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में बालश्रम अधिक पाया जाता है क्योंकि विकासशील देशों में कानूनों की कठोरता के अभाव के कारण उनकी पालना सुनिश्चित नहीं कराई जाती है। यद्यपि विकासशील देश भी विकसित देशों की भांति कठोर कानूनों का निर्माण तो कर लेते हैं, किन्तु उनका उचित एवं पर्याप्त रूप से क्रियान्वयन नहीं कर पाते और परिणामस्वरूप बालकों की एक बड़ी आबादी बाल श्रम के दलदल में फंसकर अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाती है। बालकों के अपने मानवाधिकार हैं, जो उन्हें मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय में बालकों के निम्न अधिकार हैं :–

- प्रत्येक बालक को चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग व प्रजाति का हो, उसे जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त है।
- बालक को हानिकारक प्रभाव, दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा तथा पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में पूर्णरूपेण भागीदारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- बालक के अस्तित्व एवं विकास को यथासंभव अधिक से अधिक सुनिश्चित करना बालकों का मानवाधिकार है।
- बालक के अभिभावक या कानूनी संरक्षक या परिवार के सदस्यो की हैसियत गतिविधि अभिव्यक्ति मत एवं विश्वास के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव या दंड से सुरक्षा प्राप्त करना बालकों के मानवाधिकार रहे हैं।

- बालक को जन्म के पश्चात् पंजीकरण, नाम, राष्ट्रीयता हासिल करने का एवं माता–पिता के नाम से पहचानने एवं माता–पिता द्वारा बालक की देखरेख का अधिकार प्राप्त है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बालकों के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करके उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित किया जा सकेगा व बालकों का भविष्य उन्नत बनाया जा सकेगा।

निष्कर्ष

मानव एक सामाजिक प्राणी है एवं अधिकार सामाजिक जीवन हेतु अनिवार्य है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज की क्षमता, विकास एवं उत्पादकता में वृद्धि, अधिकारों के माध्यम से ही कर सकता है। अधिकारों का संबंध भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, जीवन दर्शन एवं न्यूनतम मानव आवश्यकताओं से संबंधित है। मानवाधिकार मानव की प्रकृति एवं स्वभाव में निहित है। मानव की भौतिकता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और मूल्य मानवाधिकारों पर ही आधारित होते हैं। यह किसी देश, जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं, किन्तु प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मानवाधिकारों का अत्यधिक हनन हुआ एवं वर्तमान समय में विश्व में गृहयुद्ध आतंकवाद, सशस्त्र संघर्ष आदि विनाशकारी घटनाऐं पूरे विश्व को मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करने पर विवश कर देती हैं। यद्यपि मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रयास प्राचीनकाल से ही प्रारंभ हो गए थे परन्तु वर्तमान समय में मानवाधिकार शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 16 जनवरी 1941 में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया एवं मानव की चाह मूलभूत स्वतंत्रताओं पर बल दिया जिसमें वाक् स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति एवं भय से स्वतंत्रता सम्मिलित है। इसी प्रकार 1941 में ही अटलांटिक चार्टर में भी मानव स्वतंत्रताओं पर बल दिया गया। 1945 में सेन् फ्रांसिस्को में मानवाधिकारों पर विचार विमर्श किया गया। नागरिकों की समानताओं, सम्मान एवं गरिमा प्रदान करने पर बल दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई एवं सन् 1946 में 'एलोनोर रूजवेल्ट' की अध्यक्षता में मानवाधिकार समित गठित की गई और 10 दिसम्बर 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा की गई जो मानव के अधिकारों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित हुई। इसी घोषणा में इस धारणा को भी स्वीकार किया गया कि मानव जाति द्वारा बालकों को भी अधिकार प्रदान किया जाना चाहिये। इस आधार पर बालकों के मानवाधिकारों पर भी ध्यान दिया गया। इसी क्रम में 20 नवम्बर 1959 को महासभा में बाल अधिकारों की घोषणा में बालक को सार्वभौमिक मानव के रूप में पहचान मिली। 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय आयोजित किया गया।

यदि हम भारतीय संदर्भ में मानवाधिकार की अवधारणा की विवेचना करें तो इसकी जड़ें वैदिक काल में धर्म के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया): की अवधारणा मानवाधिकारों को निरूपित करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान

में मानवाधिकारों को प्रमुख स्थान प्रदान किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि नागरिकों को विभिन्न अधिकार एवं स्वतंत्रताऐं व्यापक रूप से प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के भाग–3 में प्रदत्त मूल अधिकारों द्वारा नागरिकों के सम्मानपूर्ण एवं गरिमामय जीवन को सुनिश्चित किया गया है एवं मानवाधिकारों के इसी क्रम में भारतीय संविधान में बालकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है। भारत में मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु 18 दिसम्बर 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है एवं बाल अधिकारों हेतु 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007' की स्थापना की गई है।

इसी प्रकार दोनों स्तरों पर राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार आयोग एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना कर मानव एवं बाल अधिकारों को सुनिश्चित एवं संरक्षित करने का सराहनीय प्रयास किया गया है एवं उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के द्वारा भी संरक्षित करने के प्रयास को सुनिश्चित किया गया है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु विभिन्न प्रावधान किये गये हैं, इसके बावजूद भी मानवाधिकारो का हनन एवं बालकों के साथ दुर्व्यवहार और उनका शोषण अनवरत जारी है जिसके कारण वे मानसिक एवं शारीरिक शोषण और प्रताड़ना का शिकार होते हैं। जिसका विशेष रूप से बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बालकों के शोषण का सबसे खराब रूप बालश्रम है जो कि विश्व के सामने एक चुनौती बनी हुई है। बाल श्रमिकों को विभिन्न अधिकार प्राप्त होन के उपरान्त भी उनका शोषण निरन्तर जारी है। बालकों का शोषण विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक होता है क्योंकि विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता है। अतः आवश्यकता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन रोकने के साथ–साथ बालकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया जाये।

☯☯☯

2

बाल श्रम : एक अवधारणात्मक विश्लेषण

2.0 प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र के भविष्य की तस्वीर उस देश में निवास करने वाले बच्चों की आँखों में देखी जा सकती है। बालक हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। बालक भगवान द्वारा बनाया गया संसार का सर्वोत्तम उपहार है। यही कारण है कि देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश का बालकों के मनो–मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों की स्थिति उस देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति को बिना कुछ कहे दिखा सकती है। यह समाज का एवं उसमें निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम बालकों की ऊर्जा, उनकी बुद्धिमता एवं उनकी मानसिक क्षमता को उचित रूप से प्रशिक्षित करें। वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था अर्थ प्रधान सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थ की प्रधानता ने विकास करने के उद्देश्य से अनिवार्यता प्राप्त कर ली है। यदि हम 18वीं सदी में औद्योगिकीकरण युग का विश्लेषण करें तो यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि उस समय विकास की अंधी दौड़ में मानव से न केवल 16–16 घंटे कार्य करवाया जा रहा था वरन् छोटे–छोटे बालकों से भी 10–12 घंटे तक काम करवाया जा रहा था। बाल श्रमिकों के माता–पिता भी गरीबी एवं मजबूरी के कारण अपने बालकों को फैक्ट्रियो में कार्य करने के लिए

भेजने को मजबूर थे, और इसी कारण बाल श्रम की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया, जो वर्तमान सभ्यता को चुनौती दे रहा है। वर्तमान समय में ऐसे बालक जो बाल श्रमिक हैं, विशेषकर निम्न एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बालक जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय एवं निराशाजनक है। बालको को बाल अवस्था में ऐसा वातावरण प्राप्त होना चाहिए जहाँ उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ पूर्ण हो एवं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास एवं मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उनका शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास समुचित रूप से प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। यदि बालक का उचित तरीके से स्वस्थ वातावरण में पालन, पोषण एंव विकास नहीं किया जाता है तो बालक उचित मार्गदर्शन के अभाव में गलत राह की ओर अग्रसर हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अतः प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज का दायित्व है कि वे बालकों की उचित देखभाल एवं विकास व सुरक्षा को सुनिश्ति करें। उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि न केवल देश के भावी नागरिकों के रूप में बालकों का, वरन उस राष्ट्र का भविष्य भी गरिमामय एवं उज्ज्वल होगा। अतः राष्ट्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि बालक को अपने परिवार के भरण पोषण एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हानिकारक उद्योगों में विषम और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों मे लंबे समय तक कार्य करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े।[1]

सामाजिक कल्याण अध्ययन की टीम के अनुसार – बाल कल्याण सेवाओं का महत्त्व इस विचार में निहित है, कि मनुष्य का व्यक्तित्व प्रारंभिक वर्षों में निर्मित होता है एवं राष्ट्र का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य काफी हद तक उस तरीके से निर्धारित होता है जिसे प्रारंभिक चरण में ही आकार दे दिया गया हो।[2] बालक चूंकि देश के भविष्य के साथ–साथ माता–पिता की आशा का केन्द्र बिंदु भी होते हैं इसलिए बालकों के विकास और आत्मनिर्भरता हेतु उन्हें पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त होनी ही चाहिए, जो समाज द्वारा मिलने वाले ध्यान, सुविधा, अवसर एवं समर्थन पर निर्भर करती है।

ग्रेवियल मिस्ट्ल के अनुसार हम कई त्रुटियों और कई दोषों के दोषी हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अपराध बालकों को त्यागना जीवन के स्त्रोत की उपेक्षा करना है। हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें से कई चीजें बालकों के लिए इंतजार नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनकी हड्डियां आकार ले रही हैं एवं उनका खून बन रहा है व उनकी समझ के साथ मानसिकता विकसित हो रही है उसके लिए हम जवाब नहीं दे सकते हैं। 'कल' उसका नाम आज है, इसलिए स्पष्ट है कि बालक समाज रूपी बगीचे के खिलते फूल हैं, इसलिए इन फूलों को हानिकारक तत्वों से बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।[3]

न्यायमूर्ति सुब्बाराव के अनुसार सामाजिक न्याय की शुरूआत बालकों से होनी चाहिए जब तक कोमल पौधे की उचित देखभाल और पोषण नहीं किया जाता है तब तक उसके मजबूत एवं उपयोगी पेड़ के रूप में विकसित होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए सामाजिक न्याय के पैमाने पर पहली प्राथमिकता बालक होनी चाहिए।[4]

गुरूपाद स्वामी समिति के अनुसार बालक के मामले में श्रम एक पूर्ण बुराई बन जाता है, जब उसे अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक काम करने की आवश्यकता होती है। जब रोजगार के घंटे उसकी शिक्षा, मनोरंजन एवं आराम में बाधा डालते हैं। जब उसकी मजदूरी काम की मात्रा के अनुरूप नहीं होती है और जब वह जिस व्यवसाय में लगा हुआ है वह उसके स्वास्थ्य व सुरक्षा को खतरे में डालता है।[5]

स्पष्ट है कि इस समिति के अनुसार बालक अपनी क्षमता व सामर्थ्यता से अधिक कार्य करने को ही बालश्रम की बुराई के रूप में देखते हैं, साथ ही बाल श्रमिक जिस स्थान पर कार्य कर रहा है वहां का वातावरण अस्वास्थ्यकर होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। इस प्रकार बालश्रम एक राष्ट्र विशेष की समस्या न होकर वैश्विक समस्या है एवं प्रत्येक देश में चाहे उसका स्वरूप कुछ भी रहा हो, हमेशा विद्यमान रही है। बालश्रम, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, परिवार के मुखिया की अपंगता एवं मृत्यु होना, पिता की बुरी आदतें या नशा करना, स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता का अभाव, बाल श्रम का सस्ता होना आदि ऐसे कारण है जिसके कारण बाल श्रम समस्त देशों में विद्यमान है।

यदि हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बाल श्रम का विश्लेषण करें तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार लगभग 152 मिलियन बालक जिनकी आयु 5 वर्ष से 14 वर्ष है वे बाल श्रमिकों की श्रेणी में हैं। कोविड–19 के कारण इनकी संख्या बढ़कर 160 मिलीयन होने का अनुमान है एवं इसमें भी लगभग 73 मिलीयन बाल श्रमिक खतरनाक उद्योगों में लगे हुए हैं। बालक शब्द के अर्थ को विद्वानों ने अलग–अलग तरीके से परिभाषित किया है, उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं :–

2.1 आयु के अनुसार बालक का अर्थ

- **संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार समझौते के अनुसार :–**
  18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है अर्थात् 0 से 18 वर्ष की आयु।
- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार :–**
  14 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बालक है अर्थात 0 से 14 वर्ष।
- **बालश्रम (प्रतिषेध एंव विनियमन अधिनियम), 1986 के अनुसार :–**

बालक वह व्यक्ति है जिसने अपनी आयु का 14 वां वर्ष पूरा नहीं किया है।[6]

इससे स्पष्ट है कि जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ बालकों की आयु 18 वर्ष से कम मानता है वहां अधिकांश जगह 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति को बालक माना गया है। बालश्रम उस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जहाँ की बालक, जो 14 वर्ष से कम आयु का है और वह रोजगार में लगा हुआ है, यहाँ बाल कार्य और बाल श्रम में अंतर को समझना होगा।

- **जिया फायक** ने बाल श्रम एवं बाल कार्य में अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि समस्त कार्य बालश्रम नहीं है, क्योंकि बाल कार्य वैधानिक कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जबकि बाल श्रम शोषण का प्रतीक है।

ऐसे समस्त कार्य जो बालक द्वारा संपादित किए जाते हैं, वे हमेशा बुरे नहीं होते हैं। कई बार बालक वयस्कता के मार्ग को देखते हुए कार्य करने का स्वागत करते हैं। अतः ऐसे कार्य जो अवकाश, शिक्षा, मनोरंजन में बाधा नहीं बनते हैं। वे बालश्रम नहीं है, वरन बाल कार्य है।[6] जबकि बालश्रम वह है जो बालक के स्वास्थ्य विकास हेतु हानिकारक हैं और अवैधानिक है।[7]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालश्रम वह कार्य है जिसमें न्यून या अधिक मात्रा में शोषण सम्मिलित रहता है। चाहे वह शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हो या जो बालक के आनंद, शिक्षा, सामाजिक अवसर प्राप्त करने व व्यक्तित्व के विकास में बाधक बने बालश्रम कहलाता है। यह बालक के लिए एक अभिशाप है। हम शोषण को वस्तुपरक मान सकते हैं जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया में बालक का शोषण एवं गतिविधियों को बढ़ावा देती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं बालश्रम एवं बाल कार्य में अंतर है। बालश्रम शब्द का प्रयोग उन कार्यरत बालकों के लिए किया जाता है जिनकी आयु कानून द्वारा निर्धारित आयु से कम है अथवा 14 वर्ष से कम है।

- **वीवी गिरी के अनुसार**

बाल श्रम की सामान्यतः व्याख्या दो विभिन्न अर्थों में की जाती है, प्रथम आर्थिक अभ्यास के रूप में, एवं द्वितीय सामाजिक बुराई के रूप में।[8]

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रथम संदर्भ में बालक आय व लाभ हेतु कार्य करता है और द्वितीय संदर्भ में बालक के कार्य की प्रकृति ऐसी है जो हानिकारक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम तब अभिशाप बन जाता है, जब बालक अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं से परे जाकर श्रम करते हैं। श्रम उनकी पढ़ाई, बौद्धिक क्षमता व मनोरंजन के समय को प्रभावित करता है एवं उनके द्वारा किए गए कार्य और श्रम के घंटे जब उनकी मजदूरी के अनुपात में नहीं होते हैं। इसी प्रकार जब बालक किसी खतरनाक उद्योग में कार्य करता है, जो उसकी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से अहितकर हो तो वह बालक के लिए अभिशाप बन जाता है।

2.2 बाल श्रम की परिभाषा

बालश्रम की परिभाषा में उम्र को एक सार्वभौमिक मापदंड के रूप में स्वीकार किया है। बालश्रम संयुक्त रूप से दो शब्दों से बना है बाल एवं श्रम बाल शब्द बालक की आयु के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जबकि बाल श्रम कार्य की प्रकृति मात्रा, दशा एवं आय पैदा करने की क्षमता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।

- **समाज विज्ञान शब्दकोश के अनुसार** "बच्चों द्वारा स्वयं को या परिवार के भरण पोषण के लिए किए जाने वाला कार्य जब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे विकास और शिक्षा संबंधी कार्यों में अवरोध पैदा करता है तब वह बालश्रम कहलाता है।"
- **बाल श्रम समिति के अनुसार** "बाल श्रम को मोटे तौर पर बाल मजदूरी के उस हिस्से के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भुगतान या अवैतनिक कार्य में भाग लेता है।"[9]
- **सिंह एवं अन्य के अनुसार** "बाल श्रम का अभिप्राय है, जो बालक 6 से 15 वर्ष की आयु के बीच का है एवं जो विद्यालय समय में विद्यालय नहीं जाकर किसी नियोक्ता के यहाँ कार्य कर रहा है या कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।"
- **कुलश्रेष्ठ के अनुसार** "बाल श्रम से तात्पर्य है बच्चों को लाभकारी प्रतिबंधित व्यवसायों में रोजगार देना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो उन्हें विकास के अवसरों से वंचित करते हैं। बाल श्रम शब्द न केवल उद्योगों में काम करने वाले बच्चों पर लागू होते हैं वरन् उन सभी प्रकार के बच्चों के लिए भी जो उद्योगों में कार्य नहीं करते हैं।"[10]
- **यूनीसेफ के अनुसार** "यूनीसेफ बाल श्रम को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित करता है जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं और घंटों की न्यूनतम संख्या को पार कर जाते हैं।"
- **यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड लेबर कमेटी के अध्यक्ष हेमर फॉल** ने "बाल श्रम को बच्चो द्वारा किए गए किसी भी काम के रूप में परिभाषित किया है, जो उनके पूर्ण शारीरिक विकास, शिक्षा के वांछनीय स्तर अवसर तथा आवश्यक मनोरंजन में हस्तक्षेप करता है।"[11]
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार** "कोई भी 14 वर्ष से कम आयु का बालक जो मजदूरी करता है बाल श्रम की श्रेणी में आता है।"
- **गोडार्ड एंड व्हाइट के अनुसार** "बालक या बाल्यावस्था की परिभाषा विभिन्न सामाजिक स्थितियों पर निर्भर करती है और साथ ही साथ समय एवं काल पर भी निर्भर होती है। इतना ही नहीं वरन जाति लिंग का भी महत्व इसे परिभाषित करने में विचारशील है।"
- **सुरजीत सिंह के अनुसार** "बालक यदि कम उम्र में पूर्णकालिक श्रम एवं कई घण्टों तक अनावश्यक शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है जो कि उसके विकास के विरूद्ध है।[12]

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1983 के अनुसार** "वे बालक श्रमिक हैं जो कच्ची उम्र में प्रोढ़ों जैसी जिंदगी जीते हैं, लंबे समय तक कम वेतन पर ऐसी स्थिति में कार्य करते हैं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधक हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। कभी–कभी अपने माता–पिता से बिछड़कर या दूर रहकर कार्य करते हैं। अधिकतर बालक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के ऐसे अवसरों से वंचित रहते हैं जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक है।

इस प्रकार बालश्रम के संदर्भ में यूनिसेफ ने बाल श्रम को परिभाषित करने में निम्न तत्वों का समावेश किया है जो इस प्रकार है–

- बालक द्वारा कम उम्र में ही कार्य शुरू करना चाहे वह अल्पकालिक हो अथवा पूर्णकालिक।
- बालक द्वारा परिवार के बाहर अथवा भीतर कार्य करने के कारण वह विद्यालय जाने में समर्थ नहीं हो पाता है।
- बालक द्वारा कार्य करने के कारण उस पर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है।
- बालक को कम उम्र में ही अधिक जिम्मेदारियाँ सौंप दी जाती हैं जैसे घरेलू कार्यों में सहायता प्रदान करना, अपने छोटे भाई–बहिनों का ध्यान रखना आदि ऐसे कई कारण है जिससे बालक विद्यालय जाने से वंचित हो जाते हैं।
- जब बालक बाहर कार्य करता है तो उसे कम पारिश्रमिक में लम्बे समय तक कार्य करना पड़ता है।
- बालक द्वारा ऐसा कार्य करना जो कि बालक के आत्मसम्मान के विपरित हो जैसे बंधुआ बालश्रम, एवं बालकों के प्रति लोगों की नकारात्मक भावनाएँ आदि

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बालकों का कार्य हेतु उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। संभवतः कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ बालक कार्यरत नहीं हो। इस प्रकार बालकों का उपयोग सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण श्रम बाजार में बालकों की माँग के कारण होने लगा, जिसकी कीमत बालकों को अभिभावकों के संरक्षण से दूर रहकर अपने स्वास्थ्य व मानसिक विकास की प्रतिकूलता के रूप में चुकानी पड़ती है।

यद्यपि बालक का क्रियाशील होना या कार्य करना सामाजिक आवश्यकता है। प्राचीन समय से बालक अपने श्रम का उपयोग छोटे–मोटे घरेलू उद्योग धन्धों में करते आए हैं किन्तु जब उनकी क्रियाशीलता एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य उनके शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक विकास में अनुचित रूप से प्रयोग होने लगे तो वह सामाजिक बुराई का रूप धारण कर लेती है। समाजशास्त्री मि. जॉर्ज का कहना है कि "बाल श्रम बालकों की शारीरिक क्षमताओं को ही नष्ट नहीं करता है, वरन् उनके भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

2.3 बालश्रम का वर्गीकरण

यूनीसेफ इस बात को स्वीकार करती है कि बालक भविष्य के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं इसलिए मानवीय संसाधनों के निवेश की प्रत्येक दीर्घकालीन योजना बालकों से प्रारंभ होनी चाहिये। श्रम के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रावधानों के बावजूद भी बाल श्रम एक चुनौती बना हुआ है और बालकों को कम मजदूरी में खतरनाक उद्योगों में अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है। यद्यपि बाल श्रमिक बनने का बड़ा कारण परिवार की गरीबी या आय बढ़ाने हेतु होता है लेकिन बाल श्रम उन्मूलन में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

बालश्रम के प्रकार

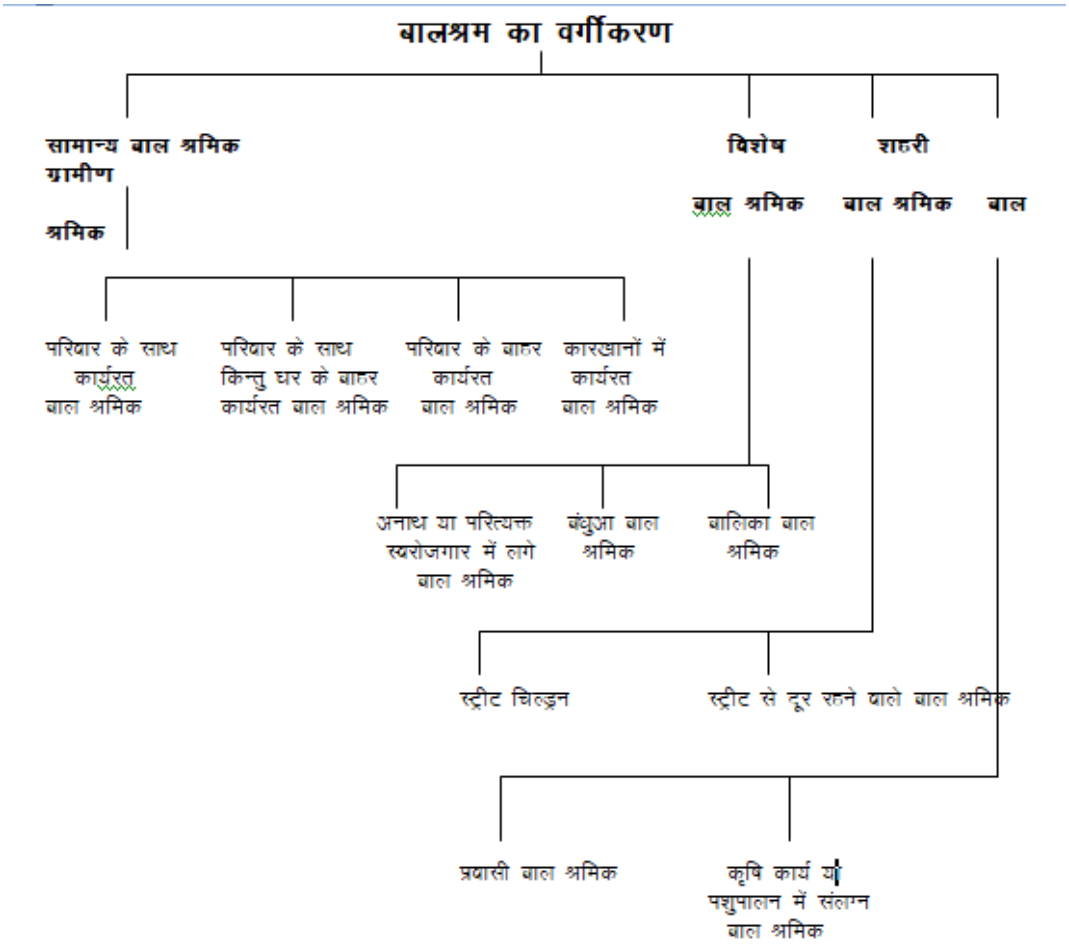

बालक जब परिवार के सदस्यों के साथ घर में कार्य करता है तो वह समाजीकरण की प्रक्रिया का भागीदार बनता है एवं जब वही बालक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेकर अर्थोपार्जन करता है तो वह बाल श्रमिक कहलाता है। बाल श्रम के निम्न प्रकार हैं :–

2.3.1 सामान्य बाल श्रमिक

परिवार के साथ कार्यरत बाल श्रमिक :– जब बालक बिना किसी वेतन भुगतान के घरेलू कार्य, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प कार्य, पशुधन से संबंधित आदि ऐसे समस्त कार्य जो बालक अपने परिवार के साथ करता है।

परिवार के साथ किंतु घर के बाहर कार्यरत बाल श्रमिक:– ऐसे कार्य जो परिवार के साथ तो किए जाते हैं, किंतु घर से बाहर परिवार सहित अन्यत्र कार्य करने हेतु जाते हैं, अथवा किसी उद्योग, कृषि कार्य, पशुधन, घरेलू सेवाएँ, विनिर्माण उद्योग चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिक सहित बाल श्रमिक कार्य करने हेतु जाते हैं।[15]

परिवार के बाहर कार्यरत बाल श्रमिक :– ऐसे कार्य जिसमें बच्चों को दूसरों के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में या अन्यत्र वेतन पर लगा दिया जाएं अथवा अन्य व्यवसाय जैसे कालीन उद्योग, कढ़ाई, तांबा या पीतल के काम, औद्योगिक क्षेत्रों में, व्यवसायों में, खदानों में कार्य करना, ढाबों पर कार्य करना इसके साथ ही भीख मांगने या वैश्यावृत्ति जैसे घृणित कार्य करवाया जाना शामिल है। ये कार्य परिवार से दूर रहकर बालक द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं।

कारखानों एवं खदानो में कार्यरत बाल श्रमिक :– ऐसे बालक जो कारखानों, खानो एवं सेवा क्षेत्रों में कार्य करते हैं बाल श्रमिक कहलाते हैं।

स्वरोजगार में लगे बाल श्रमिक :– कुछ बालक स्वरोजगार में भी लगे रहते हैं जैसे बूट पॉलिश करना, कार साफ करना, अखबार बेचना, छोटी–छोटी वस्तुएं, सामान बेचना जैसे गुब्बारे, खिलौने या अन्य सामान या बालक द्वारा पैस कमाने के उद्देश्य से कोई खेल दिखाना आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें बच्चा खुद ही स्वरोजगार में लगा रहता है।

2.3.2 विशेष बाल श्रमिक :–

अनाथ या परित्यक्त स्वरोजगार में लगे बाल श्रमिक :– ये बालक स्वरोजगार में भी लगे रहते हैं जैसे बूट पॉलिश करना, कार साफ करना, अखबार बेचना, खिलौने, गुब्बारा या अन्य छोटे–छोटे सामान बेचना आदि। जब बालक के माता व पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है एवं बालक को कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे बालक काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोविड–19 के कारण ऐसे बालकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

बंधुआ बाल श्रमिक :– जब माता–पिता अपना कर्ज चुकाने या स्वयं के बदले बालक को नियोक्ता के यहाँ बंधुआ (गिरवी) रखकर स्वयं मुक्त हो जाते हैं, इसे बंधुआ बाल श्रमिक कहते हैं, ये बालक सर्वाधिक शोषित होते हैं।[16]

बालिका बाल श्रमिक :– बालिका श्रमिकों को घरेलू सहायिका के रूप में अन्य व्यक्तियों के यहाँ माता–पिता अथवा रिश्तेदारों द्वारा अंशकालीन या पूर्णकालीन समय के लिए कार्य पर रखा जाता है। बालिका श्रमिकों को पुरूष बाल श्रमिकों की अपेक्षा सर्वाधिक एवं विभिन्न प्रकार के शोषण का सामना करना पड़ता है। ये बालिका श्रमिक सर्वाधिक यौन संवेदनशील होती है।

उनके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्य जैसे खाना बनाना, सफाई करना, छोटे बालकों की देखभाल करना आदि कार्य आते हैं, जो आर्थिक अनुदान के रूप में अपरिचित हैं। यद्यपि यह भी शोषण का ही एक प्रकार है।

2.3.3 शहरी बाल श्रमिक :–

- **शहरी बाल श्रमिकों का वर्गीकरण** :– यदि हम शहरी बालकों की बात करें तो यहाँ पर बाल श्रम का महत्वपूर्ण कारण औद्योगीकरण को मान सकते हैं हम इन्हें व्यापक रूप से तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं।

- **स्ट्रीट चिल्ड्रन** :– ऐसे बालक जिनका परिवार तो होता हे किन्तु वे अपना अधिकांश समय गलियों में ही व्यतीत करते हैं, ऐसे बालक स्वयं के लिए कमाते हैं और स्वयं के लिए एवं कुछ अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं।

- **स्ट्रीट से दूर रहने वाले बालक** :– इस श्रेणी में वे बाल श्रमिक आते हैं जो अपने माता–पिता एवं परिवार को गांव, कस्बों या छोटे शहरों में छोड़कर बड़े शहरों में कमाने के लिए आ जाते हैं, किंतु उनके पास रहने की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में बालक दिन भर काम करने के पश्चात् रेलवे, प्लेटफार्म, बस स्टैंड, सार्वजनिक विश्राम स्थल, रैन बसेरा या सार्वजनिक पार्कों में रात्रि व्यतीत करते हैं और जो कमाते हैं, उसमें से स्वयं के ऊपर खर्च भी कर लेते हैं।

2.3.4 ग्रामीण बाल श्रमिक :–

- **प्रवासी बाल श्रमिक** :– जब बाल श्रमिक अपने परिवार के साथ गांव से शहर में कार्य की तलाश हेतु पलायन करते हैं एवं निश्चित समय के पश्चात गांव लौट आते हैं तो ऐसे बालक प्रवासी बाल श्रमिक कहलाते हैं।[17] जैसे वर्षाकाल में ये प्रवासी बाल श्रमिक पुनः अपने घर लौट जाते हैं।

- **कृषि कार्य एवं पशुपालन में संलग्न बाल श्रमिक :–** ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश बाल श्रमिक पशुपालन एवं कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं एवं दिनभर कार्य करने के उपरान्त उन्हें बहुत कम मजदूरी प्राप्त होती है एवं कीटनाशक और कीटाणुओं के संपर्क में आने के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

हेनरीमैन की स्टडी हमें बताती है कि बाल दासों को वस्तुओं की तरह खरीदा व बेचा जाता है।[18] यह स्पष्ट है कि बाल श्रम के कारण न केवल वस्तुपरक है, वरन व्यक्तिनिष्ठ भी है, और विभिन्न प्रकार के कार्य बालकों को करने पड़ते हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में बाल श्रमिक संगठित एवं अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में बाल मजदूरी करते हैं, ये क्षेत्र कानून के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। भारत में बाल श्रमिक कई प्रकार के कार्यो में लगा रहता है जैसे ईंट भट्टा उद्योग, पटाखा उद्योग, दियासलाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, बीड़ी उद्योग, होटल एवं ढाबा उद्योग, कृषि कार्य, पशुपालन, कालीन उ़द्योग, घरेलू सहायक का कार्य आदि।

बालश्रम की समस्या के उन्मूलन हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे है एवं विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं परन्तु बालक राजनीतिक प्राथमिकता का विषय नहीं होते हैं इस कारण कानूनों एवं योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। भारत में बालकों के शोषण को रोकने के लिए सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो बालकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में भी बालकों के संरक्षण एवं हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हें। साथ ही उनकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अधिकार को न्यायपालिका के माध्यम से सुनिश्चित भी किया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी बाल श्रमिकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसका उन्मूलन संभव नहीं हो पा रहा है।

2.4 बालश्रम के कारण एवं स्थितियाँ

बालश्रम विश्व के विभिन्न देशों अथवा भारत के लिए कोई नया विषय नहीं है। प्राचीन समय से ही बालश्रम किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। बालक हमेशा से ही आवश्यकतानुसार कार्य करते रहे हैं, चाहे वे घरेलू कार्य में सहायक के रूप में हो अथवा अपने माता–पिता के साथ कृषि कार्यों में या घर में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों में कार्य करें। बालश्रम की समस्या तब उत्पन्न होती है, जबकि अमीर व्यक्ति अपने धन के बल पर बालक को खरीदकर उसके सम्मान एवं क्षमता के विपरीत कार्य करवाता है।

भारत में यदि स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत में बालश्रम की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। भारत में विश्व का लगभग 12 प्रतिशत बालश्रम पाया जाता है। यदि हम बाल श्रमिकों के बारे में यह कहें कि दास के घर में जन्म लेने वाला बालक दास ही होगा, दास के रूप में ही कार्य करेगा एवं दास के रूप में ही मर जाएगा, बशर्ते कि उसका मालिक उसे दासत्व से मुक्त न कर दें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।[19] भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार हर तीसरा बालक बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत है एवं पांच में से हर चौथा बालक रोजगार में लगा हुआ है। 21 प्रतिशत बालक शहरी एवं शेष ग्रामीण परिवेश के बालक बाल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं।[20]

इस प्रकार स्पष्ट है कि बालश्रम की स्थिति अत्यन्त भयावह है। संक्षेप में बाल श्रम के कारणों को हम निम्न प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं।

बाल श्रम के कारण :–

2.4.1 गरीबी एवं बालश्रम :– गरीबी एवं बालश्रम एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि गरीब परिवार का बालक या बालिका होने के कारण उनके श्रमिक के रूप में कार्य करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। गरीबी के कारण बालक को अपने परिवार की आय बढ़ाने हेतु कम उम्र में ही श्रम करना पड़ता है और यही उसके शोषण का भी कारण बनता है। जो समय बालक का शिक्षा प्राप्त करने, खेलकूद एवं मनोरंजन में व्यतीत होना चाहिए वह समय उसे कठिन श्रम करने में व्यतीत करना पड़ता है। उसे अपनी शारीरिक

क्षमताओं से परे जाकर कार्य करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बाल श्रम से संबंधित निर्णय दिसम्बर 1996 में बाल श्रम हेतु गरीबी को उत्तरदायी ठहराते हुए कहा कि 'जब तक परिवार के लिए आय की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक बाल श्रम से निजात पाना मुश्किल है। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यदि बाल श्रमिक द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो और गरीबी बढ़ती है।' इस कठोर वास्तविकता को सरकार ने भी स्वीकार किया है।[21]

2.4.2 **जनसंख्या की अधिकता** :– जनसंख्या वृद्धि बाल श्रम के प्रभावी एवं उत्तरदायी कारणों में से एक है। जनसंख्या की अधिकता एवं बाल श्रम में सापेक्ष संबंध दृष्टिगोचर होता है जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति का परिवार नियोजन के उचित साधनों से अनभिज्ञ रहना, अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण अधिक संतान उत्पन्न करना और जब ऐसे व्यक्ति बालक के लालन–पालन में असमर्थ रहते हैं तो वे कम उम्र में ही अपने बालकों को बालश्रम के दलदल में धकेल देते हैं।

2.4.3 **सामाजिक व्यवस्था :–** किसी भी समाज की सामाजिक संरचना जाति, धर्म, संप्रदाय एवं नस्ल आदि पर आधारित होती है। जब समाज की यह संरचना भेदभाव पर आधारित होने लगती है तो उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि निम्न एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बालक जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम बाहुल्य आदि ऐसे क्षेत्र जहाँ से सर्वाधिक बाल श्रमिक आते हैं जबकि उच्च जाति के बालक जो कि कुल जनसंख्या का 17–18ः है उनके बालक बहुत कम बाल श्रम करते हैं।

2.4.4 **सार्थक विकल्पों का अभाव :–** बाल श्रम का मुख्य कारण सार्थक विकल्पों का अभाव भी है, जैसे शिक्षा के संदर्भ में किफायती विद्यालयों का पर्याप्त मात्रा में ना होना, व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, विद्यालय का दूर होना एवं औपचारिकताओं का अधिक होना जैसे आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि के अभाव में बालक को विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाता है। साथ ही पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव होता है। इस कारण जब बालक विद्यालय नहीं जाते तो बाल श्रम की ओर प्रेरित होते हैं।

2.4.5 **बाल श्रमिक का आसानी से कार्य सीखना :–** बुर्रा भट्टी[23] एवं बैनर[24] के अध्ययन बताते हैं कि छोटी उम्र के बालक आसानी से कार्य को सीख लेते हैं जैसे स्प्रे, पेंटिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सर्फिंग मशीन पर काम करना आदि। इसी प्रकार कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें बालकों की लचीली उंगलियाँ बहुत सरलता से कार्य कर लेती हैं, जैसे कालीन उद्योग, चाय के बागानों में कार्य आदि।

2.4.6 **प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन :–** ग्रामीण क्षेत्र एवं परिवेश में जब प्राकृतिक आपदा जैसे अनावृष्टि, अतिवृष्टि एवं समय पर वर्षा का न होना, या जलवायु परिवर्तन

के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाना आदि और जब उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता है तो वे अपने बालकों को काम करने के लिए बाहर भेज देते हैं, जहाँ बालक न केवल बालश्रम करता है, वरन शोषण का शिकार होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

2.4.7 संघर्ष या युद्ध की स्थिति एवं पलायन :– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युद्ध के कारण आधे से ज्यादा लोगों को अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है और इनमें से ज्यादातर बालक बाल श्रम एवं अन्य प्रकार के शोषण का शिकार बन जाते हैं।

2.4.8 बालक की शैक्षणिक विफलता :– बालक को जब उसके माता–पिता द्वारा विद्यालय में प्रवेश कराया जाता है, लेकिन बालक की पढ़ाई में रूचि नहीं होने के कारण अथवा एक ही कक्षा में कई बार असफल होने के कारण वह विद्यालय छोड़ देता है और अंततः वह छोटा–मोटा कार्य करना शुरू कर देता है जिसका परिणाम उसके बाल श्रमिक बनने के रूप में उभर कर सामने आता है।

2.4.9 कोविड–19 :– इन सबके अतिरिक्त 2020 से 2022 के काल में बाल श्रम में वृद्धि का मुख्य कारण कोविड–19 रहा। इस महामारी के कारण बहुत से परिवारों के मुखियाओं का रोजगार छिन गया एवं कई परिवारों में बालकों के माता–पिता अथवा दोनों की ही मृत्यु हो गई इसलिए ऐसी परिस्थितियों में न केवल वे बालक जो निम्न एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे परन्तु वे बालक जो सम्पन्न वर्ग के थे भी बदली हुई परिस्थितियों से मजबूर होकर बाल श्रमिकों की श्रेणी में आ गए।

2.4.10 वयस्क बेरोजगारी :– देश में बेरोजगारी की वृद्धि दर अधिक होने से भी बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जब परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार का अभाव होता है या उनका सीमांत उत्पादन या आय शून्य होता है अर्थात जब व्यक्ति कार्य में लगा प्रतीत होता है किंतु उसके द्वारा किया गया उत्पादन शून्य होता है, एवं आय भी शून्य होती है तो इसे सीमांत उत्पादन या सीमांत आय कहा जाता है। इस कारण दो जून की रोटी का जुगाड़ करने हेतु परिवार के सदस्य बालकों को असमय ही बाल श्रमिक बना कर कार्य के बोझ तले दबने पर मजबूर कर देते हैं। मेडिलविच ने इस दुष्चक्र को इस प्रकार चित्रित किया है। इस प्रकार बालक आय को बढ़ाने की अपेक्षा कम करता है।[24] यह दुष्चक्र इस प्रकार चलता रहता है।

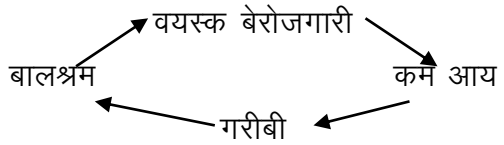

2.4.11 बाल श्रम का सस्ता होना :– वयस्क व्यक्ति एवं बाल श्रमिक की आय की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि बालश्रम न केवल सस्ता है वरन् आसानी से उपलब्ध भी हो जाता

है एवं बालक ज्यादा समय तक श्रम करने के लिए मजबूर भी हो जाता है। अतः बाल श्रम का यह भी एक बड़ा कारण है जो कि बाल श्रमिक को बाल श्रम के दलदल में धकेलता है।

2.4.12 बाल श्रमिक के मोलभाव की शक्ति का कम होना :– बाल श्रमिक को श्रम के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने अथवा मोलभाव की शक्ति वयस्क व्यक्ति की तुलना में कम होती है जिसके कारण बालक जितनी भी मजदूरी मालिक द्वारा निर्धारित की जाती है, उसी मजदूरी में कार्य करने को विवश हो जाता है। यही कारण है कि बालक द्वारा 14–16 घंटे तक काम करने के बाद भी उसे बहुत कम या कार्य के अनुपात में मजदूरी प्राप्त नहीं होती है और इस प्रकार वह शोषण का शिकार बनता है।[25]

2.4.13 परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा अपंगता :– बाल मजदूरी का एक बड़ा कारण उस परिवार के मुखिया की मृत्यु होना या उसका पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अपंग होना है, जिस कारण एक परिवार का जीविकोपार्जन कठिनाई में पड़ जाता है एवं वह परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप सुकुमार अवस्था के बालक बाल श्रम के दलदल में फंसते ही चले जाते हैं।

2.4.14 बालकों का कार्य के प्रति अनुशासित होना :– बाल श्रम का एक मुख्य कारण बालक का कार्य के प्रति अनुशासित होना, मालिक की आज्ञा का पालन कर लेना, चाहे वह भय से हो अथवा स्वेच्छा से हो इसके अतिरिक्त कुछ कार्यों की प्रकृति भी इस प्रकार होती हैं, जिनमें बाल श्रमिक की उंगलियाँ बहुत तेजी से चलती हैं, जिसका मुख्य कारण बालकों की उंगलियाँ का लचीला होना है। इसके अलावा बालक वही कार्य करते हैं जो कि नियोक्ता कहता है एवं उनके विरूद्ध न तो कोई सवाल जवाब करते हैं और न ही स्वयं के उत्पीड़न के खिलाफ संगठित होते हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार भी आसानी से किया जा सकता है।[26] बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या का मुख्य कारण श्रम विभाग की अक्षमता भी है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कानूनों एवं प्रावधानों का निर्माण तो कर दिया जाता है लेकिन उनका क्रियान्वयन उतनी सक्रियता से नहीं होता जितना कि होना चाहिए, इस कारण बाल श्रमिकों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है।

2.4.15 उत्पादकों द्वारा ऋण, अग्रिम आदि सरलता से देना :– बाल श्रम बढ़ने का एक मुख्य कारण उत्पादकों अथवा नियोक्ताओं द्वारा बाल श्रमिकों के माता–पिता को ऋण अथवा अग्रिम के रूप में राशि सरलता से दे दी जाती हैं एवं अभिभावक उन उत्पादकों एवं नियोक्ताओं के यहाँ सरलता से अपने बच्चों को कार्य करने के लिए भेज देते हैं। और जब तक वह अग्रिम नहीं चुकाता है बाल श्रमिक उनके यहाँ कार्य करता है। चाहे वे बंधुआ मजदूर बनकर करें अथवा अन्य किसी रूप में।

2.4.16 ठेकेदार द्वारा झूठे प्रलोभन देना :– कई बार ठेकेदार अथवा नियोक्ता जो कि बच्चों को कार्य करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो उनके माता–पिता को झूठे प्रलोभन एवं लालच देते हैं कि हम आपके बच्चों को सारी सुविधाएं देंगे और उनसे एक निश्चित समय के लिए ही कार्य कराएंगे। माता–पिता उनके इन झूठे आश्वासनों पर विश्वास करके अपने बालकों को ठेकेदार के साथ दूसरी जगह काम करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन इसके विपरीत ठेकेदार उन बालकों का माता–पिता की अनुपस्थिति में शोषण करते हैं।

2.4.17 दबंगों द्वारा उत्पीड़न :– गांवों एवं बहुत छोटी जगहों पर समाज के दबंगों द्वारा भी निम्न एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को धमकी दी जाती है कि यदि उन्होंने अपने बच्चों को कार्य करने के लिए नहीं भेजा तो वे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे। उनके डर से अभिभावक बच्चों को कार्य करने के लिए भेजने पर मजबूर हो जाते हैं और निम्न तबके के बालक बाल श्रम के दलदल में फंस जाते हैं।

2.4.18 बालकों का असंगठित होना :– बालकों का असंगठित होना भी बाल श्रम का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बालक का अपना खुद का कोई संगठन नहीं होता है और ना ही उनका मार्गदर्शन करने हेतु कोई आगे आता है क्योंकि बालक राजनीतिक वोट का हिस्सा नहीं होते हैं इसलिए अधिकांश लोगों का ध्यान उन पर नहीं जाता है और वो अल्पायु में ही बाल श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

2.4.19 बाल श्रमिक के प्रति परिवार का नकारात्मक व्यवहार :– कई बार बालकों के बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण उनके परिवार का उनके प्रति नकारात्मक रवैया भी होता है, वे अपनी गरीबी एवं बालकों के द्वारा कार्य किए जाने को भाग्य मान लेते हैं और अपने छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अधिक चिंतित नहीं होते हैं और ना ही वे उनकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को लेकर उत्साहित होते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अंततः बच्चों को परिवार के पालन पोषण के लिए और अर्थोपार्जन हेतु श्रम करना ही पड़ेगा।

2.4.20 कुटीर व लघु उद्योग में बालश्रम :– राज्य बेरोजगारी को कम करने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों का बहुत समर्थन करते हैं ताकि वयस्क व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके। किन्तु इसके विपरित उद्योगों के मालिक अपने उत्पादन को पूरा करने हेतु बड़े पैमाने पर बालकों को कार्य पर लगा लेते हैं जिसके कारण उनके लाभ में वृद्धि होती है।

2.4.21 विनिर्माण प्रौद्योगिकी की कमी :– बाल श्रम की मांग एवं इसकी स्वीकार्यता को तकनीक की कमी भी व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले आर्थिक कारणों में से एक है। बदलती हुई तकनीक एवं परिवर्तित नीतियां, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, शिशु प्रवजन व समय आवंटन विद्यालयों में अनुपस्थिति एवं गरीबी ऐसे प्रमुख कारण है जो कि बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं।[27]

इस प्रकार स्पष्ट है कि बाल श्रम के बहुत से कारण हैं, जिनमें प्रमुख कारण गरीबी, वयस्क बेरोजगारी, परिवार के मुखिया का न होना, बाल श्रमिक का अनुशासित और मोलभाव करने की शक्ति कम होना है, साथ ही उनका कोई संगठन भी नहीं होता है और इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष व युद्ध की स्थिति होने के कारण बालक असमय ही बाल श्रम के दलदल में फंस जाता है। जहाँ न केवल उनकी सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग होता है, वरन् कई बार उनके साथ विभिन्न प्रकार का शोषण भी होता है जैसे मारपीट, गाली गलौच, भूखा रखना, बाहर नहीं निकलने देना आदि। अतः बालश्रम के विभिन्न कारणों में प्रमुख कारण कानूनों एवं बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों का कठोरता पूर्वक पालन नहीं किया जाना है। साथ ही सभ्य समाज के नागरिक जब तक संवेदनशील नहीं होंगे तब तक बाल श्रम उन्मूलन संभव नहीं हो पायेगा।

बालश्रम एक सामाजिक बुराई है, जो देश के भावी आर्थिक विकास की भी विरोधी है, बालश्रम को समाप्त करने के लिए हमें बालकों से जुड़ी प्रथाओं एवं अवांछनीय स्थितियों को समाप्त कर इसके व्यावहारिक उपायों को खोजना होगा। बालश्रम समस्या की जड़ें जिस तरह फैली हुई हैं इसको देखते हुए वर्तमान कानूनों, प्रावधानों एवं विकास के माध्यम से इसका उन्मूलन तत्काल कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें इस समस्या की जटिल प्रकृति एवं उसके प्रभावों को ढंग से समझना होगा और इसके उन्मूलन हेतु व्यापक रणनीति बनानी होगी।

2.5 बाल शोषण की प्रकृति एवं स्वरूप

बाल श्रम के शोषण की प्रकृति प्रत्येक देश में निराशाजनक है। इसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को भी गंभीर खतरा पैदा होता है एंव देश के दीर्घकालीन विकास पर भी इसका असर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। बालक देश की पूंजी का चल निवेश है, इसलिए जितना बालक के विकास पर व्यय किया जाएगा भविष्य में देश की आर्थिक व्यवस्था एवं विकास उतना ही सुदृढ़ होगा। बाल श्रमिक मात्र शारीरिक शोषण का ही शिकार नहीं होते हैं, वरन वे मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक एवं यौन शोषण का भी शिकार होते हैं, विशेषकर बालिका श्रमिक को कई बार यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है एवं वेश्यावृत्ति जैसे घृणास्पद व निंदनीय व्यवसाय में धकेल दिया जाता है। कई बार कुछ दंपति बालक को गोदनामा ले लेते हैं एवं बाद में उसे अपने बालक की तरह नहीं पाल कर उससे एक श्रमिक की तरह न केवल कार्य लिया जाता है वरन उसे प्रताड़ित भी किया जाता है और बिना कोई व्यय किए या मजदूरी का भुगतान किए उसका शोषण किया जाता है वह बालक कई प्रकार के उत्पीड़न का भी शिकार होता है।

तालिका संख्या – 2.1

बाल श्रमिकों के शोषण का स्वरूप

क्र.सं.	बाल शोषण का आधार	शोषण की विभिन्न प्रकृति		
1.	उत्पादन का क्षेत्र	प्राथमिक क्षेत्र (कृषि पशुपालन)	द्वितीयकी क्षेत्र (उद्योग एवं विनिर्माण)	तृतीयकी क्षेत्र सेवा क्षेत्र (होटल, ढाबा, परचूनी)
2.	बाल श्रमिकों की स्वतंत्रता	कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता	कार्य करने की आंशिक स्वतंत्रता	स्वतंत्रता का अभाव या बंधुआ मजदूर
3.	बाल श्रमिकों के पारिश्रमिक की कार्यावधि	पूर्णकालिक कार्यावधि	अंशकालिक कार्यावधि	निर्धारित कार्यावधि या (समय सीमा)
4.	बाल श्रमिक के पारिश्रमिक एवं भुगतान की पद्धति	मासिक, साप्ताहिक या दैनिक मजदूरी	मात्रा अथवा निश्चित संख्या के आधार पर	निश्चित कार्य करने के उपरांत
5.	बाल श्रमिक के नियोजनकर्ता	मालिक के अधीन	परिवार के सदस्यों के साथ	ठेकेदार अथवा एजेन्ट के माध्यम से
6.	कार्य के जोखिम का स्वरूप	गैर खतरनाक कार्य	कम खतरनाक कार्य	अति खतरनाक कार्य
7.	बाल शोषण एवं संगठनात्मकता	संगठित क्षेत्र	असंगठित क्षेत्र	अर्द्ध संगठित क्षेत्र
8.	उत्पादन कार्य का परिसर	मालिक के यहां परिवार से अलग	परिवार के साथ या घर पर	सम्बन्धियों के यहां

2.5.1 उत्पादन क्षेत्र एवं शोषण का स्वरूप

उत्पादन क्षेत्र के अन्तर्गत तीन क्षेत्र आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जहाँ कृषि, पशुपालन आदि से संबंधित कार्य आते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बाल श्रमिक कार्य करते हैं, इसी प्रकार द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं। बाल श्रमिकों का सर्वाधिक शोषण इसी क्षेत्र में होता है एवं बालकों की सुकुमार अवस्था के कारण उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तृतीयक क्षेत्र जिसमें सेवा क्षेत्र मुख्य आता है, यहाँ बाल श्रमिक विभिन्न होटल, ढाबा, परचूनी की दुकान एवं अन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में कार्यरत होते हैं।

2.5.2 बाल श्रमिकों की स्वतंत्रता

बाल श्रमिकों को उनके कार्यानुसार स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जैसे जब बालक नियोक्ता के यहाँ से उत्पादन सामग्री लाकर घर पर कार्य करता है, तो वह पूर्ण स्वतंत्र होता है कि वह उस कार्य को किस प्रकार एवं कब करेगा ? लेकिन जब वह नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है, तब उसे सीमित स्वतंत्रता ही प्राप्त होती है, लेकिन जब बालक को उसके माता–पिता स्वयं के द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने हेतु अथवा स्वयं की जगह बालक को गिरवी रखकर खुद स्वतंत्र हो जाते हैं वहाँ बालक पूर्ण रूप से परतन्त्र हो जाता है, उसे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है।

2.5.3 बाल श्रमिकों के पारिश्रमिक की कार्यावधि

बाल श्रमिक को परिश्रम के आधार अथवा कार्यावधि के आधार पर जो भुगतान किया जाता है। बाल श्रमिकों को पूर्णकालिक, अंशकालिक, दैनिक अथवा पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

2.5.4 बाल श्रमिक के पारिश्रमिक एवं भुगतान की पद्धति

बाल श्रमिकों को पारिश्रमिक किस पद्धति के तहत किया जाता है, यह कई बातों पर आधारित होता है, जैसे बालक को मासिक अथवा सप्ताह के हिसाब से भुगतान किया जाता है अथवा उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उसकी मात्रा एवं संख्या के आधार पर उसका भुगतान किया जाता है अथवा एक निश्चित कार्य के अन्तर्गत जैसे फैक्ट्री में कार्यरत बाल श्रमिकों को भुगतान उनके निश्चित कार्य करने के उपरान्त दिया जाता है, जैसे ईंट भट्टा उद्योग या अगरबत्ती फैक्ट्री में कार्य करना, जहाँ नग के उत्पादन के हिसाब से भुगतान किया जाता है।

2.5.5 श्रमिकों के नियोजनकर्ता

जब बालक किसी प्राइवेट मालिक के अधीन कार्य करता है तो वहाँ सर्वाधिक शोषण की आशंका रहती है, लेकिन जब वह अपने परिवार के साथ ही नियोजन कार्य में संलग्न रहता है जैसे घरेलू कुटीर उद्योग तो वहाँ उसका शोषण नहीं के बराबर होता है लेकिन जब वह ठेकेदार या एजेंट के अधीन कार्य करता है तो, उसके शोषण की संभावना बनी रहती है।

2.5.6 कार्य के जोखिम का स्वरूप

बालक के कार्य विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कुछ कार्य गैर जोखिमपूर्ण होते हैं अतः उसमें उसके शारीरिक और मानसिक जोखिम का खतरा नहीं होता हे कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कम खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ उसे खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है, जैसे चूड़ी उद्योग, ताला उद्योग आदि।

2.5.7 बाल शोषण एवं संगठनात्मकता

जब बालक संगठित क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य करता है तो उसके शोषण एवं जोखिम की संभावना न्यून होती है, लेकिन जब वह असंगठित या अर्द्ध संगठित क्षेत्र में कार्य करता है तो

यहाँ पर उसका सर्वाधिक शोषण किया जाता है और ऐसे उद्योगों में बाल श्रमिकों की पहचान भी मुश्किल होती है क्योंकि ऐसे उद्योग क्षेत्र असंगठित होने के कारण रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्य के अतिरिक्त भी उनका मानसिक, शारीरिक एवं यौन शोषण किया जाता है। उन्हें कानून के द्वारा निर्धारित समयावधि से बहुत अधिक घंटे तक कार्य करना पड़ता है। विश्व के देशों में यदि हम स्थिति का आंकलन करें तो प्रत्येक चार बच्चों में से एक बच्चा बाल श्रमिक होता है जिनकी उम्र मात्र 10 से 14 वर्ष की होती है और लगभग 50ः बालक रोजाना 9–10 घंटे या उससे अधिक समय तक कार्य करते हैं। संख्या के आधार पर यदि हम बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में ही लगे होते हैं, लेकिन उनका सर्वाधिक शोषण औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों में होता है एवं भारत में अधिकांश बच्चे घरेलू कार्यों या उद्योग धंधों अथवा कृषि क्षेत्र में ज्यादा कार्यरत है न कि बड़े कारखानों में। जैसा कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति के पश्चात देखा गया था।

2.5.8 उत्पादन कार्य का परिसर

बाल श्रमिक को कार्य करने हेतु उसे या तो मालिक द्वारा निर्धारित स्थान पर कार्य करना पड़ता है, जैसे घरेलू सहायक, मालिक के परिसर में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बालक या तो स्वयं के परिसर अथवा सम्बन्धियों के परिसर में भी कार्य करता है। यदि बालक को नग के हिसाब से कार्य करने को दिया जाता है तो वह इस कार्य को घर पर अथवा संबंधियों के यहां रहकर भी कर सकता है जैसे बीड़ी बनाना, गोटा लगाना, आरा तारी का कार्य करना आदि।

यद्यपि सरकार बालकों को बालश्रम एवं शोषण से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, जैसे अनिवार्य प्राथमिक निशुल्क शिक्षा व्यवस्था, मिड डे मिल, बालिकाओं की फीस माफ एवं विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति आदि प्रदान कर भरसक प्रयास करती है। किन्तु इतना सब कुछ करने के बाद भी बालक विद्यालय नहीं पहुंच कर श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं। बाल श्रमिकों का अधिकतर भाग पिछड़े वर्ग, निम्न जाति एवं वर्गों के लोगों वाला होता है। इसके अतिरिक्त कृषि का मशीनीकरण होना बेकारी को बढ़ाने वाला होता है जिससे लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है, जिसके कारण बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है।

अतः यह प्रश्न हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है ? यदि हम निम्न वर्ग के बाल श्रमिकों की बात करें, जो कि संख्या में सर्वाधिक होते हैं तो हम पाते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतियों के सिद्धांतीकरण एवं व्यावहारिकता में अंतर है। सरकार एवं अन्य संस्थाएँ बाल श्रम के उन्मूलन हेतु नीति एवं कानून तो बना देती हैं किन्तु उन पर कठोरता से अमल नहीं कर पाती हैं और न ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल कोई सख्त कदम उठाया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई बालकों को विद्यालय में यद्यपि निशुल्क शिक्षा तो प्रदान की जाती है किन्तु उन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करने के

कारण प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है। भारत में शिक्षा सामाजिक वर्ग के अनुसार बालकों को अलग–अलग करके मुख्यतः विभिन्नीकरण का उपकरण बनी है।[29]

कई बार विद्यालय जो कि शिक्षा का आंगन कहलाता है, वहाँ बैठे शिक्षक भी ऐसे बालकों के प्रति बेरूखी ओढ़ लेते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि निम्न वर्ग या सड़कों पर रहने वाले या मैले कुचले कपड़े पहने हुए कोई बालक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करे। अभी 2022 में हाल ही की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया जब एक नौ वर्षीय अबोध दलित बालक ने शिक्षक की मटकी से पानी क्या पिया उसे शिक्षक द्वारा इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। यह घटना 20 जुलाई 2022 में जालौर के सुराणा गांव में तीसरी कक्षा के छात्र इन्द्रकुमार मेघवाल द्वारा शिक्षक छेलसिंह की मटकी से पानी पीने पर पिटाई से मौत की है।[30]

अतः स्पष्ट है कि बाल शोषण को मजबूत सुरक्षा तंत्र एवं संरक्षण प्रणाली बनाकर ही रोका जा सकता है। बालकों के लिए गुणात्मक शिक्षा प्रणाली अपनाई जानी चाहिए एवं उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। बालकों को बालश्रम से बचाने के लिए एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा हेतु जन सहयोग एवं उनकी सक्रिय भूमिका अपरिहार्य है। समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को एवं विशेष रूप से बुद्धिजीवियों को बालकों के हित स्वरूपीकरण हेतु आगे आना चाहिए, समाज एवं बालकों के कल्याण हेतु अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

हमें उन कार्यक्रमों या व्यावसायिक पद्धति और उन्हें जोड़ने वाली कड़ी का विकल्प खोजना ही पड़ेगा जिसके कारण बाल श्रम जन्म लेता है। "बच्चे काम के मोर्चे पर" शीर्षक के तहत यह चेतावनी दी है कि यदि बालक प्रारंभिक आयु में ही काम पर जुट जाता है तो वह सामाजिक पीढ़ी के निचले पायदान पर ही हमेशा बना रहेगा क्योंकि वो हमेशा अकुशल रोजगार में ही बना रह पाएगा। बाल श्रम के स्वरूप से यह भी स्पष्ट होता है कि बालश्रम या रोजगार के कारण जहाँ वयस्क रोजगारी में कमी आती है, वहीं दूसरी ओर विशेष रूप से विकासशील देशों में बाल मजदूरी की प्रवृत्ति उनके वयस्क होने पर उनके रोजगार की स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालती है क्योंकि उसका बचपन समाप्त होते ही उन्हें या तो नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनकी अंगुलियाँ अब उतनी लचीली नहीं रह पाती जितनी की बचपन में थी या उन्हें हमेशा के लिए अकुशल रोजगार में ही बना रहना पड़ेगा। इस प्रकार बाल श्रम का दुष्चक्र उसके वयस्क होने पर भी चलता रहेगा।

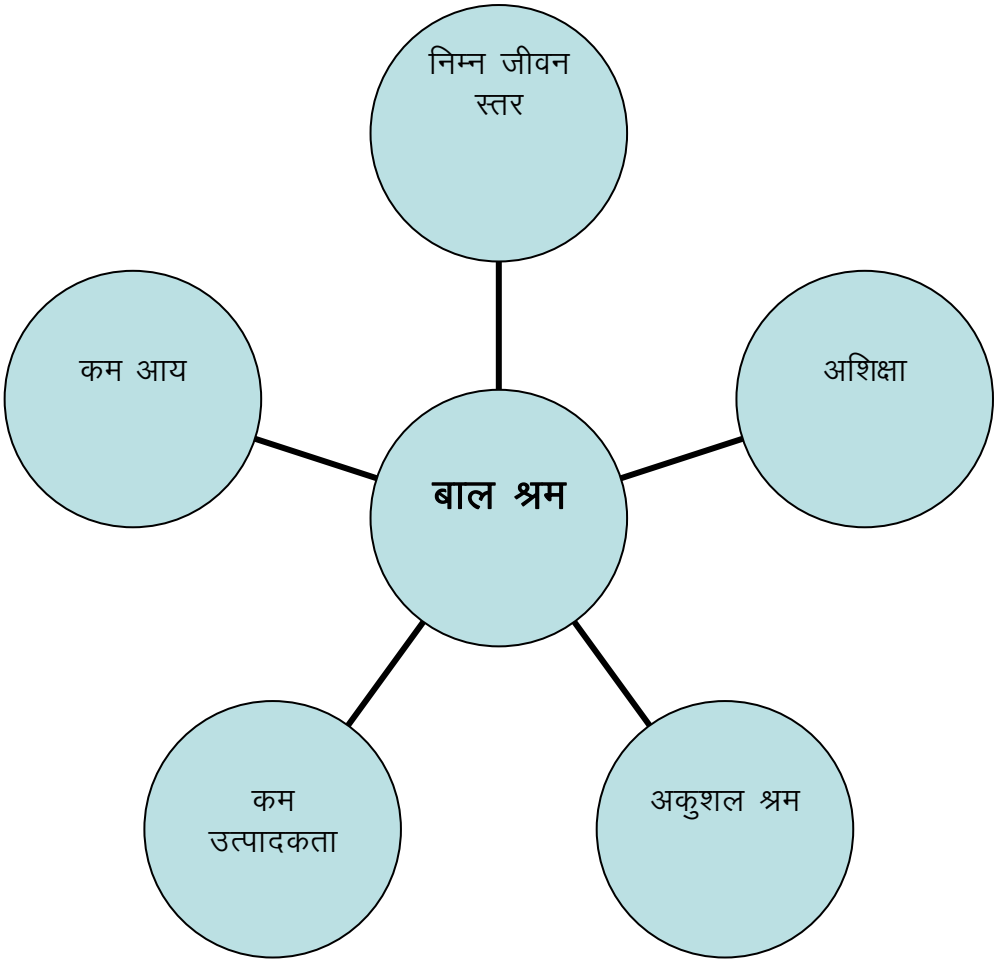

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों का शोषण नियोक्ता द्वारा विभिन्न प्रकार से किया जाता है, जिसके कारण बालक अपनी मजबूरी एवं आवश्यकता के बदले अपना बचपन बेचते हैं। हमें इस समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सके करना पड़ेगा।

2.6 बाल श्रम की वर्तमान स्थिति एवं स्वरूप

बालश्रम वैश्विक स्तर पर एक चुनौती बना हुआ है। यदि हम बालश्रम का आंकलन करें तो वैश्विक अनुमान बताते हैं कि विश्व में प्रत्येक 10 में से एक बालक बाल श्रम करने पर मजबूर है। जिसका मुख्य कारण परिवार की आर्थिक कठिनाई है, किंतु उसका दुष्प्रभाव बालक की सुरक्षा एवं संरक्षण पर बहुत अधिक पड़ता है। 2020 में लगभग 160 मिलीयन बाल श्रमिक थे, जिनमें से 63 मिलियन लड़कियां एवं 97 मिलीयन लड़के थे। किंतु कोविड–19 के कारण स्कूलें बंद होने, परिवार के मुखिया को काम नहीं मिलने या परिवार की कमाई के कारण बाल श्रम के सबसे बुरे हानिकारक रूप में बालक कार्य करने को मजबूर हो गए हैं। जहाँ 2020 में

बाल श्रम 160 मिलीयन था, वह कोविड–19 की वजह से मात्र दो वर्षों में ही 2022 के अंत तक 9 मिलीयन अतिरिक्त बालक बाल श्रम में धकेले गए।[31] यद्यपि बालक जो कि पांच से सत्रह वर्ष की आयु वर्ग का है, वैतनिक एवं अवैतनिक रूप में नियमित कार्य करता रहता है, किंतु ऐसे कार्य के कारण उसे उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता, मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मनोरंजन के अवसरों के साथ समझौता करना पड़ता है। कई बार गृह युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, आपदा या गरीबी के कारण बालक न केवल दुर्व्यवहार का शिकार होता है वरन उनके मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है। बालिका बाल श्रमिकों को अक्सर ऐसी स्थितियों में यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ऐसे देश में जहाँ सशस्त्र संघर्ष होता है, वहाँ प्रभावित देशों में खतरनाक काम की घटना वैश्विक औसत से लगभग 50ः अधिक होती है। लगभग 30 मिलीयन बालक अपने जन्म के देश से दूसरे देश में रहते हैं जिस कारण उन्हें खतरनाक कार्यों को करने एंव उनकी एवं मानव अंगों की तस्करी आदि का खतरा बढ़ जाता है।

2.6.1 क्षेत्र के आधार पर बाल श्रमिकों की संख्या

विश्व में लगभग सभी देशों में बालश्रम प्रचलित है किन्तु अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में यह अधिक है। विश्व के विभिन्न देशों में क्षेत्र के आधार पर यदि हम बाल श्रम का विश्लेषण करें तो निम्न तालिका द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति का आंकलन कर सकते हैं।

तालिका संख्या – 2.2

क्षेत्र के आधार पर बाल श्रमिकों की संख्या

क्षेत्र	संख्या (मिलियन)	खतरनाक उद्योग (मिलियन)
सहारा अफ्रीका	86.6	38.6
अरब देश	2.4	1.9
एशिया प्रशांत	48.7	22.2
यूरोप मध्य एशिया	8.3	7.9
लेटिन अमेरिका केरेबियन	8.2	5.5

स्त्रोत : चाईल्ड लेबर, ग्लोबल एस्टीमेट, 2020

लेखाचित्र संख्या 3.1
क्षेत्र के आधार पर बाल श्रमिकों की संख्या

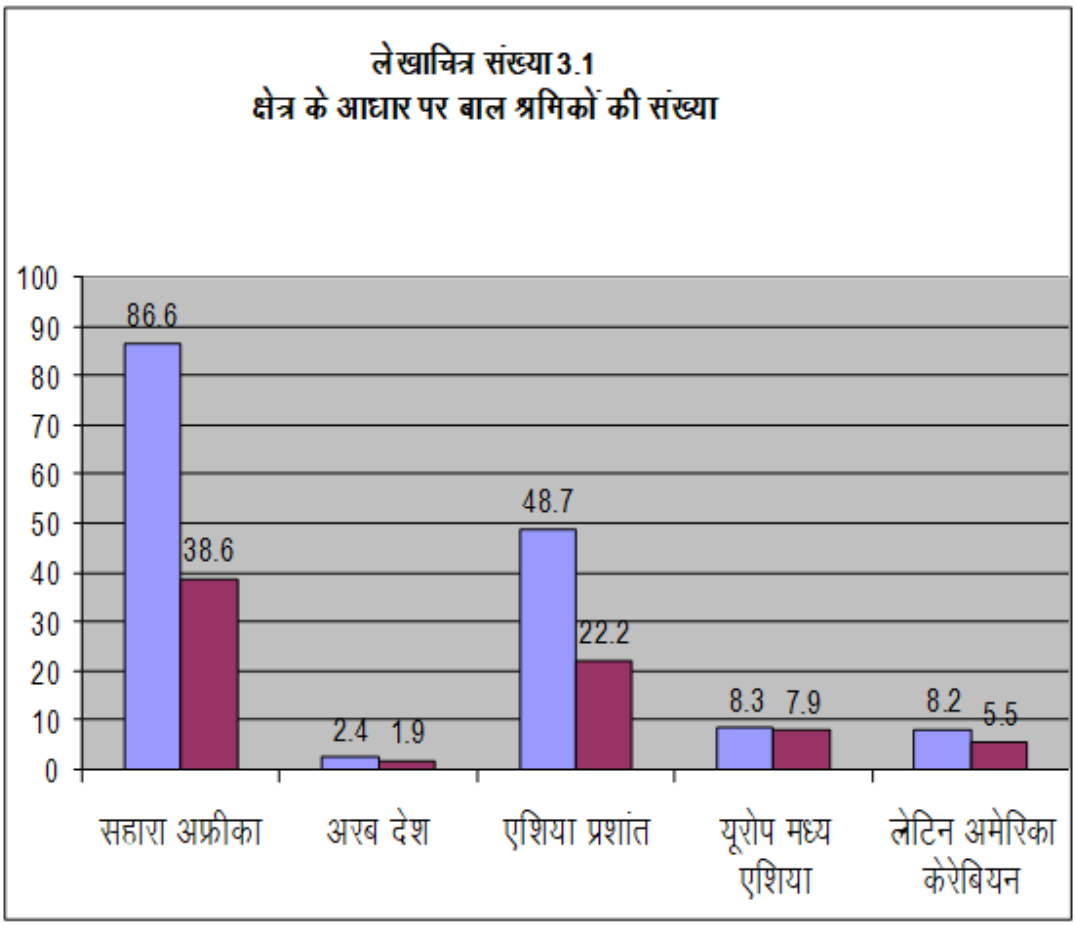

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्व में सर्वाधिक बाल श्रमिक उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में हैं जहाँ 160 मिलीयन बाल श्रमिकों में से 86.6 मिलीयन बाल श्रमिक कार्यरत हैं जबकि 38.6 मिलीयन बाल श्रमिक खतरनाक उद्योगों में लगे हैं एवं सबसे कम बाल श्रमिक अरब देश में हैं जिसका कारण वहाँ के सख्त एवं कठोर कानून एवं नियम हैं, जिनके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाता है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में 48.7 मिलीयन बालक बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं इनमें से 22.2 मिलीयन बाल श्रमिक हानिकारक उद्योगों में कार्यरत हैं। यूरोप में यह आंकड़ा 8.3 मिलीयन है, जिसमें से 7.9 मिलीयन बालक खतरनाक उद्योगों मे काम करते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व में बाल श्रमिकों की स्थिति भयावह है।

2.6.2 खतरनाक उद्योगों में लगा बाल श्रम

तालिका संख्या – 2.3

5 से 17 वर्ष की आयु वर्ग के बाल श्रमिक

2000 से 2020 तक (खतरनाक उद्योगों में)

वर्ष	बाल श्रमिकों की संख्या (मिलीयन)	बाल श्रमिकों का प्रतिशत	खतरनाक उद्योगों में लगा बाल श्रमिकों की संख्या (मिलीयन)	खतरनाक उद्योगों में लगा बाल श्रमिकों का प्रतिशत
2000	245.5	16:	170.5	11.2
2004	222.3	14.2:	128.4	8.2
2008	215.2	13.6:	115.3	7.3
2012	168.0	10.6:	85.3	5.4
2016	151.6	9.6:	72.5	4.6
2020	160.0	9.6:	79.0	4.7
2022	169	9.7:	82.0	4.7

स्त्रोत :– चाइल्ड लेबर–ग्लोबल इस्टीमेट, 2020

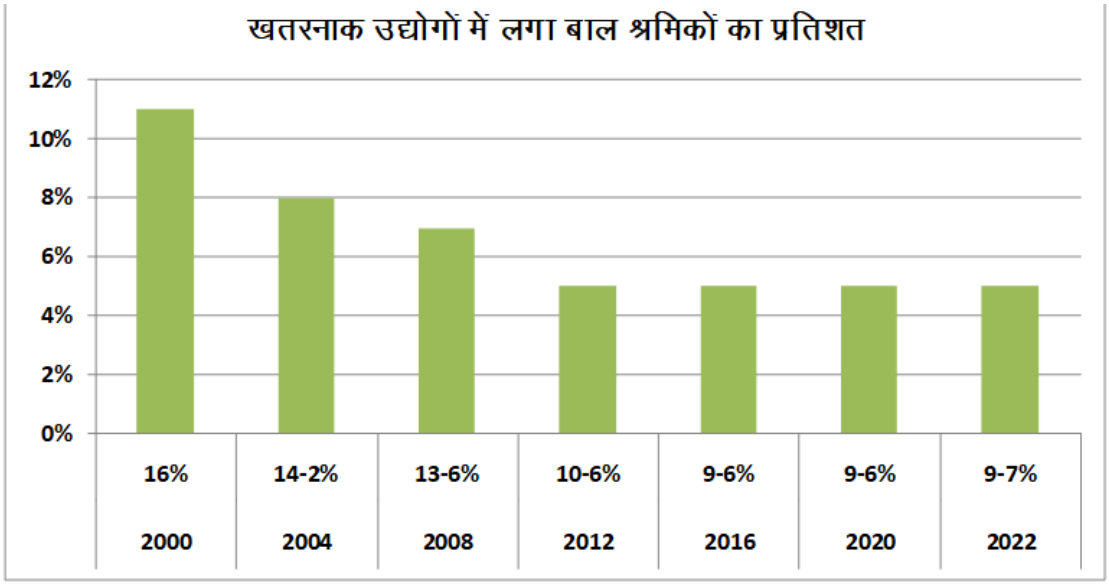

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि खतरनाक उद्योग अर्थात ऐसे व्यवसाय जो बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक रूप से हानिकारक होते हैं इसके

अन्तर्गत स्पष्ट है कि जहाँ सामान्य बाल श्रमिकों की संख्या 160 मिलीयन अर्थात 9.6ः है, वहीं खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बाल श्रमिकों की कुल संख्या जहाँ 2016 में 72.5 मिलीयन थी वह बढ़कर 2022 में 79 मिलीयन हो गई। इसी प्रकार जो प्रतिशत 2016 में 4.6 था, वह प्रतिशत बढ़कर 4.7ः हो गया। तालिका से स्पष्ट है कि बाल श्रम में वृद्धि का मुख्य कारण कोविड–19 रहा है क्योंकि 2016 में जहाँ बाल श्रमिकों की संख्या 151 मिलीयन थी वह 2020 में बढ़कर 160 मिलीयन हो गई एवं 2022 में 169 मिलीयन हो गई। इसी प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि सन् 2000 में बाल श्रमिकों का प्रतिशत 16 था, वह विभिन्न कानूनों एवं प्रावधानों के कारण 2016 में मात्र 9.8 प्रतिशत रह गया एवं 2020 में 9.6 प्रतिशत ही रह गया किन्तु कोविड–19 के कारण वयस्क बेरोजगारी बढ़ने के कारण बालश्रम समाधान के प्रयासों में कमी आई जिसके कारण बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो गई।

2.6.3 उत्पादन के क्षेत्रानुसार बाल श्रमिक

तालिका संख्या – 2.4

उत्पादन के क्षेत्रों में बालश्रम की स्थिति

क्षेत्र	5–17 वर्ष के बालकों की संख्या (मिलियन में)	5–17 वर्ष के बालकों का प्रतिशत
प्राथमिकी क्षेत्र (कृषि, पशुपालन)	112	70ः
द्वितीयकी क्षेत्र (उद्योग व्यवसाय)	16.5	10ः
तृतीयकी क्षेत्र (सेबी क्षेत्र)	31.4	20ः

स्त्रोत :– यूनिसेफ/यूएन 0392589/कोलारी

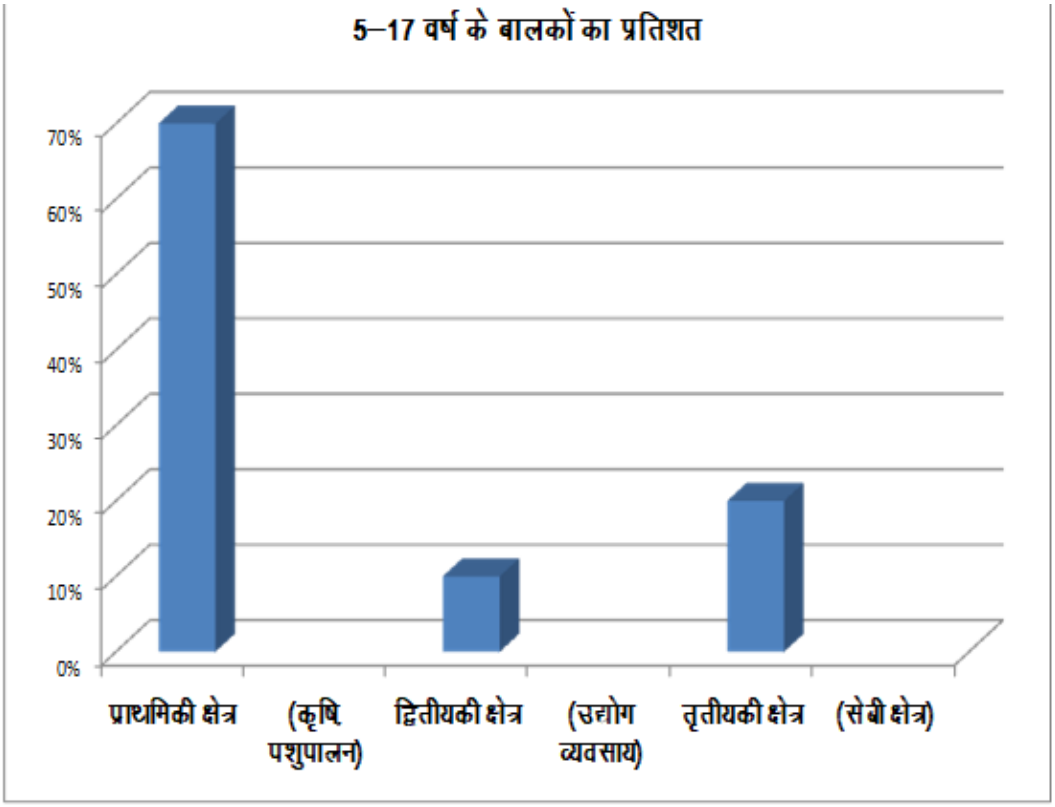

विश्व में लगभग सभी देशों में बाल श्रमिक उत्पादन के तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। सर्वाधिक बाल श्रमिक लगभग 70ः बालक प्राथमिकी उत्पादन क्षेत्र कृषि में कार्यरत है एवं तत्पश्चात 10.3ः बालक द्वितीयकी क्षेत्र (उद्योगों) में कार्यरत है। सेवा क्षेत्र में लगभग 19.7ः बाल श्रमिक कार्य करते हैं जैसे होटल, ढाबा, किराना स्टोर, घरेलू सहायक, रेल्वे स्टेशन या बस स्टैण्ड पर सामान बेचना आदि।

अतः स्पष्ट है कि बाल श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड–19 महामारी के कारण बालश्रम उन्मूलन के प्रयास प्रभावित हुए हैं।

2.6.4 बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा बालश्रम की अधिक दर (प्रतिशत)

सामान्यतः बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा बालश्रम की अधिक दर पाई जाती है। शुरूआत में बालिका बाल श्रमिक जल्दी ही बालश्रम में लग जाती हैं एवं बालक बाल श्रमिक इस व्यवसाय में बालिकाओं की अपेक्षा देरी से आते हैं लेकिन बाद में वे लम्बे समय तक कार्य करते हैं।

तालिका संख्या –2.5

बालकों में बालिकाओं की अपेक्षा बालश्रम की अधिक दर (प्रतिशत में)

आयु वर्ग	बालक	बालिकाएँ	कुल
5–11	10.9	8.4	9.7
12–14	11.0	7.5	9.3
15–17	12.2	6.6	9.5
5–17	11.2	7.8	9.6

स्त्रोत :– ग्लोबल इस्टीमेट 2020 आई.एल.ओ. एवं यूनिसेफ की रिपोर्ट

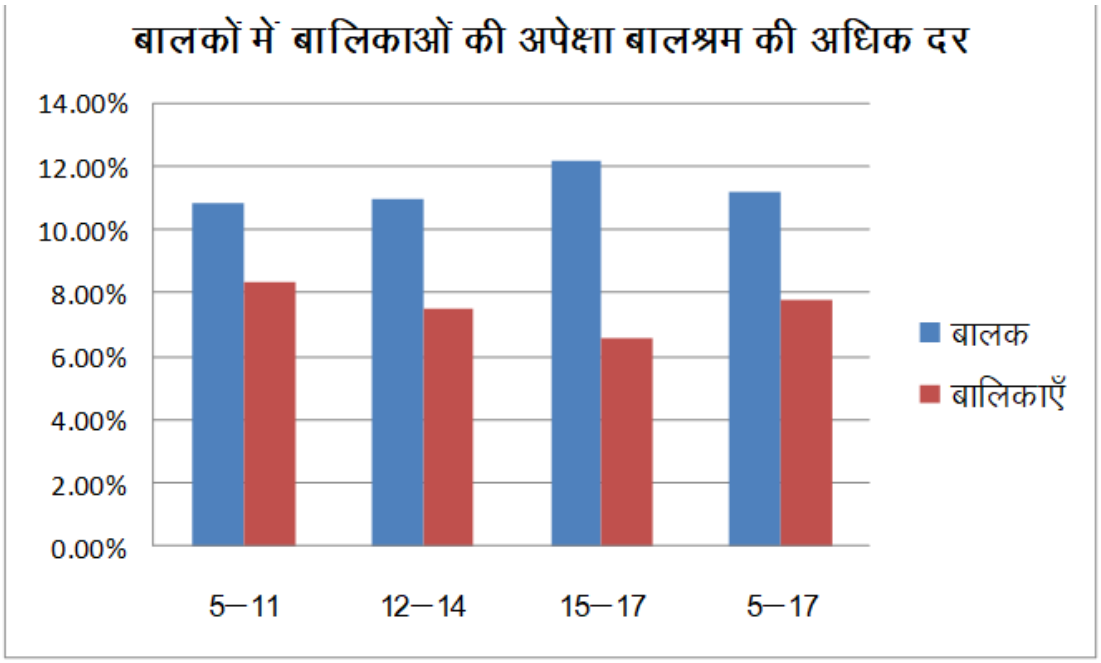

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालश्रम की दर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक पाई जाती है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि 5–11 वर्ष आयु वर्ग के बाल श्रमिक लड़कों का प्रतिशत जहाँ 10.9: है वहीं लड़कियों का प्रतिशत 8.4 था। इसी प्रकार 15 से 17 वर्ष की आयु वर्ग में जहाँ 12.2 प्रतिशत लड़के बाल श्रमिक थे वहीं लड़कियों का प्रतिशत मात्र 6.6 था।

इस प्रकार कुल बालक बाल श्रमिकों का प्रतिशत 11.2 था वहीं बालिका बाल श्रमिकों का प्रतिशत मात्र 7.8 प्रतिशत था, इसी प्रकार बालिका बाल श्रमिक जहां कार्य करती है वहां उनकी श्रमिक के रूप में पहचान मुश्किल होती है इस कारण उनके सर्वेक्षण के विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव होता है।

अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुमान के अनुसार भारत में कुल बालकों का लगभग 12.7 प्रतिशत बाल श्रमिक की क्षेणी में आता है।[36]

2.6.5 बाल श्रमिक की विद्यालय से दूरी :–

विश्व में लगभग 1/3 बाल श्रमिक विद्यालय नहीं जाते हैं जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका संख्या –2.6

5–14 साल की उम्र के बालकों में से 1/3 बाल श्रमिक विद्यालय नहीं जाते हैं।

आयु वर्ग	विद्यालय से दूर बाल श्रमिकों की संख्या
5–11 वर्ष	27.7 करोड़
12–14 वर्ष	35.2 करोड़
15–17 वर्ष	53.2 करोड़
कुल	35 करोड़

स्त्रोत :– ग्लोबल इस्टीमेट 2020 आईएलओ व यूनिसेफ की रिपोर्ट

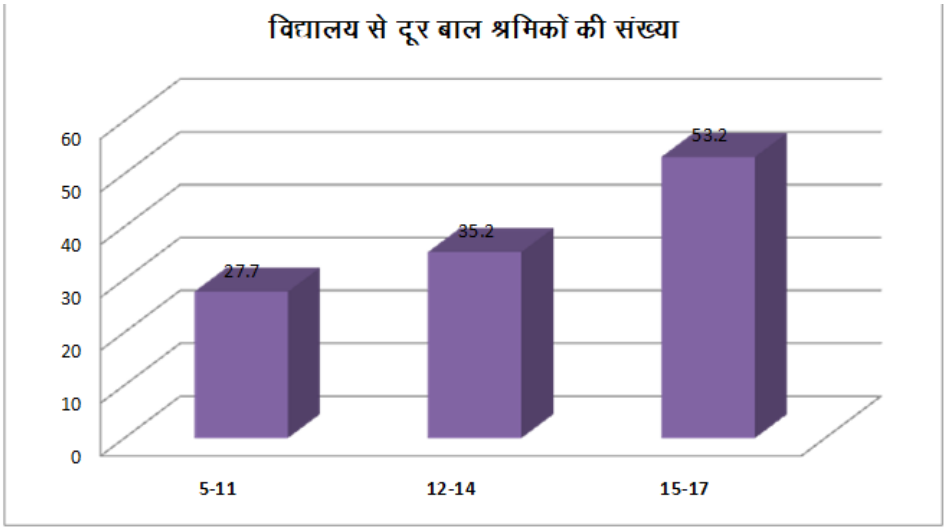

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि 5–11 वर्ष की आयु के लगभग 2.77 करोड़ बालक जो लगभग 28 प्रतिशत है विद्यालय से दूर हैं। जबकि 12–14 वर्ष की आयु के लगभग 3.52 करोड़ बालक जो लगभग 35 प्रतिशत है, वे विद्यालय से दूर हैं ऐसे बालक या तो विद्यालय में नामांकित ही नहीं हैं अथवा नामांकित भी हैं तो वे विद्यालय नहीं जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसार 5–14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक जिनकी संख्या 20.3 करोड़ है उनमें से लगभग 11.1 करोड़ से ज्यादा बालक विद्यालय नहीं जाते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम आंकलन कर सकते हैं कि बालश्रम की समस्या न केवल किसी देश विशेष की ही समस्या है वरन विश्व के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है और इसके समाधान हेतु वर्तमान सभ्यता की ओर आशापूर्ण दृष्टि से देख रही है कि किस प्रकार बालश्रम समस्या का उन्मूलन संभव है और इस समस्या के दुष्परिणाम अथवा प्रभावों को कैसे कम अथवा समाप्त किया जा सकता है।

भारत में बालश्रम का स्वरूप

भारत में बालश्रम सनातन काल से ही चला आ रहा है। इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। बालश्रम का सीधा सम्बन्ध गरीबी, निरक्षरता, जागरूकता का अभाव एवं कानूनी व संवैधानिक प्रावधानों का समुचित रूप से पालन नहीं होने के कारण से है। भारत में बालश्रम का स्वरूप भयावह है क्योंकि यहां बालक अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र प्राथमिक, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में अनवरत कार्य करते हुए पाए जा सकते हैं। यदि हम वर्ष 2011 की जनगणना का विश्लेषण करे तो हम पाऐंगे कि देश में 33 प्रतिशत बालश्रम खेती से जुड़े हैं।

2011 में 5–14 वर्ष की आयु के कुल 25.96 करोड़ बच्चों में से 1.01 करोड़ बाल श्रमिक की श्रेणी में थे। जबकि गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाल श्रमिक की संख्या लगभग 5 करोड़ थी। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल बालश्रम का 12 प्रतिशत भाग भारत में है।

तालिका संख्या – 2.7

जनगणना 1971–2011 के अनुसार बाल श्रमिकों की स्थिति

क्र.सं.	भारत/राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	1971	1981	1991	2001	2011
1	**भारत**	**10753985**	**13640870**	**11285349**	**12666377**	**11720724**
2	आंध्रप्रदेश	1627492	1951312	1951312	1363339	753004
3	अरूणाचल प्रदेश	17925	17950	12395	18482	20082
4	आसाम	239349		327598	351419	347353
5	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500	1288321
6	छतीसगढ़	–			364572	297535
7	दिल्ली	17120	25717	27351	418999	38939
8	गोवा	–		4656	4138	11323
9	गुजरात	518061	616913	523585	485530	506496
10	हरियाणा	137826	194289	109691	253491	138983
11	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774	136053

12	जम्मू एण्ड कश्मीर	70489	258437		175630	143460
13	झारखंड	—			407200	472831
14	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615	453215
15	केरल	111801	92854	34800	26156	57602
16	मध्यप्रदेश	1112319	1698597	1352563	1085259	806546
17	महाराष्ट्र	988357	1557756	1068427	764075	774815
18	मणीपुर	16380	20217	16493	28836	41770
19	मेघालय	30440	44916	34633	53940	51205
20	मिजोरम	—	6314	16411	26265	8366
21	नागालैण्ड	13736	16235	16467	45874	70268
22	उड़ीसा	492477	702293	452394	377594	425546
23	पंजाब	232774	216939	142868	177268	205847
24	राजस्थान	587389	819605	774199	1262570	960549
25	सिक्किम	15661	8561	5598	16457	11020
26	तमिलनाडु	713305	975055	578889	418801	321002
27	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21756	17808
28	उत्तरप्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997	2540375
29	उत्तराखंड	—			70183	91436
30	पश्चिम बंगाल	11443	605263	711691	857087	716576

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालश्रम की दर में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जहां 1971 में 10753985 बाल श्रमिक थे, उसमें वृद्धि के पश्चात 1981 में 13640870 अर्थात् 13.6 मिलियन बाल श्रमिक हो गये जो कि कुल आबादी का 2 प्रतिशत था। 1991 में यह प्रतिशत गिरकर 1.34 रह गया और 2001 में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 12.66 मिलियन थी जो कि जनसंख्या का 1.23 प्रतिशत था। 2011 में बाल श्रमिक बढ़कर 11720724 हैं। अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन एंव यूनिसेफ के अनुसार सन् 2016 में जहां 9.40 करोड़ बाल श्रमिक थे वे अब बढ़कर 16 करोड़ हो गए हैं। इस प्रकार उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1971–1981 के मध्य बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु 1981 एवं 1991 के मध्य बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट देखी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहां 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 1 करोड़ 26 लाख थी वह बाल श्रम उन्मूलन के प्रयासों के

फलस्वरूप 2011 में घटकर 1 करोड़ 17 लाख रह गई। इसका मुख्य कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं अनुच्छेद 1921 के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करना, बालकों को विद्यालय में मिड–डे मिल, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें आदि उपलब्ध कराना एवं वयस्क रोजगार हेतु विभिन्न योजनाऐं एवं कार्यक्रमों जैसे नरेगा, महानरेगा, शहरी रोजगार गारंटी योजना आदि का क्रियान्वयन किया जाना, जिसके कारण बाल श्रमिकों की संख्या में कमी आई है किन्तु कोविड–19 के पश्चात् बाल श्रमिकों की संख्या में पुनः वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है।

2.7 बालश्रम समस्या के प्रभाव

प्रत्येक बालक को जन्म के साथ ही यह अधिकार प्राप्त होता है कि उसे शिक्षा, मनोरंजन एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु समाज एवं राज्य द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। क्योंकि बालक जो कि देश का भावी नागरिक है उसके व्यक्तित्व के विकास एवं उन्नति हेतु यह आवश्यक है कि बालक को समाज में समान रूप से उन्नति के अवसर प्राप्त हो एवं अन्य मनुष्य की तरह जीने का अधिकार भी प्राप्त हो और यह अधिकार एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। किन्तु जब बाल श्रमिक का बचपन काम के तले दबकर रह जाता है उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है और अपने आप को सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक समस्त स्तरों पर समझौता करना पड़ता है तब उसमें सामाजिक असंतोष, ग्लानि एवं अपराध की भावना उत्पन्न होने लगती है और वह स्वयं को समाज की मुख्यधारा से अलग करने की सोचने लगता है। खतरनाक उद्योगों में कार्य करने के कारण उसका बचपन कार्य रूपी भट्टी में जल कर खाक हो जाता है, वह विभिन्न बिमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, एवं वेतन के लिए कार्य करता है वह बाल श्रमिक है।[39]

स्पष्ट है कि बालश्रम का प्रभाव बालकों पर ही नहीं पड़ता है वरन इसके दूरगामी प्रभावों से देश भी प्रभावित होता है। बालश्रम के प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- शारीरिक प्रभाव
- मानसिक प्रभाव
- स्वास्थ्य पर प्रभाव
- शैक्षणिक प्रभाव
- सांस्कृतिक प्रभाव
- सामाजिक प्रभाव
- मनोरंजन, विश्राम, खेलकूद आदि गतिविधियों पर प्रभाव
- तकनीकी योग्यता में कमी
- विस्थापना एवं असुरक्षित प्रवासन
- बाल अपराध की प्रवृति का विकास
- बालकों से दुर्व्यवहार

2.7.1 शारीरिक प्रभाव

बाल श्रम के कारण बालकों का शारीरिक विकास प्रभावित होता है, कम उम्र में ही अधिक मात्रा में शारीरिक श्रम करने के कारण जहाँ एक ओर उनका शारीरिक विकास अवरूद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वे कई बिमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। बाल श्रमिकों द्वारा जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य करने के कारण वे दुर्घटनाओं के शिकार भी होते हैं। कुछ उद्योगों में कार्य करने के कारण बालकों के अंग विशेष पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे कालीन उद्योगों में बालकों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनकी फुर्तीली एवं लचीली अंगुलियां तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम होती है बाद में उनकी अंगुलियों में लचीलापन समाप्त हो जाता है तो उन्हें कार्य से हटा दिया जाता है। इसी प्रकार हाथकरघा उद्योग में कार्य करने एवं झुके रहने के कारण बाल श्रमिकों के पैरों एवं पीठ में विकृति पैदा हो जाती है एवं घुटनों में पानी भरने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बीड़ी उद्योग, पीतल व्यवसाय एवं चट्टान से रेत बनाने के कारण बालकों को टी.बी. दमा व सिलोकोसिस जैसी बिमारियां हो जाती हैं। इसी प्रकार माचिस उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस उद्योग, शीशा खान, पेन्सिल फैक्ट्री, कांच उद्योग एवं चटाई उद्योग आदि में बाल श्रमिकों का दर्दनाक शोषण होता है।[40]

इसी प्रकार बाल श्रमिकों के कार्य स्थलों की दशाएँ इतनी शोचनीय होती है कि बालकों को अंधेरे कमरे में लगातार कार्य करना पड़ता है वहाँ आवश्यक साफ–सफाई नहीं होती है परिणामस्वरूप उनकी आँखों की रोशनी अत्याधिक प्रभावित होती है जब ऐसे बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जाता है अथवा छुड़ाया जाता है तो ये बालक सूर्य की रोशनी को भी सहन नहीं कर पाते हैं।

2.7.2 मानसिक प्रभाव

जब बालक अपने विद्यालय जाने अथवा खेलकूद के समय को कार्य करने में व्यतीत करता है तो उसका बौद्धिक विकास अवरूद्ध हो जाता है जिस समय बालकों को शैक्षणिक व मनोरंजक गतिविधियों में लगाना चाहिए। उस समय में बालक लोगों की किसी होटल, ढाबों पर झूठन उठाने, जोखिमपूर्ण कार्य करने एवं नियोक्ता व ग्राहकों की गाली–गलौच सुनने व कार्य करने आदि में व्यतीत करता है। बालक के कार्य के घण्टे उसके शिक्षण एवं आराम में बाधा डालते हैं।

2.7.3 स्वास्थ्य पर प्रभाव

बाल श्रमिक विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं जिसका उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया जा सकता है कि किस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया का बालक के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।[41]

तालिका संख्या –2.8

अलग–अलग प्रकार के खतरनाक कार्यों से उत्पन्न बीमारियाँ

क्र.सं.	व्यवसाय	पैदा होने वाली बीमारियाँ
1	पीतल बर्तन निर्माण	तपेदिक, जलन, अपंगता, श्वास संबंधी रोग
2	ईंट भट्टा	सिलीकोसिस, ऐंठन
3	शीशा सम्बन्धी कार्य	जलन, नेत्रदोष, दमा, तपेदिक, श्वास रोग
4	रूबी एवं हीरा कटाई	नेत्र दोष
5	रद्दी चुनना	संक्रामक रोग, चर्मरोग, सिलीकोसिस, तपेदिक, दमा, सर्दी व खांसी, श्वास संबंधी रोग
6	जरी व कढ़ाई	नेत्रदोष, अपंगता
7	हस्तकरघा व पावरलूम	टीबी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, दमा, जलन, नेत्रदोष, श्वास नली शोथ
8	बीड़ी उद्योग	टी.बी., श्वास नली शोथ
9	चूड़ी उद्योग	चर्म रोग, सांस दोष, ताप आघात
10	कृषि उद्योग	चर्मरोग, स्नायू रोग, उत्तेजना, ऐंठन, कीटनाशक दवाओं के दुष्परिणाम
11	मिट्टी बर्तन निर्माण	टी.बी., दमा, सिलिकोसिस, श्वास संबंधी रोग, सर्दी खांसी
12	माचिस उद्योग	दुर्घटना, तुरन्त मृत्यु
13	स्लेट उद्योग	सिलिकोसिस
14	पत्थर व स्लेट खनन	सिलिकोसिस
15	गुब्बारा उद्योग	निमोनिया, सांस रोग, दमा, दिल का रोग
16	कालीन उद्योग	सिलोकोसिस, दमा, टी.बी., ऐंठन
17	ताला उद्योग	टी.बी., दमा

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रियाओं का बालकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

2.7.4 शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव

जब बाल श्रमिक द्वारा कार्य किया जाता है तो मात्र उसकी आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ ही प्रभावित नहीं होती हैं वरन उसकी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी प्रभावित होती हैं क्योंकि बालश्रम करने से बालक विद्यालय नहीं जा पाते और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं।

2.7.5 सामाजिक प्रभाव

जब बाल श्रमिक अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घर पर रहने की अपेक्षा बाहर कार्य करने हेतु जाता है तो वह समाज की मुख्यधारा से अलग होने लगता है जब वह अपने समवयस्क बच्चों को खेलते हुए और विद्यालय जाते हुए देखता है तो उसका मन ग्लानि से भर जाता है, जिसके कारण वह समाज में रहने एवं उनके साथ उठने–बैठने से कतराने लगता है जिसका बालक के मनोमस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

2.7.6 मनोरंजन एवं खेलकूद गतिविधियाँ एवं आराम के समय पर प्रभाव

बाल श्रमिकों को कम उम्र में ही कार्य करना पड़ता है जिसके कारण वह अपनी स्वाभाविक एवं प्राकृतिक गतिविधियों एवं मनोरंजन के साधनों से दूर होते चले जाते हैं जो उनके स्वाभाविक विकास में बाधक होते हैं। बालक खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं जिससे उनका मानसिक विकास तीव्र गति से होता है इसलिए जो समय बालकों को पढ़ने–लिखने, खेलने एवं विश्राम में व्यतीत करना चाहिए वह समय, वे बालक मजदूरी अथवा बालश्रम करने में नष्ट कर देते हैं।

2.7.7 अकुशल श्रमिक अथवा हमेशा निचले पायदान पर बने रहना

जब बालक कार्य करना शुरू कर देता है तो वह उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण से वंचित हो जाता है। परिणामस्वरूप वह हमेशा के लिए अकुशल श्रमिक ही बनकर रह जाता है और अपनी उन्नति और विकास से भी वंचित हो जाता है। परिणामस्वरूप कम मजदूरी पर अधिक श्रम करने को मजबूर हो जाता है और हमेशा के लिए समाज के निचले पायदान पर ही रह जाता है।

2.7.8 बालकों से दुर्व्यवहार

बाल श्रमिक कई बार अपने नियोक्ता के द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार भी होते हैं। नियोक्ता द्वारा इनसे अस्वस्थ वातावरण में कम मजदूरी पर अधिक समय तक कार्य करवाया जाता है और कई बार नियोक्ता बाल श्रमिक को प्रताड़ित भी करता है जैसे देरी से आने पर, कार्य भली प्रकार से नहीं करने पर, ग्राहक के नाराज हो जाने पर या कोई सामान टूट जाने पर आदि।

2.7.9 विस्थापन एवं असुरक्षित प्रवास

बाल श्रमिक को कई बार कार्य करने हेतु अपने गांव से शहर की ओर परिवार के साथ अथवा अकेले जाना पड़ता है, और प्रवासी बाल श्रमिक के रूप में कार्य करना पड़ता है, अथवा युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति में उसे विस्थापित शरणार्थी की जिंदगी जीनी पड़ती है, जहां उससे न केवल बाल श्रम करवाया जाता है वरन कई तरह से उसका शोषण भी किया जाता है।

2.7.10 वयस्क रोजगार में कमी

बाल श्रमिक के कार्य करने से वयस्क रोजगार में कमी आती है क्योंकि दो बाल श्रमिक मिलकर एक वयस्क व्यक्ति जितना कार्य करते हैं। बाल श्रमिक को मजदूरी उनके कार्य के

अनुपात में बहुत कम दी जाती है वे बिना किसी वाद–विवाद के अधिक घंटे तक कार्य कर सकते हैं। चूंकि उनका कोई संगठन भी नहीं होता है, जो उनके अन्याय के विरूद्ध आवाज उठा सके साथ ही वे अनुशासन पूर्वक कार्य भी कर लेते हैं इसलिए नियोक्ताओं की पहली पसंद कार्य हेतु बाल श्रमिक होते हैं न कि वयस्क व्यक्ति।

इस प्रकार देश में बेरोजगारी बढ़ती है। बाल श्रमिक के कार्य करने से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार की आय में वृद्धि हो रही है किन्तु वयस्क बेरोजगारी के कारण वास्तव में आय में कमी ही होती है। बाल विकास सहयोग एवं संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार बाल श्रमिकों को लगभग 12–16 घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है। इनमें से कुछ को बहुत कम मजदूरी एवं कुछ को मात्र भोजन पर ही कार्य करना पड़ता है। बाल श्रमिक द्वारा कार्य करने से विभिन्न प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं जो उसके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास को अवरूद्ध करते हैं। साथ ही उस देश के दीर्घकालीन विकास की संभावना को भी क्षीण कर देते हैं।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की बुनियाद उस राष्ट्र के बालकों की प्रगति, उन्नति एवं ऊर्जा और उनकी बुद्धिमता को समुचित उपयोग पर रखी जाती है। चूंकि बालक ही किसी राष्ट्र के भावी नागरिक होते हैं अतः बालकों का पालन–पोषण उनका शैक्षणिक एवं चारित्रिक विकास भली भांति किया जाना आवश्यक है। किन्तु जब यही बालक शिक्षा एवं मनोरंजन की अपेक्षा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य करने को विवश होते हैं तो उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास बाधित होता है और ऐसे बालक समाज के निचले पायदान पर ही बने रहने के लिए विवश हो जाते हैं। 0–14 वर्ष की आयु के ऐसे बालक जो पारिवारिक विवशता के कारण कार्य करते हैं जिससे उनकी शैक्षणिक एवं मनोरंजन की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है, एवं उनसे कम वेतन पर अधिक समय तक कार्य कराया जाता है जो बाल शोषण के स्वरूप में आता है।

विश्व में प्राचीनकाल से ही बालक समाजीकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत परम्परागत कार्यों में अनवरत रूप से कार्य करता रहा है किन्तु औद्योगिक क्रान्ति के कारण बड़ी संख्या में औद्योगिक प्रक्रियाओं में बालकों को नियोजित किया जाने लगा जिसके कारण शहरीकरण की प्रवृति को भी बढ़ावा मिला एवं प्रवासी श्रमिकों की संख्या में वृद्धि होने लगी जिस कारण उनके बालक भी कार्य करने पर मजबूर होने लगे। यहीं से बाल श्रम की संख्या में वृद्धि होने लगी, विभिन्न उद्योगों एवं व्यवसायों में बालकों से कम मजदूरी में अधिक समय तक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कार्य करवाया जाने लगा और बालक विभिन्न प्रकार के शोषण का शिकार होने लगे। कई बार बालक के माता–पिता भी अपनी आर्थिक मजबूरी के कारण ऋण अदायगी हेतु बालक को मालिक के यहाँ बंधुआ मजदूर के रूप में रखने लगे जिससे उनके शारीरिक व मानसिक शोषण में वृद्धि होने लगी और वह शिक्षाएँ एवं प्रशिक्षण के अभाव में जीवनपर्यन्त एक अकुशल श्रमिक के रूप में समाज के निचले पायदान पर ही बने रहने के लिये मजबूर हो गए।

वर्तमान में बालश्रम की समस्या असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक है क्योंकि यहां बाल श्रमिक की पहचान कर पाना कठिन है। यदि हम बाल श्रम की समस्या का विश्लेषण करें तो यह आर्थिक रूप से असंगत है क्योंकि बालक कम वेतन पर अधिक कार्य करता है। जो बालक के लिए मानसिक एवं बौद्धिक रूप से अहितकर है क्योंकि मजदूरी करने के कारण बालक के मनो–मस्तिष्क का विकास अवरूद्ध हो जाता है। बालश्रम शारीरिक रूप से अस्वास्थ्यकर एवं हानिकारक है क्योंकि बालक द्वारा विषम परिस्थितियों में कार्य किया जाता है जैसे क्षमता से अधिक कार्य करना, बोझा उठाना, आग के सामने कार्य करना एवं शोर करने वाली मशीनों पर कार्य करने के कारण बालक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

यदि हम इसके कारणों का अवलोकन करें तो बालश्रम का मुख्य कारण अशिक्षा, गरीबी एवं माता–पिता की अज्ञानता है। इसके समाधान हेतु हमें बालकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ माता–पिता के लिए भी रोजगार को सुनिश्चित करना होगा अथवा उनको स्वरोजगार में नियोजित करना पड़ेगा। बालश्रम समस्या का समाधान केवल कानून निर्माण से ही संभव नहीं है वरन् इसका समाधान करने के लिये बालक के परिवार से लेकर संपूर्ण समाज, उस देश की सरकार, शासन व्यवस्था एवं जागरूक नागरिकों पर भी निर्भर करता है कि वे किस सीमा तक बालश्रम उन्मूलन के लिए प्रयास कर पाते हैं और यह प्रयास कितनी मात्रा में राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य कर बालश्रम उन्मूलन को संभव बनाने हेतु क्रियान्वित किये जा सकते हैं। इन प्रयासों के साथ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास भी अपरिहार्य हैं तभी बालश्रम समस्या का समाधान संभव है।

☯☯☯

3

बालश्रम उन्मूलन के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रावधान

3.0 प्रस्तावना

किसी भी देश की सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत बालक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बालक उस राष्ट्र के भावी कर्णधार होते हैं। ये बालक देश के अग्रणी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, क्योंकि ये भविष्य में समाज के जिम्मेदार एवं उत्पादक वर्ग का हिस्सा बनते हैं। इस कारण राज्य एवं समाज का दायित्व भी बनता है, कि वे अपने बालकों के संपूर्ण बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में अपनी जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें, तथा एक ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करें जिसमें बालक अपना सर्वांगीण विकास कर अपने जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित कर सके।

प्रत्येक युग में मानव सांप की तरह कैंचुली बदलता रहा पर बालक सिर्फ बालक की ही तरह रहे, न वे प्रगति की अंधी रफ्तार में सम्मिलित हुए, न हीं सभ्यता की आंधी में उड़े। हर युग जैसे सतयुग, त्रेता युग व कलयुग में मानव, ऋषि देवता एवं देत्य बनता रहा, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा किंतु बालक दृढ़ संकल्प एवं विश्वास से कभी अटल ध्रुव बना तो कभी शेर के बच्चे से खेलने वाला भरत बना।[1] चूंकि बालक समाज की एक कमजोर कड़ी होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक सुरक्षा एवं देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए बालकों के हितों की

रक्षा हेतु उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है एवं ऐसे नियम व प्रावधानों को निर्मित किया जाता है जिससे बालकों के हितों की रक्षा हो सके। अतः बालश्रम समस्या के समाधान की प्रक्रिया को कोई भी राष्ट्र नजरअंदाज नहीं कर सकता। बालक के विकास में ही राष्ट्र या समाज का विकास निहित है।[2]

बाल श्रम कानून के माध्यम से बालकों को उद्योगों में कार्य करने की आयु को निर्धारित किया जाता है, जिसके तहत खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों से श्रम नहीं कराया जा सकता है। उनके अवकाश एवं मनोरंजन के समय, नियमित अंतराल, स्वास्थ्य जांच आदि को विभिन्न वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित किया गया है।

चूंकि बचपन एक ऐसा काल होता है, जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है, उसके विकास को नई दिशा एवं आयाम प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सुकुमार अवस्था में बालक से कार्य कराया जाए, उसे उचित शिक्षा प्राप्त करने में अवरोध स्थापित किए जाएं, उसे मनोरंजन एवं खेलकूद हेतु अवकाश प्राप्त नहीं हो तो ऐसी अवस्था में न केवल उसका शारीरिक विकास वरन् बौद्धिक विकास भी रूक जाता है। इसका उसके मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक वृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। परिणामस्वरूप बालक के साथ कई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई बार उसे बुरे लोगों की संगत में रहना पड़ता है, जहाँ से वह गंदी आदतें सीख कर अपना भविष्य बर्बाद करता है। जैसे वह नशा करने, तंबाकू, गुटखा खाने एवं शराब पीने का भी आदी हो जाता है, जिसका उसके तन, मन एवं भविष्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही वह आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाता है। इसका परिणाम कई बार यह भी होता है कि वह आपराधिक प्रवृति का एक हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार बालक जो कल इस देश की कमान संभालेंगे यदि उन्हें पूर्ण शिक्षा व्यक्तित्व विकास के अवसर, मनोरंजन व मानवाधिकार नहीं मिल पाएंगे तो वह देश सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से अन्य देशों से पिछड़ जाएगा एवं मनुष्य ही मनुष्य से भेद करने लग जाएगा।[3]

बालश्रम की समस्या न केवल वैश्विक स्तर पर वरन्, राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनौती के रूप में बनी हुई है, प्राचीन काल से ही यह समस्या विद्यमान रही है। किंतु तब यह इतनी विकराल नहीं थी। इसकी वास्तविकता के बारें में यदि हम खोज करते हैं तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात् यह समस्या द्रोपदी के चीर की भाँति बढ़ी है। जैसे–जैसे औद्योगिक विकास होता गया, बाल श्रम की समस्या भी वैसे ही विकट होती गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में ही 5–10 करोड़ बाल श्रमिक हैं।[4]

बालश्रम की समस्या के बढ़ने में हम कई कारणों को इंगित कर सकते हैं, जैसे गरीबी, वयस्क बेरोजगारी, विकृत सामाजिक संरचना, मानवीय मूल्यों में गिरावट, बाल श्रमिकों की मोल भाव करने की कम शक्ति, उनका अनुशासित होना व कम वेतन पर अधिक समय तक कार्य करना एवं शैक्षिक सुविधाओं की कमी आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनके कारण बाल श्रमिक इस बुराई के दलदल में धंसता चला जाता है।

बालश्रम की समस्या एक दोहरी समस्या है।[5] जैसा कि हम पूर्व में भी विचार कर चुके हैं, एक तो यह सामाजिक बुराई के रूप में सामने आती है क्योंकि समाज में वर्ग विभाजन के कारण वर्ग विशेष के ही बालक बालश्रम में धकेले जाते हैं। जबकि सामान्य वर्ग के बालक बालश्रम में नहीं आते हैं। इसी प्रकार गलत सामाजिक संरचना, श्रम, विभाजन ऐसे कारण हैं जिसके कारण बालश्रम एक सामाजिक बुराई के रूप में उभर कर सामने आता है।

दूसरा पक्ष आर्थिक है, जिसमें बाल श्रम इसलिये पाया जाता है ताकि परिवार की आय में सहयोग प्रदान किया जा सके, वयस्क बेरोजगारी को दूर किया जा सके अथवा परिवार की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से बाल श्रम को बढ़ावा मिलता है।

3.1 वैश्विक स्तर पर बाल श्रम की स्थिति का ऐतिहासिक सिंहावलोकन

यद्यपि विश्व के सभी देशों में बाल श्रम किसी न किसी रूप में प्रचलित है, विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में बाल श्रमिक न केवल ज्यादा प्रचलन में है, वरन वहाँ बाल श्रमिकों की स्थिति काफी दयनीय है। अधिकांश देशों में यदि हम बाल श्रमिकों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में बाल अधिकारों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही है। कानून एवं अधिनियम बनाए तो जाते हैं, किंतु वे मात्र खानापूर्ति करने लायक या फिर मात्र कागजों में ही चलने वाले होते हैं। इसी प्रकार अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों में बाल श्रमिक अपने परिवार की आय बढ़ाने और दो जून की रोटी कमाने के उद्देश्य से बाल श्रम करते हैं जबकि विकसित देशों में बालक बाल श्रम इसलिए करता है ताकि वह अपना जेबखर्च निकाल सकें, अपने शौक को पूरा कर सके। चूँकि यह तर्क दिया जाता है कि बालक के रोजगार में लगने से परिवार की आय में वृद्धि होगी व बालकों की शरारतें भी कम होगी। यह सही नहीं है क्योंकि इससे बालक के शैक्षणिक अवसर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षणों के अवसरों में कमी होती है, उनका शारीरिक और बौद्धिक विकास बाधित होता है और उनका सारा जीवन कम मजदूरी में बालश्रम करने के लिए मजबूर हो जाता है।[6]

अल्प विकसित व विकासशील देशों में राजनीतिक दलों द्वारा बाल श्रम व उनके शोषण को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है और न ही उसे कभी बड़ा मुद्दा बनाया गया। वहाँ के कानूनों का क्रियान्वयन भी सही ढंग से नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा बालकों को अपनी सुकुमार अवस्था में उठाना पड़ता है। यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बाल अधिकारों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अठारहवीं सदी के बाद ही बाल अधिकारों की चर्चा की गई। औद्योगिक क्रांति ने 6–7 वर्ष की उम्र के बाद ही बालकों को फैक्ट्री में कार्य करने हेतु भेज दिया जाता था। 6 से 14 वर्ष के बालकों से 16–16 घंटे काम लिया जाता था एवं बहुत कम मजदूरी उन्हें प्रदान की जाती थी। यदि हम विक्टोरिया युग की बात करें, तो वहाँ बालकों को जानबूझकर कुपोषित रखा जाता था ताकि वे दुबले पतले रहे तथा लंबी और गहरी सुरंगों में काम कर सकें। 1788 में कॉटन मिल्स में कार्यरत श्रमिकों का दो तिहाई भाग बालकों के रूप में पाया गया जो वहाँ कार्य कर रहा था।[8]

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक आदत को अक्सर बालकों के आर्थिक कारकों को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में देखा जाता है, जो कि जड़ में होते हैं, यद्यपि उनकी पहचान नहीं की जाती है और शायद ही उन्हें वह मिलता है जिसके वे हकदार होते हैं।[9] अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों में बाल श्रम की स्थिति एक चुनौती बनी हुई है। यद्यपि समस्त राष्ट्र इसके उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसका उन्मूलन नहीं हो पा रहा है एवं सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर कोविड–19 ने पानी फेर दिया।

यदि हम बाल अधिकारों की बात करें तो हम पाते हैं कि इसकी प्राप्ति में सबसे बड़ा अवरोधक बालश्रम है। इसके समाधान हेतु 21वीं सदी के प्रारंभ से ही प्रयास शुरू कर दिये गए। प्रारंभ में न केवल बालक वरन् बड़े श्रमिकों का शोषण भी चरम पर था। इसके खिलाफ सर्वप्रथम काल मार्क्स ने आवाज उठाई और एक नारा दिया "दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है।"

बालश्रम के संदर्भ में काल मार्क्स ने कहा, ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज खून चूस कर जिंदा है, जिसमें बालकों का खून भी शामिल है।[10]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलनों में बाल श्रम के विरूद्ध आवाज उठाई गई। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रभावी ढंग से बाल श्रम के मुद्दे को गंभीरता से लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी गतिविधियों में बाल श्रम उन्मूलन को प्राथमिकता दी और इसके अब तक 18 सम्मेलन एवं 16 सिफारिशों को अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सर्वप्रथम बालक के कार्य करने की एक न्यूनतम आयु निर्धारित की। जिससे कम आयु के बालक को काम पर नहीं रखा जा सकता था। तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कृषि, खनन, रेलवे बागानों आदि रोजगार के क्षेत्र में बालकों के नियोजन के विभिन्न मापदंड निर्धारित किए ताकि अंतराष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास संभव हो सकें।[11]

3.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास

बाल अधिकारों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की एक अन्य कड़ी है। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948[12] एवं उसके बाद के अभिसमय जो कि बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं। 1948 में जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया तो जिनेवा समझौता, जो कि 1924 में लीग ऑफ नेशन में भी अपनाया था, इसके अन्तर्गत बालकों के विशिष्ट अधिकारों के अस्तित्व को बनाए रखने एवं वयस्कों को बालकों के प्रति जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया था।

3.2.1 मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 एवं बाल अधिकारों की घोषणा

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने मानवाधिकारों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता हे। इसमें बालकों के मानवीय अधिकारों हेतु प्रभावी कदम उठाए गये। इसके

अनुच्छेद 26 में बालकों की शिक्षा को उनके जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए निम्न प्रावधान किए।[13]

(अ) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है एवं प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क होगी, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा भी उपलब्ध करवाई जाएगी एवं उच्च शिक्षा सभी को योग्यता के अनुसार समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए।

(ब) शिक्षा का लक्ष्य मानवाधिकारों एवं स्वतन्त्रताओं के प्रति आदर में वृद्धि करना है समस्त राष्ट्रों के मध्य धार्मिक सहिष्णुता एवं मैत्री को अग्रसर करना है।

(स) माता–पिता को बालक की शिक्षा प्रदान करवाने के संदर्भ में स्वतंत्र रखा गया है।

1946 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अस्थायी सामाजिक मिशन ने इस बात पर बल दिया कि जिनेवा घोषणा 1924 बाध्यकारी होनी चाहिए। इसमें बालकों से सम्बन्धित प्रावधान इस प्रकार हैं[14]–

- बालक को भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।
- बालक की हर संभव सहायता की जाए।
- संकट के समय सर्वप्रथम राहत प्राप्त करने में बालक अग्रणी है।
- बालक को प्रत्येक प्रकार के शोषण से सुरक्षित रखते हुए आजीविका कमाने की स्थिति में रखा जाना चाहिए।

3.2.2 बाल अधिकार एवं संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1949 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बच्चों को उनकी शारीरिक एवं मानसिक अपरिपक्वता के कारण उसे न केवल विशेष उपायों वरन विशिष्ट रूप से देखभाल की आवश्यकता भी होती है। इसके अन्तर्गत कानूनी सुरक्षा भी उचित रूप से सम्मिलित है।

3.2.3 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1959

20 नवम्बर 1959 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा बालकों के संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, पालन, पोषण एवं आर्थिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है। यह घोषणा बाल अधिकारों के संदर्भ में की गई है।[15]

20 नवम्बर 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जिसमें बालकों के मूलभूत सिद्धांतों पर सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहमति को प्राथमिकता प्रदान की गयी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बालकों के अधिकारों के हनन के साथ उन्हें युद्ध की विभीषिका, शारीरिक एवं मानसिक शोषण एवं अपने निकृष्टतम रूप में बालकों का यौन शोषण व उनकी दुर्दशा ने मानव जाति व संस्थाओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि आखिर बालकों

का भविष्य क्या है ? इसी को ध्यान में रखकर 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी 78 सदस्य राज्यों द्वारा संकल्प 86 में बाल अधिकारों की घोषणा को सर्वसम्मति से अपनाया गया। 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा के तहत कहा गया कि बालक को सार्वभौमिक रूप में एक इंसान के रूप में पहचाना जाना चाहिये जिसे स्वतंत्रता व सम्मान के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। इस घोषणा में बालकों के अधिकारों हेतु 10 सिद्धांत वर्णित है, जो इस प्रकार हैं :–

- बालक को जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के मूल आधार पर भेदभाव के बिना समानता का अधिकार प्राप्त होना।
- बालक को मानसिक, सामाजिक सुरक्षा एवं विकास का अधिकार।
- बालक को नाम, पहचान एवं राष्ट्रीयता का अधिकार।
- पर्याप्त आवास पोषण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं का अधिकार।
- बालक के शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग होने पर विशेष शिक्षा का प्रावधान।
- माता–पिता और समाज द्वारा समझने एवं प्यार करने का अधिकार।
- मनोरंजन गतिविधियों और मुफ्त शिक्षा का अधिकार।
- समस्त परिस्थितियों मे राहत पाने वालों में से प्रथम होने का अधिकार।
- समस्त प्रकार की उपेक्षा, क्रूरता और शोषण से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- समझ, सहिष्णुता, लोगों के बीच मित्रता और भाईचारे की भावना प्राप्त करने का अधिकार।

हम उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर कह सकते हैं कि अभिसमय वह लेख है, जिसमें बालकों के मानवाधिकारों को गारंटी प्रदान की गई है, बाल अधिकार विश्व में किसी भी विषय पर लिखा गया सबसे अधिक अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख है जिसका अभी तक अमेरिका व सोमालिया को छोड़कर सभी189 देशों ने समर्थन किया है। बाल अभिसमय का विश्लेषण करने से पूर्व हम बीजिंग नियमों का विश्लेषण करेंगे जो इस प्रकार है–

3.2.4 बाल न्याय प्रशासन हेतु संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानक नियम अथवा बीजिंग नियम

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 29 नवम्बर 1985 को बाल न्याय प्रशासन हेतु न्यूनतम नियमों को स्वीकार किया गया ताकि बाल अपराध की रोकथाम को सुनिश्चित किया जा सके एवं बाल अपराधियों के उपचार हेतु नियम बनाए जा सकें। ये नियम बीजिंग नियम कहलाते हैं।

संक्षिप्त में इस नियम में निम्न व्यवस्थाओं को अपनाया गया है :–

- **उद्देश्य** :– जो राष्ट्र इसके सदस्य हैं, वे बालकों के एवं उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। बालकों के विकास एवं शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। बालकों को न्याय दिलाने हेतु बाल न्याय प्रशासन को विकास के रूप में एक भाग होने के नाते स्वीकार किया जाएगा।

- **नियम का विस्तार एवं परिभाषा** :– उपर्युक्त नियम बाल अपराधियों पर बिना किसी भेदभाव के लागू किये जाएंगे एवं नियमों का विस्तार युवा वयस्क अपराधियों से भिन्न होगा।

- **बाल अधिकार** :– इसके तहत अभिभावक अथवा संरक्षक की उपस्थिति, सलाह लेने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, उच्चाधिकारियों से अपील करने का अधिकार आदि के साथ निर्दोषता की पूर्व धारणा का अनुकरण किया जाएगा।

- **तफ्तीश एवं अभियोजन** :– यदि किसी बाल अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो, इसकी सूचना उसके अभिभावक को तुरन्त प्रदान की जाएगी, न्यायाधीश रिहाई के आदेश में देरी नहीं करेगा, अभियोजन पक्ष बाल मामलों को निपटाने के समय औपचारिक सुनवाई की प्रक्रिया को टाल सकता है। संयुक्त राष्ट्र के कैदियों संबंधी मानव न्यूनतम नियमों की गारन्टी एवं अधिकार भी बालकों को प्राप्त होंगे। इन्हें वयस्कों से अलग रखा जाएगा व सुरक्षा एवं अन्य सुविधाएँ आवश्यक रूप से प्रदान की जाएगी।

बाल सक्षम प्राधिकरण द्वारा निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण मुकदमे के सिद्धान्त लागू होंगे। अपराध की निष्पक्ष जांच की जाएगी व बालक पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाए जाएंगे और बालक को मृत्युदण्ड किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा और शारीरिक दण्ड भी नहीं दिया जा सकता है।

- **संस्थागत एवं असंस्थागत उपचार** :– बाल अपराधियों की सुनवाई के समय बालकों के रहने, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस हेतु स्वयंसेवी संगठनों की भी सहायता ली जा सकती है। बालकों को सामान्य बालकों की भांति सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। अभिभावक उन तक पहुंच सकते हैं। बालकों को अधिकतम मात्रा में सशर्त रिहाई प्रदान की जाएगी, उनके लिए विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक संस्थागत उपायों को किया जाएगा। इस प्रकार बीजिंग नियम द्वारा बालकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनी स्थापना से लेकर 1980 के दशक तक 80 से अधिक घोषणाएं अथवा संधियाँ बालकों के संरक्षण हेतु की जा चुकी थी, किन्तु उनमें व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होने के कारण ये संधि एवं घोषणाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाई। 1979 में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने एक सम्मेलन का

प्रारूप तैयार किया जिसे लगभग 10 वर्ष पश्चात् महासभा में प्रस्तुत कर पारित किया गया। तत्पश्चात बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को सर्वसम्मति से 30 नवम्बर 1989 को अपनाया गया व 30 सदस्य राष्ट्रों ने इसका अनुसमर्थन किया। 30 सितम्बर 1990 को बालकों के अधिकारों के लिए सम्मेलन आयोजित हुआ। यह सम्मेलन सामयिक दृष्टि से बालकों के अधिकारों हेतु पहली बार विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के बीच पूर्ण साझेदारी के आधार पर हुआ। इस सम्मेलन को "नैतिक न्यूनतम" (डवतंस डपदपउनउ) भी कहा गया।[17]

3.2.5 बालकों के संरक्षण एवं विकास पर विशेष घोषणा[18]

बालकों के अस्तित्व, संरक्षण और विकास पर विशेष घोषणाओं को भारत सहित 150 देशों द्वारा अपनाया गया एवं बाल अधिकारों के सम्मेलन को लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। इस घोषणा को प्रभावी बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ावा देने हेतु जो भी प्रयास किए जाएंगे, वे सार्वभौमिक होने चाहिये। सरकारी संगठनों के साथ बाल कल्याण एवं अधिकारियों हेतु गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका व भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्तावना इस प्रकार है।

"वर्तमान अभिसमय के सदस्य राज्य चार्टर में मौलिक मानवाधिकारों और मानव गरिमा, सम्मान व मूल्यों में आस्था प्रकट करते हैं। साथ ही यह सहमति भी व्यक्त करते हैं कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति के अन्य राष्ट्रीय, सामाजिक उद्यम, संपत्ति, जन्म या हैसियत के आधार पर भेदभाव के बिना इस घोषणा की प्रसंविदा में प्रदत्त अधिकारों एवं स्वतंत्रता को क्रियान्वित किया जाएगा एवं बाल अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाल सम्मेलन के अभिसमय को सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपने देश के संविधानों में भी स्थान दिया जाएगा।"

1989 के अभिसमय में सर्वप्रथम बालक को परिभाषित किया है कि वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह बालक है। 1989 के बाल अभिसमय का हम निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं।

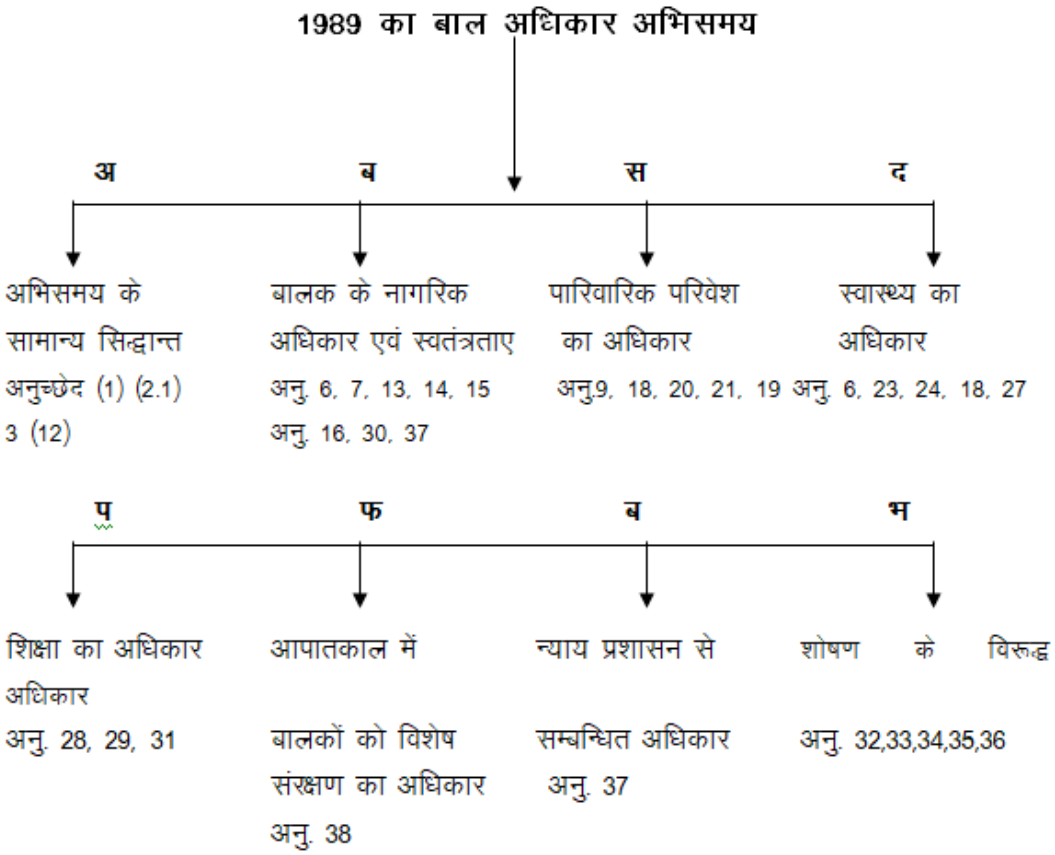

उपर्युक्त अभिसमय का हम अनुच्छेद अनुसार निम्न प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं।

- **अनुच्छेद–1**

बालक से तात्पर्य है, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।[19]

- **अनुच्छेद–2**

इस समझौते में सम्मिलित देश एवं उनके अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक बालक एवं उसके माता–पिता या कानूनी अभिभावक से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, एवं बालक को अपने माता–पिता, परिवार एवं कानूनी अभिभावकों की किसी भी प्रकार की गतिविधियों, हैसियत एवं विश्वास के कारण बालक के साथ न तो भेदभाव किया जाएगा और न ही उसे दंड दिया जाना चाहिए।[20]

- **अनुच्छेद–3**

बालकों से संबंधित कार्य चाहे वे विधायी निकायों द्वारा किए जाएं अथवा किसी भी संसद द्वारा किए जाएं बालकों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।

समझौते में शामिल देश बालकों के कल्याण, संरक्षण एवं उनकी देखभाल को सुनिश्चित करेंगे एवं उनके माता–पिता और कानूनी अभिभावकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त विधायी एवं प्रशासनिक उपाय करेंगे। समझौते में शामिल देश बालकों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्थाओं में सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति विशेष रूप से सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही सुनिश्चित करेंगे।[21]

- **अनुच्छेद–4**

इस समझौते द्वारा स्वीकृत अधिकारों के क्रियान्वयन हेतु सभी देश उचित विधायी, प्रशासनिक एवं अन्य उपाय करेंगे।

प्रत्येक देश बच्चों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों के ऐसे दायित्वों, अधिकारों एवं कर्तव्यों का सम्मान करेंगे, जिसे समझौते में शामिल अधिकारों का बालक द्वारा उपयोग किए जाने में उचित दिशा निर्देश मिलते हैं।

- **अनुच्छेद–6**

समझौते में सम्मिलित देश मानते हैं कि, हर बालक को जीने का अधिकार है। प्रत्येक देश के बालकों के जीवित रहने एवं विकास को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

बालक को जन्म के बाद उसे पंजीकरण का, एवं राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है एवं माता–पिता द्वारा उचित देखभाल किए जाने का अधिकार है।

- **अनुच्छेद–7**

इस समझौते में सम्मिलित समस्त देश बालक के राष्ट्रीयता विहीन होने पर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अधिकार प्राप्त करने को सुनिश्चित करेंगे।[22]

- **अनुच्छेद–8**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों की अस्मिता के अधिकार का सम्मान करेंगे एवं बालकों से उसकी अस्मिता को यदि गैर कानूनी रूप से वंचित कर दिया जाए तो शामिल देश उसे अतिशीघ्र बहाल करने एवं उपर्युक्त सहायता और संरक्षण प्रदान करेंगे।

- **अनुच्छेद–9**

समझौते में शामिल देश यह सुनिश्चित करेगे कि, माता–पिता की इच्छा के विरूद्ध बालक को उनसे अलग नहीं किया जाए। बशर्ते की कानून एवं प्रक्रियाओं के तहत न्यायिक समीक्षा के पश्चात यह सिद्ध हो जाए कि ऐसे बालक का माता–पिता से अलग रहना उनके सर्वोत्तम हित में है।

- **अनुच्छेद–10**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र सुनिश्चित करेंगे कि, यदि किसी देश को ऐसा आवेदन प्राप्त हो जिसमें माता–पिता या बालक एक–दूसरे से मिलने के लिए उस देश को छोड़ने या आने हेतु आवेदन करते हैं, तो निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रतिबंधों के अनुसार सकारात्मक कार्यवाही करेंगे।

- **अनुच्छेद–11**

राष्ट्र द्वारा बालक को गैरकानूनी तरीके से विदेश भेजे जाने एवं पुनः नहीं लौटाने की घटनाओं को रोकने हेतु द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते करेंगे।

- **अनुच्छेद–12**

बालक की आयु एवं परिपक्वता के अनुसार समझौते में शामिल देश आश्वस्त करवाएंगे कि, उनकी स्वतंत्रता एवं हित से जुड़े मुद्दों पर उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है।[23]

- **अनुच्छेद–13**

बालक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होगा, जिसके अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा एवं अधिकार, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बालक को लिखित, मौखिक, कला रूप अथवा बालक के पसंद के अन्य किसी माध्यम द्वारा जानकारी विचार प्राप्त करने एवं दूसरों को बताने का अधिकार प्राप्त होगा।

- **अनुच्छेद–14**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों के विचारों, अंतरात्मा और धर्म की आजादी का प्रयोग आवश्यक प्रतिबंधों जैसे सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता और अन्य लोगों की स्वतंत्रता एवं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बालकों के अधिकार एवं स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–15**

यह अनुच्छेद बालकों को संगठन एवं शांतिपूर्ण तरीकों से एकत्रित होने के अधिकार को स्वीकार करता है।

अनुच्छेद–16

यदि बालक की निजता परिवार, घर एवं पत्र व्यवहार पर गैरकानूनी ढंग से हस्तक्षेप किया जाता है, या राज्य ऐसे हस्तक्षेप करता है तो उसके विरूद्ध बालक को कानून का संरक्षण प्राप्त होगा।

अनुच्छेद–17

बालकों को विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जो उसके लिए आवश्यक एवं उपयोगी हो। इसी प्रकार राज्य उन्हें बाल

पुस्तक, अल्पसंख्यक और वर्ग विशेष आदि की भाषागत आवश्यकता अनुरूप जनसंचार माध्यमों को प्रभावित करने पर विशेष बल देंगे।

- **अनुच्छेद–18**

समझौते में शामिल देश इस सिद्धांत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि, बालक के पालन, पोषण और देखभाल की समुचित जिम्मेदारी माता–पिता पर समान रूप से, एवं उनकी अनुपस्थिति में कानूनी अभिभावक पर रहेगी। इस हेतु राज्य उन्हें आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेंगे एवं कामकाजी माता–पिता के बालकों हेतु आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करेंगे।[24]

- **अनुच्छेद–19**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि, बालकों के साथ उनके माता–पिता कानूनी अभिभावक को या जिनकी देखरेख में बालक हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक अपमान, उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है। ऐसा होने पर वे देश उचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक और शैक्षणिक उपायों को अपनायेंगे एवं उचित न्यायिक कार्यवाही के साथ ही बालक व उनकी देखभाल करने वालों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएंगे।

- **अनुच्छेद–20**

यदि कोई बालक स्थायी अथवा अस्थायी रूप से अपने पारिवारिक वातावरण से वंचित है, या परिवार में बालक का रहना उचित नहीं है तो ऐसी स्थिति में बच्चा सरकार की ओर से विशेष संरक्षण का अधिकारी होगा और संबंधित देश उसके लिए राष्ट्रीय कानून के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे।

- **अनुच्छेद–21**

इस समझौते में सम्मिलित देश गोद देने की प्रक्रिया में बालकों के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा कानून और प्रक्रियाओं के अधीन ही गोदनामा की व्यवस्था करेंगे एवं दूसरे देश में बालक को गोद दिए जाने पर, यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें अपने देश जैसा ही संरक्षण प्राप्त होगा एवं बालक को विदेश भेजे जाने पर किसी को कोई वित्तीय लाभ नहीं होगा।

- **अनुच्छेद–22**

बालक को शरणार्थी का दर्जा प्राप्त होने पर चाहे माता–पिता साथ हों या न हो उस बालक को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय प्रसंविदा के अनुसार मानवीय सहायता सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए।

- **अनुच्छेद–23**

बालक के विकलांग होने की स्थिति में संबंधित राष्ट्र उसे विशेष संरक्षण प्रदान करेंगे एवं उसे चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा संबंधी उपायों के साथ प्रशिक्षण आदि को भी सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–24**

इस अनुच्छेद के अन्तर्गत समझौते में शामिल देश बालकों के स्वास्थ्य संबंधी उच्चतम संभव मानक और सुविधा प्राप्त करने के बालक के अधिकारों को मान्यता देंगे। वे शिशु एवं बाल मृत्यु दर कम करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा उपलब्ध करवाने के साथ बीमारियों एवं कुपोषण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे।

बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रभावी प्रयास करेंगे।

- **अनुच्छेद–25**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालक के बीमार होने पर उसे उपचार प्रदान करने एवं संबंधित आवश्यक परिस्थितियों की समय–समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए, ऐसा करना सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–26**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों को सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा से पर्याप्त संसाधनों के अनुसार लाभ उठाने को मान्यता देंगे।

- **अनुच्छेद–27**

समझौते में सम्मिलित माता, पिता या कानूनी अभिभावक बालक को उसके भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास हेतु पर्याप्त जीवन स्तर पाने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–28**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालक की शिक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान करने, प्राथमिक शिक्षा निशुल्क उपलब्ध करवाने, माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न रूपों के विकास को बढ़ावा देने एवं बालकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ शिक्षा के आधुनिक तरीकों को सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–29**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालक की ऐसी शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे, जो कि बालकों की प्रतिभा एवं योग्यता का पूर्ण विकास कर सके एवं स्वयं व अन्य देशों के राष्ट्रीय मूल्यों, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कर सके।

- **अनुच्छेद–30**

यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि बालक के अल्पसंख्यक होने पर उसे अपने परिवार की भाषा, संस्कृति एवं धर्म को मानने का पूर्ण अधिकार है।

- **अनुच्छेद–31**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालक को आराम करने, खेलने, मनोरंजन करने एवं कलात्मक, सांस्कृतिक आदि विविध गतिविधियों में सम्मिलित होने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–32**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों को ऐसे कार्यों से संरक्षण प्रदान करेंगे, जो बालक को आर्थिक शोषण, एवं उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, प्रत्येक देश कार्य करने की न्यूनतम आयु, कार्य के घंटे एवं कार्य करने की परिस्थितियों को सुनिश्चित करेंगे।

- **अनुच्छेद–33**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों को नशीले पदार्थों के अवैध इस्तेमाल से बचाने, अवैध उत्पादन और तस्करी में बच्चों को काम पर लगाने के विरूद्ध सभी उपर्युक्त उपाय करेंगे।

- **अनुच्छेद–34**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों को यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार आदि से संरक्षित रखेंगे।

- **अनुच्छेद–35**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र किसी भी उद्देश्य हेतु बालक के अपहरण, बिक्री एवं व्यापार रोकने हेतु समस्त उपाय करेंगे।

- **अनुच्छेद–36**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों के कल्याण हेतु किसी भी पक्ष के लिए अनुचित शोषण के सभी अन्य रूपों से बालकों को बचायेंगे।

- **अनुच्छेद–37**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र बालकों को किसी भी प्रकार की अमानवीय, अपमानजनक और क्रूर यातनाओं से बालकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे एवं 18 वर्ष से कम आयु के बालकों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा।

- **अनुच्छेद–38**

समझौते में सम्मिलित देश बालकों से संबंधित कानूनों का पालन करेंगे। यदि सशस्त्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई तो 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा।

- **अनुच्छेद–39**

समझौते में सम्मिलित देश उपेक्षा, शोषण, दुर्व्यवहार, यातना तथा अमानवीय व्यवहार प्राप्त बालकों को शारीरिक व मानसिक रूप से पुनः स्वस्थ बनाने का प्रयास करेंगे।

- **अनुच्छेद–40**

समझौते में सम्मिलित राष्ट्र ऐसे प्रत्येक बालक जिस पर कानून तोड़ने का आरोप है उस बालक को जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता है, निर्दोष माना जाएगा, उसे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त होनी चाहिए। बिना देरी के मामले को निपटाया जाना चाहिए। उन्हें कारागार में वयस्क व्यक्तियों के साथ नहीं रखा जा सकता है, उसे अपने परिवार से संपर्क करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि, "यह अभिसमय वह लेख है जिसमें बालकों के मानवाधिकारों को गारंटी प्रदान की गई है।" बाल अधिकार अभिसमय विश्व में किसी भी विषय पर लिखा गया सबसे अधिक अनुसमर्थित अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख है जिसका अभी तक अमेरिका एवं सोमालिया को छोड़कर सभी 189 देशों ने समर्थन किया है। बाल अधिकार अभिसमय 1989 यद्यपि महत्वपूर्ण है किंतु इसके अतिरिक्त अन्य अभिसमय भी है जैसे 1991, 1996 का अभिसमय जिसमें बाल अधिकारों को वैश्विक स्तर पर लागू करने पर बल दिया गया है।

3.2.6 बाल अधिकार अभिसमय का महत्व

1989 के बाल अधिकार अभिसमय में बालकों को वयस्क के समान सामाजिक, नागरिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक अधिकार प्रदान करने पर बल दिया गया है एवं इस अभिसमय का उद्देश्य बालकों को स्वतंत्रता, समानता व गरिमामय जीवन प्रदान कराना था। बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभिसमय में दो तथ्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रथम, इसमें बालक को विशेष सुरक्षा एवं लाभार्थी का पात्र नहीं मानकर, अधिकार रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा गया है। द्वितीय, बालकों को जो अधिकार प्रदान किये गए हैं, उनके प्रभावी कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित किया गया है।

बालकों के अधिकारों का सम्मान करने, उन्हें लागू करने, बाल अधिकारों की जानकारी बालक एवं वयस्क व्यक्तियों को प्रदान करने एवं बाल अधिकारों का क्रियान्वयन करने का दायित्व राज्यों को प्रदान किया गया हे। इस प्रकार इस अभिसमय द्वारा न केवल बाल अधिकारों वरन बाल कल्याण को भी सुनिश्चित किया गया है। किन्तु वास्तविकता में बालश्रम के दलदल से

बालकों को निकालना अति आवश्यक है, कहीं ऐसा न हो कि बालकों का बचपन ही छिन जाए। गरीब परिवारों के बालकों द्वारा श्रम कराया जाना, पारिवारिक मजबूरी के कारण एक सामाजिक अन्याय है। बाल अधिकार अभिसमय द्वारा बालश्रम उन्मूलन का प्रयास एवं बालकों को गरिमामय व सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

इसी प्रकार बालकों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में बाल प्रतिनिधियों ने पहली बार महासभा को संबोधित किया। 2002 में 'वर्ल्ड फिट फॉर चिल्ड्रेन' एजेंडे को अपनाया गया।

3.3 यूनिसेफ (यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड) संयुक्त राष्ट्र बाल कोष

विश्व ने 20वीं सदी में दो विश्वयुद्धों का सामना किया जिसने यद्यपि पूरी मानव जाति को प्रभावित किया किन्तु सर्वाधिक प्रभावित बालक एवं महिलाएँ रही हैं, बालक अपनी सुकुमार अवस्था में युद्ध की विभिषिका को झेलते हैं जिससे, उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

द्वितीय विश्व युद्ध में पीड़ित राष्ट्रों के बालकों के स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 दिसम्बर 1946 को (यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन फंड) यूनिसेफ की स्थापना की गई। यूनिसेफ को 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बना दिया गया। इसने 196 से अधिक देशों में वंचित बालकों की सहायता की है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ व्यापक रूप से दुनिया भर के बालकों को सहायता प्रदान करने वाली एजेन्सी है। यूनिसेफ अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरी तरह से विभिन्न देशों की सरकारी एवं दानदाताओं के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है।

3.3.1 संगठन

यूनिसेफ 136 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड द्वारा संचालित एवं शासित होता है जिसका मुख्य कार्य विभिन्न नीतियों का निर्माण करना होता है एवं यही कार्यक्रमों को भी मंजूरी प्रदान करता है। साथ ही यह प्रशासनिक एवं वित्तीय योजनाओं की देखरेख करता है। यह 36 सदस्यीय बोर्ड राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा सरकारी प्रतिनिधियों से बना है। जिसकी कार्य अवधि तीन वर्ष है। यूनिसेफ का नेटवर्क 150 देशों में फैला है। इसकी 34 राष्ट्रीय समितियां हैं। इसका मुख्य कार्य मेजबान सरकारों के साथ मिलकर अपने कार्यक्रम और मिशन को पूरा करना होता है।

3.3.2 यूनिसेफ के कार्य

यूनिसेफ मुख्यतः टीकाकरण से संबंधित कार्य, बीमारियों की रोकथाम एवं एच.आई.वी. पीड़ित बालकों और उनकी माताओं का उपचार हेतु प्रबंध करना, शिक्षा एवं मातृ पोषण को सुनिश्चित करना, बालकों की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत रहना, स्वच्छता एवं पर्यावरण को बढ़ावा देना और आपातकालीन अथवा प्राकृतिक आपदाओं में आपातकालीन वाहन प्रदान करना आदि मुख्य कार्य करता है।

3.3.3 यूनिसेफ रिपोर्ट 2021

यूनिसेफ की 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड–19 महामारी के बढ़ते प्रभाव, कई देशों में चलने वाले सशस्त्र संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि के खतरों के सामने बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु प्रयास किया गया। यूनिसेफ की उपलब्धियां इस प्रकार हैं– कॉमिक्स ने 144 देशों को 958 मिलीयन खुराक वितरित की है। बालकों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाया गया, 84 देशों के 45,000 से अधिक बालकों को नजरबंदी से रिहा करवाया गया। 153 देशों में 483 मामलों में चल रहे मानवीय संकटों का जवाब देना आदि है।

3.4 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु की गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आधारभूत सिद्धांत जो कि श्रमिक चार्टर में दिए गए हैं उसमें श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा के साथ बालकों के अधिकारों के संरक्षण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बालकों के अधिकारों के संबंध में कहा गया है कि बालकों से काम लेना समाप्त कर देना चाहिए और किशोरों के रोजगार पर भी रोकथाम होनी चाहिए जिससे उनकी शिक्षा को चालू रखने के साथ उन्हें उचित रीति से शारीरिक विकास का अवसर प्राप्त हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बालकों के स्वास्थ्य, नैतिकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों पर तत्काल रोक का आह्वान करता है। यूनिसेफ भी बाल श्रम से संबंधित नीतियों के अनुसमर्थन में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2002 में बाल श्रम उन्मूलन हेतु विश्व में जागरूकता लाने, बाल श्रमिकों की दुर्दशा, उनके मानवाधिकार एवं सरकार, नियोक्ता, श्रम संगठन, नागरिक व समाज का ध्यान आकर्षित करने और बाल श्रम उन्मूलन में मदद करने के दृष्टिकोण से प्रत्येक वर्ष सन् 2002 से 12 जून को बाल श्रम के विरूद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आठ प्रमुख मौलिक कन्वेंशन में से बाल श्रम पर आधारित बाल श्रम के सबसे विकृत रूप पर कन्वेंशन संख्या 182 एवं 138 है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख आठ अभिसमय इस प्रकार हैं।

(1) अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय संख्या 29 :– यह अभिसमय जबरन श्रम से सम्बन्धित है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अभिसमय संख्या 105–यह अभिसमय जबरन श्रम उन्मूलन से सम्बन्धित है।

(3) अभिसमय संख्या 100– यह अभिसमय समान पारिश्रमिक से सम्बन्धित है।

(4) अभिसमय संख्या 87– यह अभिसमय संगठन की स्वतंत्रता व संगठित अभिसमय के अधिकार के संरक्षण से सम्बन्धित है।

(5) अभिसमय संख्या 111–यह अभिसमय रोजगार में भेदभाव पर आधारित है।

(6) अभिसमय संख्या 98 – यह अभिसमय संगठित एवं सौदेबाजी से सम्बन्धित है।

(7) अभिसमय संख्या 138 – यह अभिसमय रोजगार में न्यूनतम आयु से सम्बन्धित है।

(8) अभिसमय संख्या 182– यह अभिसमय बालश्रम के सबसे खराब रूप से सम्बन्धित है।

इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बाल श्रम से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों का निर्माण कर उन्हें लागू करने एवं बालश्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बालश्रम से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण अभिसमय 138 एवं 182 हैं जो इस प्रकार हैं।

3.4.1 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कन्वेंशन 182

इस अभिसमय के अनुसार बाल श्रम के विरूद्ध सबसे खराब रूप जैसे गुलामी, यौन शोषण, सशस्त्र संघर्ष में बालकों का उपयोग व अन्य अवैध या खतरनाक कार्य जो बालकों के स्वास्थ्य, नैतिकता या मनोवैज्ञानिक एवं कल्याण से समझौता करते हैं, का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। आईएलओ के 8 मौलिक सम्मेलनों में से यह एक है इसमें बालश्रम का उन्मूलन या जबरन श्रम का उन्मूलन कार्य से संबंधित भेदभाव का उन्मूलन आदि शामिल है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2016 के मध्य कन्वेंशन 182 के अन्तर्गत शामिल सबसे खराब रूपों में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। 2025 तक बालश्रम के सभी रूपों को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। उपर्युक्त प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन हेतु अथवा बाल श्रम के सबसे विकृत रूपों को समाप्त करने या रोजगार में न्यूनतम आयु निर्धारित करने के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिसमयों के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी राष्ट्र जो इसके सदस्य हैं इनका पालन करेंगे और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और मनोरंजन के अवसरों को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बालकों को खतरनाक कार्यों में कार्य करने से प्रतिबंधित करेंगे। सभी राष्ट्र अपने देश के संविधान में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बालकों की गरिमा उनके सम्मान और उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और इन बालकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधानों को निर्मित किया जाए।

3.4.2 कन्वेंशन 138

यह अभिसमय 19 जून 1976 को लागू हुआ इसमें रोजगार में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित करके बाल श्रम को नियमित करने का प्रयास किया गया। इसमें न्यूनतम आयु 15 वर्ष, गैर खतरनाक कार्यों में 13 वर्ष एवं खतरनाक कार्यों में प्रवेश हेतु 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। यह कन्वेंशन सामान्य कार्यों में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित करता है।

इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के अन्तर्गत बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास किए गए और साथ ही बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि को सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए जो इस प्रकार हैं।

3.5 भारत में बालकों के संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान

बालश्रम की समस्या राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर चुनौती बनी हुई है। यह बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को विकृत बनाती है। बाल श्रम समस्या के निराकरण के उपाय वैश्विक स्तर पर किए जा रहे हैं जिनमें मुख्यतः 1924 का जिनेवा समझौता, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बाल श्रम उन्मूलन में प्रभावी भूमिका, यूनिसेफ, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1959, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989, आदि द्वारा बाल श्रम उन्मूलन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी के क्रम में चूंकि भारत भी उपर्युक्त अन्तर्राष्ट्रीय निकायों का सदस्य रहा है, इसलिए भारतीय संविधान में बालकों के हितों के संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार व्यवस्थापिका एवं सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न अधिनियम बनाए गए हैं जिससे बालकों के हितों का संरक्षण हो सके। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन द्वारा भी बाल श्रम उन्मूलन हेतु सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रावधानों के बावजूद बालकों को अपनी सुकुमार अवस्था में न केवल खतरनाक व्यवसाय में कार्य करना पड़ता है, अपितु कम मजदूरी पर अधिक घंटे तक कार्य करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है गरीबी व बेरोजगारी, पारिवारिक स्थिति, बढ़ता औद्योगिकरण, शिक्षा व जागरूकता का अभाव एवं सामाजिक संरचना आदि।

बाल श्रमिकों का एक बड़ा भाग भारत में है। विश्व स्तर पर प्रत्येक 10 में से एक बालक बाल श्रम करने पर मजबूर है। 2020 के शुरू में लगभग 160 मिलीयन बालक बाल श्रम की श्रेणी में थे, जो कि कोविड–19 महामारी के कारण बढ़कर 169 मिलीयन हो गए।[26] इस महामारी ने बाल श्रम को समाप्त करने की प्रगति में अवरोध प्रस्तुत किया है। जिससे बाल श्रम उन्मूलन के अथक प्रयासों को धक्का लगा है। पिछले 20 वर्षों में जहाँ बाल श्रम में गिरावट दर्ज की गई थी, विशेषकर 2016 से 2020 के मध्य लगभग 94 मिलियन की गिरावट देखी गई थी। किन्तु कोविड–19 महामारी के कारण इसमें वृद्धि हुई है।[27] भारत में बाल श्रमिक कई प्रकार के कार्यों में लगा रहता हे, जैसे ईंट भट्टा उद्योग, दियासलाई उद्योग, पटाखा उद्योग, अभ्रक, चमड़ा उद्योग, बीड़ी उद्योग, होटल व ढाबा उद्योग, खेत बागान, खलिहान अथवा कृषि कार्य कालीन, गोटा कार्य, आरा तारी का कार्य, घरेलू नौकर के रूप में कार्य आदि हैं। बाल श्रम के आंकड़ों को यदि हम वैश्विक स्तर पर विश्लेषण करते हैं तो स्थिति भयावह है। लगभग 15.20 करोड़ बालक बाल श्रमिक हैं, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के एवं 8.8 करोड़ लड़के बाल मजदूर हैं। यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल बाल श्रम का 12 प्रतिशत भाग भारत में है।[28] बाल श्रम की समस्या उन्मूलन हेतु व्यापक सामाजिक व प्रशासनिक स्तर पर प्रावधान हो रहा है एवं भारत में इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि बालक शब्द के अन्तर्गत 0 से 14 की अपेक्षा 0 से 18 वर्ष

तक की आयु के व्यक्ति बालक शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आने चाहिए। भारत में बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ मिड डे मील व अनेक योजनाएं क्रियान्वित हैं। किन्तु इन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। भारत में बालकों के शोषण को रोकने के लिए सार्वभौमिक घोषणा पत्र में जो बालकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर भारतीय संविधान के अन्तर्गत व्यापक अधिकार प्रदान करने एवं उनकी व्याख्या व रक्षा को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही भारतीय संविधान के भाग तीन व चार में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के अधिकारों की व्यवस्था करना, राज्यों का नैतिक कर्तव्य बताया गया है। भारत में बालकों को संरक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न कानूनों एवं अधिनियमों के माध्यम से प्रावधान किये गये हैं ताकि बालकों का भविष्य उज्ज्वल बन सके।

भारत में बाल संरक्षण एवं बाल श्रम हेतु किये गये कानूनी प्रावधानों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं –

बालश्रम हेतु कानूनी प्रावधान एवं बाल संरक्षण के प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व के प्रयास

(1) भारतीय फैक्ट्री एक्ट 1881
(2) भारतीय खनन कानून 1901
(3) भारतीय पोर्ट कानून 1931
(4) चिल्ड्रेन (प्लेजिंग ऑफ लेबर) एक्ट 1933
(5) एम्पलायमेन्ट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938

स्वतन्त्रता पश्चात किये गये प्रयास

(1) संवैधानिक प्रावधान
(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
(3) कारखाना अधिनियम 1948
(4) श्रम अधिनियम 1951
(5) खान अधिनियम 1952
(6) मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम 1958
(7) मोटर परिवहन अधिनियम 1961
(8) प्रशिक्षु अधिनियम 1966
(9) बीड़ी और सिगार अधिनियम 1966
(10) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976
(11) बाल मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976
(12) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987
(13) राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजना 1988
(14) राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकार 1994
(15) इंडस (इडो–यू एसडीओएस) परियोजना
(16) बालश्रम(निषेध एवं प्रतिषेध)संशोधन 2016
(17) बालश्रम संशोधन अधिनियम 2017

3.5.1 स्वतंत्रता पूर्व किए गए प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी बालश्रम की समस्या विद्यमान थी जिसके उन्मूलन हेतु बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। इसके लिए कानूनों का निर्माण कर इस समस्या के दुष्प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया।[26] इनमें से प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है।

- **भारतीय फैक्ट्री एक्ट 1881**

इस कानून के द्वारा यह माना गया कि बाल श्रमिक वह है जिसकी आयु सात वर्ष से कम है। ऐसे बालक को कार्य पर नहीं रखा जा सकता है एवं ऐसी फैक्ट्री, जहाँ 100 से ज्यादा श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ किसी भी श्रमिक से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा।

- **खनन कानून 1901**

इस अधिनियम के अनुसार रोजगार परक बालक की आयु उसके स्वास्थ्य एवं शिक्षा को ध्यान में रखकर 12 वर्ष कर सराहनीय प्रयास किया गया।

सरकार द्वारा संशोधित फैक्ट्री एक्ट 1922 के तहत पहले बाल श्रमिक की आयु नौ वर्ष एवं तत्पश्चात 15 वर्ष की गई एवं कार्य के घंटों की अधिकतम सीमा भी 6 घंटे निश्चित की गई।[27]

- **भारतीय पोर्ट कानून 1931**

इस कानून द्वारा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने एवं कार्य करने की न्यूनतम आयु 12 वर्ष की गई। इससे कम उम्र के बालकों से बन्दरगाह पर कार्य करवाना निषेध माना गया।

- **चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933**

इस एक्ट द्वारा बाल श्रम शोषण को रोकने हेतु बालकों के माता–पिता अथवा संरक्षकों को दंडित करने का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार ऐसे माता–पिता जो बालक को अल्पायु में ही कार्य पर भेज देते हैं अथवा बालक को अपने स्थान पर अपने मालिक के यहाँ गिरवी रखकर बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे माता–पिता को दण्डित करने का अधिनियम बनाया गया। इस कानून द्वारा बाल श्रम शोषण एवं बंधुआ बाल मजदूरी प्रवृति पर अंकुश के साथ ही शोषण की प्रक्रिया पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया।

- **एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट 1938**

इस अधिनियम द्वारा ऐसे क्षेत्र जो कि कानून की परिधि से परे थे, जेसे कुली का कार्य, ट्रांसपोर्ट में कार्य अथवा इससे मिलते–जुलते कार्यों आदि में लगा बाल श्रम। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि अल्पायु बालक से कार्य करवाने पर दंड का प्रावधान एवं बालक की सेवा को अवैध घोषित कर दिया

जाएगा। साथ ही बंदरगाहों पर कार्य करने की आयु को 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी, जो कि प्रशंसनीय कदम था।

3.5.2 स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सरकारी प्रयास

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बाल श्रम समस्या पर नियंत्रण स्थापित करने के सरकारी प्रयासों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं :–

(1) संवैधानिक प्रयास

(2) सरकारी अधिनियम एवं प्रावधान

3.5.2 (1) संवैधानिक प्रावधान

सर्वप्रथम, हम संवैधानिक प्रयासों का विश्लेषण कर बाल श्रम समस्या के उन्मूलन पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। प्रमुख संवैधानिक प्रयासों एवं समय–समय पर पारित विभिन्न अधिनियमों द्वारा बालकों के अधिकारों एवं विकास को प्रभावित करने वाले संवैधानिक व सरकारी प्रावधान बालकों के कल्याण हेतु है। कुछ अन्य मौलिक अधिकार भी हैं जो बालकों के लिए भी लागू होते हैं और बालकों को इसका आनंद लेने का अधिकार है, क्योंकि बालक भी भारत के नागरिक हैं।[28] बालकों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं :–

संवैधानिक प्रावधान :–

- **अनुच्छेद–14**

इस अधिकार के अन्तर्गत संविधान भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है।

- **अनुच्छेद–15**

यह अनुच्छेद, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग व जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है।

- **अनुच्छेद–15 (3)**

यद्यपि भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के अन्तर्गत किसी भी आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, किन्तु अनुच्छेद–15 (3) राज्यों को महिलाओं एवं बालकों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुकूल उपचार देने हेतु अपने कानूनों में विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान कर उनके हितों को सुनिश्चित कर सकता है।

- **अनुच्छेद–21**

यह अनुच्छेद जीवन रक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो बालकों सहित व्यक्तियों के जीवन एवं व्यक्तिगत नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।[29]

- **अनुच्छेद–23**

यह अनुच्छेद बालकों एवं महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह मानव तस्करी, बेगार पर रोक एवं स्त्री पुरूष व बालकों के क्रय एवं विक्रय को प्रतिबन्धित करता है एवं इस कानून का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त अनुच्छेद द्वारा मानव के क्रय–विक्रय एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि व्यक्ति सामान्य एवं गरिमामय जीवनयापन कर सके एवं बालकों की सुकुमार अवस्था के दुरूपयोग को रोका जा सके।[30]

- **अनुच्छेद–24**

यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकेगा, यह पूर्णतः निषेध है।[31] इसके माध्यम से बालक अपना शारीरिक, मानसिक विकास, शिक्षा तथा मनोरंजन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास कर अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकेंगे।

इस प्रकार अनुच्छेद 24 द्वारा वितरणात्मक न्याय के अन्तर्गत बालकों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं।[32]

इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि बाल श्रमिकों की सुकुमारावस्था का दुरूपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रावधानों द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

- **अनुच्छेद–39 ई**

यह अनुच्छेद अनुशंसा करता है कि, श्रमिकों, पुरूषों और महिलाओं के स्वास्थ्य एवं ताकत तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा भी संविधान राज्यों को निर्देशित करता है कि बाल श्रमिकों की सुकुमारावस्था का दुरूपयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए।

राज्य द्वारा नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधानों के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करना आवश्यक है।[33]

- **अनुच्छेद–39**

यह अनुच्छेद राज्यों को निर्देशित करता है कि, बालकों को स्वस्थ तरीके से एवं स्वतंत्रता एवं सम्मान सहित विकसित होने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही बालक के बचपन को शोषण, नैतिक व भौतिक परित्याग के विरूद्ध संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करने का आदेश प्रदान करता है।[34]

उपर्युक्त अनुच्छेद द्वारा संविधान प्रयास करता है कि, बालकों का शोषण रोका जाना चाहिए एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि माता–पिता या कानूनी संरक्षक उनका नैतिक एवं

भौतिक परित्याग नहीं कर सके। यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके विरूद्ध कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रावधान द्वारा बालक की सुकुमार अवस्था एवं स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना आवश्यक माना गया है। वहीं उन्हें सम्मानपूर्वक स्वस्थ वातावरण में विकसित होने का भी अधिकार प्रदान किया गया है।

- **अनुच्छेद–45**

इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य छह वर्ष से कम आयु के बालकों हेतु बाल अवस्था में देखरेख एवं शिक्षा देने हेतु अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा एवं संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

उपर्युक्त विवेचन की समीक्षा अनुच्छेद 24 से कर सकते हैं, क्योंकि जब बालक 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करेगा तो अनुच्छेद 24 में वर्णित किसी भी नियोजन में 14 वर्ष की आयु के पूर्व बालक को नियोजित नहीं किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 के अनुपालन में "अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009" बनाया गया यह अधिनियम 3 अप्रेल 2010 से लागू हो गया है।

- **अनुच्छेद–21 ए**

यह अनुच्छेद भारतीय संविधान में 86वां संशोधन करके जोड़ा गया है। इसका पूरा नाम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है। इस अधिनियम को मूल अधिकार का दर्जा प्राप्त है। ऐसा करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बन गया है।

- **अनुच्छेद–51 ए (ट)**

इस अनुच्छेद के माध्यम से छह वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों के माता–पिता या संरक्षक बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। यह उनका एक मौलिक कर्तव्य है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बालश्रम के उन्मूलन हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं ताकि बालकों के हितों का संरक्षण हो सके।

3.5.2 (2) बालश्रम उन्मूलन के वैधानिक प्रावधान एवं अधिनियम

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा बाल श्रम की बुराईयाँ समाप्त करने हेतु कई अधिनियम बनाए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों के शोषण को रोकना था। विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से कार्यरत बाल श्रमिकों के कार्य की दशाएं, विश्राम के घंटे, न्यूनतम आयु, भोजन व चिकित्सा की सुविधाएं, बालकों के अवकाश एवं बाल श्रमिकों का पारिश्रमिक निर्धारण एवं उनके भुगतान के तरीकों आदि को परिभाषित किया गया ताकि न केवल बाल श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक लग सके वरन नियोक्तओं के व्यवहार को भी नियंत्रित किया जा सके।

विधायिका द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अधिनियमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

- **न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948**

इस अधिनियम द्वारा मजदूरी तय करने की शक्ति सरकार को दी गई ताकि वह बालकों, वयस्कों एवं किशोरों की न्यूनतम मजदूरी तय कर सकें।

- **कारखाना अधिनियम 1948**

इस अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया एवं 15 से 18 वर्ष के अवयस्कों को खतरनाक कार्य जिसमें बिना प्रशिक्षण एवं सक्षमता प्रमाण पत्र के कार्य करने पर प्रतिबंधित लगाया गया एवं साप्ताहिक छुट्टी के साथ 4–5 घंटे अधिकतम निर्धारित किए गए एवं बालकों के कारखानों में रात्रि 7.00 से 5.00 बजे तक कार्य करने पर रोक लगायी गयी।[34]

- **खान अधिनियम, 1952**

इस अधिनियम के पूर्व 14 वर्ष से कम आयु के बालक को खान में कार्य करने एवं उससे संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तत्पश्चात इसमें संशोधन करके आयु 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई। किंतु प्रशिक्षण एवं अप्रेंटिस की आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई। इसके उल्लंघन करने पर ₹500 तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- **मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961**

इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि 14 से 18 वर्ष तक के बालकों से अधिकतम आधे घंटे के विश्राम के साथ 6 घंटे ही कार्य करवाया जा सकेगा।

- **बीड़ी एवं सिगार कामगार अधिनियम 1966**

इस अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि, किसी भी औद्योगिक परिसर में 14 वर्ष से कम आयु के बालक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए एवं 14 से 18 वर्ष के बालक को सांय 7. 30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके उल्लंघन करने पर तीन माह का कारावास अथवा ₹500 का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।

3.6 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

भारत सरकार द्वारा बालश्रम समस्या की गंभीरता को देखते हुए, 1986 में संसद द्वारा यह बिल पास कराया गया। बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन की धारा 6 में यह उल्लेखित किया गया है कि धारा 3 में लिखित व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में बालकों को काम करना प्रतिबन्धित किया गया है। वहीं धारा 7 में बालकों के कार्य करने की स्थितियों को विनियमित किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों का किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में नियोजन को निषेध किया गया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को सात व्यवसायों जैसे रेलवे में यात्री माल व डाक लेने का निषेध किया गया है। रेलवे परिसर में

कोयला चुनने, खानपान व निर्माण कार्य में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम लगभग 18 प्रक्रियाओं में जिसमें मुख्यतः बीड़ी बनाना, रंगाई छपाई, बुनाई, माचिस, पटाखा निर्माण उद्योग, हीरे की कटाई और तुड़ाई, साबुन निर्माण, चमड़े का कार्य व उनकी सफाई आदि खतरनाक कार्य में बाल श्रमिकों के कार्य करने की मनाही करता है।

बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 14 के अनुसार बाल श्रम करवाने वाले नियोक्ता को तीन माह से एक वर्ष तक का कारावास अथवा 10000 से ₹ 20,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है।[37] जिन व्यवसाय प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, उसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं जैसे–

- बालक से 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जाएगा एवं बीच में आधे घंटे का विश्राम दिया जाएगा।
- बालक को सांय 7.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक न तो कार्य पर रखा जाएगा और न ही ओवरटाइम पर रखा जाएगा। उन्हें एक साप्ताहिक अवकाश प्राप्त होगा।
- किसी भी बालक को ओवरटाइम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी।

इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रावधान के उल्लंघन में यदि किसी बालक को कार्य में नियोजित किया जाए तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो कम से कम तीन माह होगा एवं जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा व जुर्माना 10 से 20 हजार रूपये तक हो सकेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि बालश्रम एवं प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 बालश्रम को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जिसमें स्पष्ट रूप से बालश्रम करने पर दण्ड और जुर्माने का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप प्रतिबन्धित एवं खतरनाक व्यवसायों में बालकों को नहीं रखा जा सकता है।

3.7 राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम उन्मूलन के प्रयासों के अन्तर्गत जब 1979 को अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम दिवस घोषित किया गया, ताकि बालकों के अधिकार, उनकी आवश्यकता व विकास की ओर जनता एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत में 1974 में बालकों पर राष्ट्रीय नीति का प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें विभिन्न प्रावधान किये गये जैसे– 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एवं क्रूरता व शोषण से बालकों की रक्षा करना आदि।

तत्पश्चात् बाल श्रमिकों पर गठित गुरूपाद स्वामी समिति ने अपना प्रतिवेदन दिसम्बर 1979 में दिया जिसमें बाल श्रमिक व बाल शोषण में अंतर स्थापित किया गया। समिति के अनुसार बाल श्रमिक एक प्रथा है। बालश्रम तब ही बाल शोषण का रूप लेगा यदि बालकों को उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य करना पड़े, उसे प्रदान की जाने वाली मजदूरी उसके द्वारा किये गये कार्य की मात्रा के अनुरूप नहीं होने एवं उत्पादन प्रक्रिया या व्यवसाय का उसके

स्वास्थ्य व सुरक्षा पर विपरित प्रभाव पड़ता है अथवा उसके द्वारा श्रम करने पर व्यय किये गये कार्य घंटे उसकी शिक्षा, मनोरंजन एवं विश्राम में बाधा बनने लगे। इस प्रकार उपर्युक्त अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 का निर्माण किया गया।

राष्ट्रीय बालश्रम नीति को 1987 में (बालश्रम निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के पश्चात अंगीकार किया गया। इस नीति का उद्देश्य बाल श्रमिकों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से लाभ प्रदान करना एवं परियोजना आधारित कार्य योजना का निर्माण करना था ताकि बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया जा सके। प्रारम्भ में इस नीति का उद्देश्य उद्योग विशेष पर परियोजना को कार्यान्वित करना था साथ ही बालकों को अनौपचारिक शिक्षा के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी था।[38] इसके अतिरिक्त बालश्रम को नियंत्रित करने हेतु लोगों में बालश्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता उत्पन्न करना भी था। बालकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर 'समेकित बाल विकास सेंवाएं' जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि बालक को पोषण उपलब्ध हो सके तथा बालकों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 का मुख्य उद्देश्य बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं बाल श्रम से जुड़े अन्य अधिनियमों को कड़ाई से लागू करना है ताकि बाल श्रम उन्मूलन को गति मिल सके। इसके साथ ही छुड़ाये गए बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना एवं उन्हें औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाना इस नीति का उद्देश्य है।[38]

- **राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजना 1988**

इस परियोजना को एनसीएलपी भी कहा जाता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बालकों के कार्य निषेध एवं प्रवर्तन को तीव्र गति से क्रियान्वित करना है। साथ ही जिन बालकों को बाल शोषण से मुक्त करवाया जाता है उनके माता–पिता को रोजगार मुहैया करवाना मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में बालकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण स्वास्थ्य की देखभाल एवं विशेष स्कूलों की स्थापना करना भी महत्वपूर्ण है।

- **राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन अधिकार 1994**

26 सितम्बर 1994 में गृह सूचना प्रसारण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा मंत्रालय, विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों सहित केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकार 1994 का मुख्य उद्देश्य संवैधानिक आदेशों को पूर्ण करने एवं बालकों को हानिकारक व्यवसायों से मुक्त करवाकर विशेष विद्यालयों में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करवाना है।

इस प्राधिकार का मुख्य उद्देश्य बालश्रम उन्मूलन हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करना एवं उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करना है। इस योजना के माध्यम से जो गैर सरकारी संगठन बालश्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं उन्हें मंत्रालय की ओर से सीधे अनुदान प्रदान किया जाता है।

- **बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक–2016**

इस अधिनियम द्वारा बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बालक को जहां पारिवारिक व्यवसायों में कार्य करने की छूट प्रदान की गई वहीं 1986 में घोषित जोखिमपूर्ण व खतरनाक उद्योगों की संख्या जो पूर्व में 83 थी, उन्हें मात्र 3 क्षेत्रों में ही दिखाया गया है। इसके लिए कुछ शर्तों की पूर्ति अपरिहार्य है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं–

- 14 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य करवाना संज्ञेय अपराध है।
- नियोक्ता के साथ माता–पिता को भी दण्डित किया जाएगा।
- बालकों के खतरनाक व्यवसाय में कार्य करने पर रोक।
- बाल श्रमिक को कार्य में रखने पर कैद की अवधि तीन माह से एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 6 माह से 2 साल तक कर दी व जुर्माना बीस हजार रूपये से बढ़ाकर पचास हजार रूपये कर दिया गया।

इस प्रकार बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2016 द्वारा जहाँ कुछ शर्तों पर 14 से 18 वर्ष के किशोरों को उद्योगों में बाल श्रम करने पर दंड व जुर्माना का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप प्रतिबन्धित एवं खतरनाक व्यवसायों में बालकों को नहीं रखा गया।

- **बालश्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2017 अधिसूचना**

बालश्रम संशोधन अधिनियम 2016 की जब आलोचना की गई तो इस अधिनियम में संशोधन किया गया एवं कानूनों में निम्न बदलाव किये गये जो इस प्रकार हैं–

- बालक विद्यालय समय पश्चात पारिवारिक उद्यमों में काम कर सकता है।
- शाम 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक बालक कार्य नहीं कर सकेंगे। पारिवारिक उद्यमों में मात्र तीन घण्टे ही कार्य कर सकेंगे।
- आडियो विजुअल वाणिज्यिक व्यवसायों में जिसमें बालक एवं किशोरों को काम करना पड़ता है उनमें कलाकार के रूप में 5 घण्टे प्रतिदिन या तीन घण्टे विश्राम के बिना कार्य करने हेतु निर्माता को हर छः महिनों में मजिस्ट्रेट से सहमति लेने की आवश्यकता होगी।

3.8 बाल श्रम एवं उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश

किसी देश के बालकों की गतिशीलता रचनात्मकता में परिवर्तन लाने हेतु बालकों के अधिकारों को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में एन.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य ए आई आर 1997 एस.सी. 699 (सिविल रिट याचिका क्रमांक 465/86 में बालश्रम उन्मूलन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये थे, जो इस प्रकार हैं–

- कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की पहचान करना।
- उद्योगों में कार्यरत बालकों को वहां से बाहर निकालना एवं उचित संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना।
- जो इसका उल्लंघन करेंगे उन नियोक्ताओं को इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली कल्याण निधि में 20,000 रूपये प्रति बालक की दर से भुगतान करना पड़ेगा एवं उसमें से 5000 रूपये का वित्तीय अंशदान उस बालक के परिवार को देना होगा।
- गैर खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बालकों हेतु कार्य के घंटों का विनियमन करना ताकि छः घंटे से अधिक कार्यभार नहीं हो सके और शिक्षा के लिए बालकों को 2 घंटे प्रतिदिन प्राप्त हो सकें। श्रम मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखी जा रही है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि एन.सी.मेहता द्वारा लगाई गई याचिका के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा बालश्रम से सम्बन्धी दिशा निर्देश प्रदान किये गए एवं सरकारों को निर्देशित किया गया कि वे इन मार्गदर्शक दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालकों को शोषण से बचाने हेतु एक दीर्घकालीन व्यवस्थित योजना बनाए जाने हेतु भी दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

3.9 राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बालकों के अधिकार, उनके संरक्षण एवं विकास हेतु आयोजित शिखर सम्मेलन में भारत ने भी भाग लिया। चूंकि बाल अधिकार अभिसमय अन्तर्राष्ट्रीय संधि है जो हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वे अभिसमय में वर्णित बालकों को अधिकारों के संरक्षण हेतु समस्त आवश्यक उपाय करे। इसी क्रम में भारत सरकार ने "राष्ट्रीय बालक चार्टर 2003" को अंगीकार किया एवं केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा एक निकाय का गठन किया गया जिसे "राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग 2005" के नाम से जाना जाएगा।

यह आयोग बालकों के विरूद्ध अपराधों या बाल अधिकारों के अतिक्रमणों की जांच कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिश करेगा।

3.9.1 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2005 का गठन

इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः अन्य सदस्य हैं। इन छः सदस्यों में से कम से कम दो स्त्रियां होंगी। इन सदस्यों को बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण एवं विकास से सम्बन्धित अनुभव होना आवश्यक है।

3.9.2 अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

3.9.3 राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :–

- बाल अधिकारों के संरक्षण एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।
- आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को बालकों की रक्षा के उपायों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- बाल अधिकारों के अतिक्रमण की जांच करना एवं ऐसे मामलों में कार्यवाही करने की सिफारिश करना।
- आयोग उन समस्त पहलुओं की जांच करेगा जो आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न आदि से प्रभावित बाल अधिकारों को रोकते हैं एवं आयोग उनसे सम्बन्धित समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करेगा।
- ऐसे बालक जो असुविधाग्रस्त, तिरस्कृत, अपराधी प्रवृत्ति के हैं एवं ऐसे अन्य बालक जिन्हें विशेष देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता है, आदि की जांच पड़ताल आयोग द्वारा करने एवं उपर्युक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- समस्त राजकीय प्रावधानों का अध्ययन कर और विद्यमान नीतियों, कार्यक्रमों एवं अन्य क्रियाकलापों का पुर्नविलोकन कर बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशें करना।
- केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी किशोर अभिगृह अथवा किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण करवाना।
- ऐसे कार्य करना जो बालकों के अधिकारों व संवर्धन हेतु आवश्यक समझे जाए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आयोग बालकों के संरक्षण, सुरक्षा, उनके लिए बनाए गए प्रावधानों, नीतियों और कार्यक्रमों आदि की समीक्षा, पुर्नविलोकन एवं सिफारिश करता हैं एवं बालकों के हित में इनका प्रभावी क्रियान्वयन करने पर बल देता है।

राजकीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रियांक कानूनगो हैं। इन्होंने 'पोषण ट्रेकर एप' के माध्यम से प्रवासी बालकों एवं कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव द्वारा लगभग एक लाख बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ा है। बाल अधिकार दिवस 20 नवम्बर को

मनाया जाता है। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का आदर्श वाक्य 'भविष्यो रक्षति रक्षित' को लान्च कर बालकों की रक्षा को प्रोत्साहित किया गया है।

इसके अतिरिक्त राजकीय स्तर पर भी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कर बालकों के हितों की रक्षा को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है।

3.10 किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015

इस कानून के द्वारा बालकों की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं उनके विकास को सुनिश्चित किया गया है।

3.11 इंडस परियोजना (प्छक्नै)

इंडस परियोजना (इंडो यू.एस.डी.ओ.एल.) यह परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय एवं श्रम विभाग व संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। इसका संचालन भारत के राज्यों क्रमशः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश के उन जिलों में किया जाता है जहां बाल श्रमिक चिन्हित खतरनाक व्यवसायों में कार्यरत हैं। इस परियोजना के तत्वाधान में 8–14 वर्ष के बालकों को जोखिमपूर्ण व्यवसायों से छुड़ा कर व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा का प्रावधान किया जाता है।

यह परियोजना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पांच राज्यों के 31 जिलों में स्थित 10 खतरनाक क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्रियान्वित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खतरनाक व्यवसायों में काम करने वाले बाल श्रमिकों की पहचान करके उन्हें छुड़ाना है और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना है। किशोरवय बालकों हेतु व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है। ऐसे बालकों की मॉनिटरिंग करके उन्हें समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करना है। साथ ही अन्य राज्यों में खतरनाक बालश्रम के खिलाफ कार्यवाही के प्रति दिलचस्पी पैदा करना है।

अतः स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा किशोरों के हितों का संरक्षण किया गया है।

निष्कर्ष

बालश्रम एक गम्भीर चुनौती के रूप में विद्यमान है क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण एवं सांस्कृतिक आदत को अक्सर बच्चों के आर्थिक कारकों को प्रभावित करने वाले कारणों के रूप में देखा जाता है जो कि जड़ में ही होते हैं एवं उनकी पहचान ठीक से नहीं हो पाती है और शायद उन्हें वह मिलता ही नहीं है जिसके वे हकदार हैं।[39] भारत के विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों, अधिनियमों के बावजूद यह समस्या बढ़ती जा रही है बालकों का भविष्य अंधकारमय न हो इसलिए इस समस्या का उन्मूलन आवश्यक है। इस समस्या के समाधान हेतु हमें विभिन्न उपायों को अपनाना पड़ेगा जैसे सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, बाल श्रमिक के माता–पिता को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना एवं समाज के नागरिकों में

जागरूकता लाना। इस संदर्भ में उन्हें संवेदनशील बनाना होगा तभी इस समस्या का समाधान संभव है।

बाल श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में अनेक अधिनियम एवं प्रावधान बने हुए हैं, आवश्यकता मात्र उन्हें कठोरतापूर्वक पूर्ण इच्छा शक्ति से लागू करने की है। इसके लिए एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण करना भी आवश्यक है ताकि बालक के परिवेश में सुधार संभव हो सके, इस हेतु समेकित रणनीति बनाकर विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से सही वस्तुस्थिति का आंकलन कर बालश्रम कानूनों का सही एवं त्वरित गति से क्रियान्वयन अति आवश्यक है। बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालश्रम उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो सकती है किन्तु जैसा कि "माइनर वीनर" ने अपनी पुस्तक "द चाइल्ड एण्ड द स्टेट आफ इण्डिया" में कहा है कि भारतीय अनिवार्य शिक्षा को महत्व देते हैं और भारत के विकास व आधुनिकीकरण हेतु जन शिक्षा को आवश्यक नहीं माना गया अपितु इसे अभिजन वर्ग के बालकों हेतु माना गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि बालश्रम गरीबी को कायम रखता है यह इसे कम नहीं करता है क्योंकि यहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को इसके दुष्चक्र में फंसा देती है।[40] अतः हमें इसकी जड़ तक जाकर ही इनको समाप्त करना होगा।

4

बालिका बालश्रम चुनौतियाँ और समाधान

4.1 परिचय

समकालीन अर्न्तराष्ट्रीय परिदृश्य में बालश्रम समस्या एवं मानवाधिकार का विषय संवेदनशील रूप से परिलक्षित हुआ है। जीवन का सबसे बेहतरीन अहम और नाजुक हिस्सा बचपन होता है। आज जिस तरह बालकों का जीवन कुंठित हो रहा है, वह मानव मात्र को भीतर से झकझोर कर रख देता है। जब सामाजिक एवं राजनीतिक सुविधाओं से वंचित बालक बचपन की स्वाभाविक गतिविधियों से दूर होकर 14 वर्ष से कम आयु में ही श्रम करने लगते हैं, तो उन्हें बाल श्रमिक कहा जाता है। बालश्रम विश्व के साथ–साथ भारत में भी एक चुनौती का विषय बना हुआ है। बालश्रम समानता, स्वतन्त्रता, न्याय एवं मानव गरिमा के विरूद्ध है। गरीबी, अशिक्षा विकृत सामाजिक संरचा आदि कुछ ऐसे कारण है जो बालश्रम विशेषकर बालिका श्रम को एक जटिल एवं भयावह समस्या के रूप में परिलक्षित करते हैं। बालिका श्रम के कारण बालिकाओं पर न केवल बचपन, मनोरंजन के क्षण, शिक्षा आदि पर दुष्प्रभाव पड़ता है वरन बालिकाओं को शारीरिक व मानसिक शोषण का शिकार बालक श्रमिकों की अपेक्षा ज्यादा सहन करना पड़ता है। चूंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न दर्जे की है, वह शक्तिहीन और विकास से वंचित होने के साथ–साथ निर्धनता से पीड़ित और पितृसतात्मक व्यवस्था से शोषित भी है। यही कारण है

कि बालिका श्रमिकों को अल्पायु में कार्य करने हेतु मजबूर ही नहीं किया जाता है वरन उन्हें बालक श्रमिकों की अपेक्षा कम मजदूरी में अधिक कार्य करना पड़ता है।

4.2 बालिका श्रमिक का अर्थ

बालिका बालश्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह अदृश्य है। यह उस जगह पर ज्यादा पाया जाता है जहां कानून की पहुंच अथवा निगरानी कम होती है। यह अक्सर घरों के अंदर छिपा रहता है, जैसे घरेलू सहायिका का कार्य, व्यावसायिक कार्य, कृषि एवं पशुपालन कार्य, फैक्ट्री एवं भवन निर्माण, ईंट भट्टो, ढाबों, होटलों तथा अन्यत्र कराए जाने वाले कई कार्य जिनमें से अधिकांश घर पर रहकर ही कार्य किया जाता है।

बालिका बाल श्रमिक से तात्पर्य है जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।[1] जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक अथवा बालिका बाल श्रमिक है।

अतः स्पष्ट है कि बालिका श्रम सामाजिक सांस्कृतिक एवं लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। यह बालिकाओं के संदर्भ में गंभीर और संवेदनशील स्वरूप धारण कर लेती है। बालिकाओं को परिवार, समाज एवं कार्यस्थल तीनों स्थानों पर न केवल लैंगिक असमानता और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है, वरन शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व आराम के पल सुरक्षा के साथ शारीरिक और मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बालिका बालश्रम के कारण बालिकाओं के न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है वरन समाज और देश के विकास में भी बाधा पहुंचती है। सामान्यतः बालिकाओं की लाभप्रद व्यावसायिक स्थितियों को बालश्रम के अन्तर्गत जुयाल ने भी मान्यता दी है।[2]

4.3 बालिका बालश्रम की परिभाषा

समाज विज्ञान कोष के अनुसार– बच्चों द्वारा स्वयं को या परिवार के भरण–पोषण के लिए किये जाने वाले कार्य जब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उनके विकास और शिक्षा संबंधी कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं तो वह बालश्रम कहलाता है।

वी.वी.गिरी के अनुसार– बालश्रम की व्याख्या सामान्यतः दो विभिन्न अथों में की जाती है, प्रथम आर्थिक अन्याय के रूप में एवं द्वितीय सामाजिक बुराई के रूप में।[3]

कुलश्रेष्ठ के अनुसार – बालश्रम से तात्पर्य है बच्चों को लाभकारी प्रतिबंधित व्यवसायों में रोजगार देना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और जो उन्हें विकास के अवसरों से वंचित करते हों।[4]

सुरजीत सिंह के अनुसार – जब बालक कम उम्र में पूर्णकालिक श्रम एवं कई घंटों तक अनावश्यक शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है जो कि उसके विकास के विरूद्ध है, तो वह बालश्रम है।[5]

यूनिसेफ के अनुसार – यूनिसेफ बालश्रम को ऐसे कार्यों के रूप में परिभाषित करता है जो एक बालक के लिए हानिकारक समझे जाते हैं और घंटों की न्यूनतम संख्या को पार कर जाते हैं।[6]

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि बालक अथवा बालिका बाल श्रमिकों का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। उनका उपयोग बदलते सामाजिक परिवेश, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण श्रम बाजार में बालकों की मांग के कारण अधिक होने लगा है। जिसकी कीमत बालकों को अभिभावकों के संरक्षण की प्रतिकूलता के रूप में चुकानी पड़ती है। अतः प्रसिद्ध समाजशास्त्री का यह कथन बालिकाओं के संदर्भ में उपयुक्त प्रतीत होता है कि "बालश्रम बालकों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को ही नष्ट नहीं करता है वरन उनके भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।"

4.4 बालिका बाल श्रमिक की विशेषताएँ

सामाजिक रूप से भारत में बालिका बालश्रम की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यद्यपि बालिका बालश्रम के जनगणना आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं फिर भी सामान्यतः ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का प्रतिशत अन्य वर्ग की बालिकाओं की तुलना में अधिक था।

चूंकि उपर्युक्त वर्ग की बालिका बाल श्रमिकों के परिवारों के पास आर्थिक जीविकोपार्जन के साधन अपर्याप्त होते हैं, उनके पास ना तो भूमि ही होती है और न ही पशुधन। इसलिए इन परिवारों की बालिकाएं आसानी से मजदूरी के लिए उपलब्ध हो जाती हैं, जो कठोर एवं अमानवीय कार्य परिस्थितियों में अपने बचपन को समाप्त कर देती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी बालिका बाल श्रमिक अपने परिवार की आय में वृद्धि करने हेतु अल्पायु में ही कार्य करने हेतु मजबूर हो जाती हैं। अतः वेतन हेतु कार्य करने वाले एवं स्कूल नहीं जाने वाले किसी भी बालक को बाल श्रमिक कहा जाता है।[7]

जे.के. लिटन अनुप के. करण एवं अनुप के. संत्यपंथी ने कार्य करने वाली बालिका बाल श्रमिकों को निम्न पांच समूहों में विभक्त किया है।[8]

- प्रथम समूह में वे बालिकाएँ आती हैं जो अपनी एवं अपने परिवार की आय एवं जीवनयापन की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से श्रम बाजार से जुड़ी रहती हैं।
- दूसरे समूह में वे बालिकाएँ आती हैं जो अपने ही घर में रहकर अथवा घर के आसपास रहकर कार्य करती हैं और अनौपचारिक विद्यालयों में भी पढ़ती हैं जैसे बीड़ी बनाना, गोटा पत्ती, लेस लगाना, कालीन बनाना आदि।

- तीसरी एवं चतुर्थ समूह में वे बालिकाएँ हैं, जो विद्यालय जाती हैं और तत्पश्चात घरेलू अथवा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहती हैं जैसे घरेलू कार्य, कृषि कार्य, पशुपालन कार्य व अन्य।
- पाँचवें समूह की बालिकाएँ विद्यालय जाती हैं और आर्थिक क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों में बिल्कुल संलग्न नहीं रहती हैं अर्थात् ऐसी बालिकाएँ आर्थिक लाभ हेतु कार्य नहीं करती हैं।

बालिक बालश्रम से सम्बन्धित एक आमधारणा यह है कि यह अल्पविकसित अथवा गरीब देश में ही पाया जाता है। उपर्युक्त धारणा बालिका बालश्रम के संदर्भ में निराधार है। बालिका बालश्रम गरीब देशों के साथ–साथ विकसित देश में भी पाया जाता है, हो सकता है उसका स्वरूप अल्पविकसित देशों में कार्यरत बालिका श्रमिकों से भिन्न प्रकार का हो सकता है।

इसी प्रकार यह कहना कि गरीबी कम होने पर बालिका बालश्रम समाप्त हो जाता है भी गलत है क्योंकि गरीबी कम होने पर माता–पिता अपने बालक बाल श्रमिकों को तो विद्यालय भेज देते हैं, किन्तु बालिकाओं को अन्यत्र कार्य पर नहीं भेज देते हैं अथवा घर पर रहकर ही कार्य उपलब्ध कराते हैं।

बालिका बाल श्रमिकों के बारे में एक पूर्व धारणा यह भी है कि बालिकाओं को बचपन से ही कार्य सीखने व कराने पर बल दिया जाना चाहिए, विशेषकर गरीब परिवारों में बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचने अथवा कुछ करने पर बल ही नहीं दिया जाता है।

इसी प्रकार पारिवारिक एवं सामाजिक अपेक्षाएँ, मान्यताएँ एवं परंपराएँ भी बालिकाओं को बालश्रम की ओर धकेलती हैं, वैसे भी बालिकाओं और महिलाओं के लिए सीमित अवसर और सुरक्षा का अभाव भी होता ही है।[9]

आई.एल.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत बाल श्रमिक घर पर ही कार्य करते हैं, वे अधिकांश बालिका बाल श्रमिक हैं।

4.5 बालिका बालश्रम के प्रमुख प्रकार

बालिका बालश्रम की समस्या सामाजिक एवं नैतिक रूप से उनके भविष्य को अन्धकारमय ही नहीं बनाती है वरन उनके शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में भी बाधक बनती है। बालिका बालश्रम के कई प्रकार हैं यह स्वरूप, कार्यक्षेत्र, जोखिम एवं शोषण की तीव्रता के अनुसार अलग–अलग हो सकता है।

बालिका श्रम के प्रकार इस प्रकार हैं :–

- **घरेलू बालिका बाल श्रमिक** :– बालिका बालश्रम का यह सबसे बड़ा एवं सामान्य रूप है यह लगभग अदृश्यस्वरूप है, बालिका अल्पायु में ही घर के छोटे–छोटे कार्यों के साथ आय अर्जन हेतु अन्य घरों में भी घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करती हैं। जैसे झाड़ू–पोछा, बर्तन धोना, साफ–सफाई करना आदि। बालिका घर पर अपने छोटे

भाई–बहनों की देखभाल के साथ घर के बड़े–बुजुर्गों का भी ध्यान रखती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। इन कार्यों को करने के कारण उनका शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है जैसे या तो बालिका बाल श्रमिक विद्यालय जाती ही नहीं हैं, और यदि वह जाती भी हैं तो अक्सर विद्यालय की छुट्टी करती हैं और घर पर गृह कार्य अथवा पढ़ाई नहीं कर पाने के कारण वह धीरे–धीरे विद्यालय से दूरी भी बनाने लगती हैं। घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करने के कारण कई बार उसे शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और कई बार उसे यौन शोषण का भी शिकार बनना पड़ता है। यह स्थिति शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाई जाती है।

- **कृषि क्षेत्र में बालिका श्रम** :– ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका श्रम कृषि कार्यों जैसे खेतों की बुआई, निराई एवं कटाई जैसे कार्यों के साथ पशुओं की देखभाल उन्हें जंगलों में चराने जाना, उन्हें चारा–पानी देना आदि कार्यों में लगा रहता है जहाँ अत्यधिक श्रम तो कराया जाता है, किन्तु कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, अत्याधिक परिश्रम के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- **घरेलू लघु एवं कुटीर उद्योगों में बालिका श्रम** :– बालिका बालश्रम आय अर्जन हेतु घरों अथवा लघु व कुटीर उद्योगों में ही किये जाने वाले कार्यों में भी लगा रहता है। जैसे घर पर ही बीड़ी बनाना, कालीन निर्माण, गोटा पत्ती लगाना, कढ़ाई–सिलाई करना, अगरबत्ती बनाना, थैले बनाना आदि, इन कार्यों को करने के कारण बालिका श्रमिक पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक ही जगह पर बैठकर कार्य करने से उनको शारीरिक अपंगता, आँखों में जलन, अंगुलियों का टेड़ापन, धूल व रसायनों के संपर्क में आने से कई प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **भवन निर्माण कार्य में बालिका श्रम** :– परिवार की गरीबी के कारण कई बार बालिकाओं को घरेलू कार्य नहीं मिलने के कारण भवन निर्माण, सड़क निर्माण व बिल्डिंग निर्माण जैसी जगह भी कार्य करना पड़ता है। जेसे ईंट भट्टा पर परिवार सहित कार्य करना, उसमें ईंटों को बनाना, उन्हें जमाना और वाहन में भरना जैसे कार्य किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्यों में भी ईंट, बजरी, सीमेंट ढोना, पानी लाना व अन्य कार्य करना आदि सम्मिलित है। इन कार्यों को करने के कारण बालिकाओं का न केवल शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, वरन ऊंचाई से गिरने, चोट लगने एवं वहां कार्यरत अन्य व्यक्तियों से भी उन्हें गंभीर खतरा बना रहता है।
- **दुकानों, होटल एवं ढाबों पर कार्य करना** :– गरीबी के कारण बालिका बाल श्रमिकों को कई बार होटल व ढाबों पर बर्तन धोने, सफाई करने व ग्राहकों की सेवा करने के कार्य, कम वेतन पर अधिक समय तक करने पड़ते हैं, दुकानों पर दाल, अनाज साफ करना, ग्राहकों को सामान देना जैसे कार्य करने पड़ते हैं, इस कारण उनको कई बार नियोक्ता

एवं ग्राहकों की ना केवल गालियां सहन करनी पड़ती है वरन शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न की संभावना भी बराबर बनी रहती है।

- **मानव तस्करी एवं बालिका श्रम** :– यह बालिका बालश्रम का सर्वाधिक अमानवीय पहलू है जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की गरीब बालिकाओं को कार्य दिलाने के बहाने से ठेकेदार द्वारा उनके माता–पिता को विश्वास में लेकर अथवा पैसों का प्रलोभन देकर अन्यत्र स्थान पर लाया जाता है और वहां बालिकाओं से न केवल लम्बे समय तक जबरदस्ती अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कराया जाता है, वरन उनका शारीरिक शोषण भी आम बात होती है। उनकी स्वतंत्रता एवं समानता और मानवाधिकारों का उल्लंघन आम बात होती है व परिवार से दूर रहने के कारण नियोक्ता को ज्यादा मनमानी एवं अत्याचार करने के अवसर प्राप्त रहते हैं।
- **भीख मांगना, कचरा बीनना आदि** :– कुछ बालिकाएं कचरा बीनकर अथवा रद्दी छांटकर उन्हें बेचने का कार्य भी करती हैं और जब यह कार्य नहीं मिलता है तो वे भीख मांगने का कार्य भी करती हैं जिससे कई बार उन्हें ट्रेफिक समस्या का सामना तो करना ही पड़ता है वरन सड़क पर कार्य करने के कारण अपराधियों की भी नजरों में रहती हैं और उनके साथ हमेशा अनहोनी की भी आशंका बनी रहती है। इस कारण उनका जीवन हमेशा असुरक्षित एवं अस्थिर बना रहता है।

उपर्युक्त प्रकारों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, बालक बाल श्रमिकों की अपेक्षा बालिका बालश्रमिक के समक्ष ज्यादा चुनौतियां हैं जिनका उन्हें हर कदम पर सामना करना पड़ता है। अतः प्रत्येक प्रकार के बालिका बालश्रम को रोकने हेतु शिक्षा, जनजागरूकता, सामाजिक सहभागिता एवं कड़े कानूनों व उनकी अनुपालना की आवश्यकता है। समाजशास्त्री मि.जार्ज का कहना है कि बालश्रम बालिकाओं की शारीरिक क्षमताओं को ही नष्ट नहीं करता वरन उनके भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है।

4.6 बालिका बालश्रम के कारण

- **गरीबी एवं बालश्रम** :– जब एक बालिका का गरीब परिवार जो एक सामान्य जीवन स्तर से नीचे जीवनयापन करते हैं तो उनेक श्रमिक बनने की संभावना बढ़ जाती है। गरीबी के कारण बालिका को अल्पवयस्क उम्र में ही कार्य करना पड़ता है और यही आगे विभिन्न प्रकार के शोषण का कारण भी बनता है।
- **जनसंख्या की अधिकता** :– जनसंख्या वृद्धि बालिका श्रम के प्रभावी एवं उत्तरदायी कारणों में से एक है। दोनों में सापेक्ष संबंध दृष्टिगोचर होता है। परिवार में बालकों की अधिक संख्या होने के कारण बालिका अल्पायु में ही समस्त घरेलू कार्य करने, भाई–बहिनों की देखभाल करने एवं अन्य कार्य करने में वयस्त हो जाती है और जब परिवार में गरीबी बढ़ती है तो बालिका को अन्य घरों में घरेलू सहायक के रूप में कार्य करने भेज दिया जाता है।

- **बालिका बाल श्रमिक का आसानी से कार्य सीखना** :– कुछ व्यवसाय जिनमें बालिका आसानी से कार्य सीख लेती है जैसे स्प्रे पेंटिंग, पैकेजिंग, इलेक्ट्रोनिक्स एवं कालीन उद्योग, चाय के बागानों आदि का कार्य बालिका श्रमिक आसानी से सीख लेती है।
- **प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन** :– जब विभिन्न कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा एवं जलवायु परिवर्तन के कारण फसलें बर्बाद हो जाती हैं अथवा विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वयस्क व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है तो वे अपनी बालिकाओं को घरेलू सहायक के कार्य हेतु शहरों में भेज देते हैं।
- **बालिका बाल श्रमिक का सस्ता होना** :– वयस्क व्यक्ति की तुलना में यह बालिका श्रम न केवल सस्ता होता है वरन आसानी से प्राप्त भी हो जाता है। उत्पादनकर्ता या व्यवसायी भी इन्हें इसलिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये कहना मान लेती हैं, अनुशासन में रहती हैं व कम मजदूरी में ज्यादा समय तक कार्य करती हैं।
- **बालिका श्रमिक की मोलभाव की शक्ति का कम होना** :– बालिका श्रमिक की श्रम के बदले में मिलने वाले पारिश्रमिक को निर्धारित करने अथवा मोलभाव की शक्ति का या तो उसका मालिक तय करता है अथवा उनके पिता तय करते हैं।
- **उत्पादकों द्वारा ऋण या अग्रिम सरलता से देना** :– जब बालिका के माता–पिता अपनी आवश्यकतानुसार ठेकेदार अथवा नियोक्ता या उत्पादक से अग्रिम धन ले लेते हैं। इस कारण बालिका के अभिभावक अपनी बालिका को उनके दबाव में आकर आसानी से उनके साथ भेज देते हैं।
- **ठेकेदार द्वारा झूंठे प्रलोभन देना** :– कई बार ठेकेदार द्वारा माता–पिता को झूठे प्रलोभन दिये जाते हैं कि वे आपकी बालिका को घरेलू कार्य अथवा कार्य कराने के अतिरिक्त पढ़ाई भी करवायेंगे और उनसे एक निश्चित समय तक ही कार्य करवाएँगे अनपढ़ माता–पिता उनके बहकावे में आ जाते हैं और अपनी बालिका श्रमिक को आसानी से उसके साथ भेज देते हैं जहां ठेकेदार बालिका का उसके माता–पिता की अनुपस्थिति में मानसिक एवं शारीरिक शोषण करते हैं।
- **संघर्ष या युद्ध की स्थिति** :– अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार युद्ध एवं संघर्ष के कारण आधे से अधिक लोगों को अपना घर–बार छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण कई बालिकाएँ बाल शोषण एवं अन्य कई प्रकार के शोषण का सामना करती हैं।
- **लैंगिक भेदभाव** :– बालिका बाल श्रमिक का एक मुख्य कारण समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव एवं लड़कियों के प्रति नकारात्मक भेदभाव भी है। समाज में माता–पिता बालकों को तो विद्यालय भेज देते हैं, उसकी शिक्षा पर भी व्यय करते हैं किन्तु बालिकाओं को अल्पायु में ही घरेलू कार्य करने की आदत डाल देते हैं और बाद में उस पारिवारिक आर्य अर्जन हेतु अन्यत्र भी भेज देते हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि घरेलू कार्य में लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ज्यादा पाई जाती हैं, जबकि लड़के बाहरी कार्यों को करने में ज्यादा रूचि दिखाते हैं। इसका कारण सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप में पाया जाने वाला मुख्य कारण लिंगभेद मुख्य है। लैंगिक भेदभाव शैक्षणिक स्तर पर भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैसे विद्यालय में बालक व बालिकाओं की उपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने की दर में भी सीधा सम्बन्ध है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में विद्यालय में उपस्थिति की दर के साथ–साथ विद्यालय छोड़ने की दर भी अधिक होती है। इस प्रकार बालिका श्रम की स्थिति और विद्यालय में उपस्थिति और विद्यालय छोड़ने की दर में घनिष्ठ संबंध है।[11]

अतः हम कह सकते हैं कि विकृत सामाजिक, आर्थिक ढांचे की बनावट, अशिक्षा, गरीबी, बेकारी निम्न जीवन स्तर लिंगभेद समाज एवं परिवार की मानसिकता आदि बालिका बाल श्रमिक के प्रमुख कारण हैं।

4.7 बालिका बालश्रम के दुष्प्रभाव

बालिका बाल श्रमिकों को जोखिमपूर्ण एवं खतरनाक उद्योगों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं में कार्य करने के कारण विभिन्न दुष्प्रभावों एवं बीमारियों का तो सामना करना ही पड़ता है, किन्तु इसके साथ ही उन्हें कई ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो कि अमानवीय होते हैं। मानवाधिकारों की एक अर्न्तराष्ट्रीय संस्था के अनुसार कई बालिका बाल श्रमिकों को वेश्यावृति में झोंक दिया जाता है अथवा उन्हें घर में कैद करके उनसे गुलामों की तरह काम कराया जाता है।

इस प्रकार बालिका बाल श्रमिक का बचपन काम के बोझ तले दबकर रह जाता है, उसे अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसरों से वंचित रहना पड़ता है और अपने आपको सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्तरों पर समझौता करना पड़ता है जिससे उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है और उसमें सामाजिक असंतोष, ग्लानि व अपराध की भावना उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार उसका बचपन विभिन्न बीमारियों व उपेक्षाओं के कारण कार्यरूपी भट्टी में जलकर राख हो जाता है। बालिका बालश्रम के दूरगामी प्रभाव होते हैं जो इस प्रकार हैं :–

- **शारीरिक प्रभाव** :– अल्पायु में ही श्रम करने के कारण बालिकाओं का शारीरिक विकास प्रभावित होता है। उनके अंग विशेष पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी अंगुलियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। एक ही स्थान पर बैठकर कार्य करने से उनके हाथ–पैरों में जकड़न एवं टेड़ापन आ जाता है, पीठ में भी विकृति आ जाती है और वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे टी.बी., दमा, आँखों में जलन, चर्मरोग, सांस रोग आदि का शिकार बन जाती है। उनके कार्यस्थल की दशाएँ भी अत्यन्त शोचनीय होती हैं एवं विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाओं में भाग लेने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।[12]

- **मानसिक प्रभाव** :– जब बालिका अपने खेलने, कूदने, विद्यालय जाने के समय को कार्य करने में व्यतीत करती है तो उसका बौद्धिक विकास अवरूद्ध हो जाता है। बालिका के कार्य के घण्टे उसके मनोरंजन के क्षणों व शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। यही नहीं कार्यस्थल पर उसे नियोक्ता की डांट–डपट, गालियाँ व कई बार अश्लील हरकतों का भी सामना करना पड़ता है, जो उसके मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालता है।
- **शैक्षणिक स्तर पर प्रभाव** :– बालिका बाल श्रमिक जब अल्पायु में ही कार्य करने लग जाती है तो मात्र उनकी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ ही प्रभावित नहीं होती हैं वरन उसकी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित होती हैं क्योंकि ना तो वह विद्यालय जा पाती हैं और न ही वह अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। इस कारण वह हमेशा समाज में दोयम दर्जे की स्थिति ही प्राप्त कर पाती हैं।
- **सामाजिक प्रभाव** :– जब बालिका गरीबी एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु घर व समाज में रहने की अपेक्षा बाहर कार्य करती हैं तो समाज की मुख्यधारा से वंचित हो जाती हैं और जब वह अपने समवयस्क बालकों को खेलते हुए और विद्यालय जाते देखती हैं तो उसका हृदय ग्लानि से भर जाता है जिसका उसके मनो–मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- **बालिका श्रमिकों से दुर्व्यवहार** :– बालिका श्रमिक कई बार नियोक्ताओं के द्वारा दुर्व्यवहार की भी शिकार होती हैं। नियोक्ताओं द्वारा अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में कम मजदूरी पर अधिक समय तक कार्य कराया जाता है व कई बार वे नियोक्ता द्वारा प्रताड़ित होती हैं जैसे देरी से आने पर, सही काम नहीं करने पर आदि। घरेलू सहायिका के रूप में कार्य करने पर, उन्हें यौन उत्पीड़न का भी शिकार होना पड़ता है।
- **विस्थापन एवं असुरक्षित प्रवास** :– बालिका श्रमिकों को कई बार अपने निवास स्थान से दूसरी जगह कार्य करने हेतु भेज दिया जाता है। नियोक्ता या ठेकेदार परिवार के लोगों को उसके अच्छे भविष्य का भी प्रलोभन देता है, ऐसी परिस्थितियों में घर से दूर अकेली बालिका श्रमिक के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसी प्रकार युद्ध एवं संघर्ष की स्थिति में उसे विस्थापित शरणार्थी की जिन्दगी जीनी पड़ती है, जहाँ उसे न केवल कार्य करना पड़ता है वरन विभिन्न प्रकार के शोषण का भी सामना करना पड़ता है।

अतः स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति एवं सांस्कृतिक विकास की बुनियाद वहाँ की आधी आबादी अर्थात् स्त्रियाँ होती हैं। यदि उनका प्रारम्भ से ही पालन–पोषण उचित रूप से नहीं किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियाँ भी कमजोर एवं अकुशल होंगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक जन–जागरूकता के माध्यम से लैंगिक भेदभाव और लड़कियों के प्रति कुंठित सामाजिक मानसिकता को समाप्त किया जाए।

4.8 बालिका बालश्रम उन्मूलन हेतु रणनीतियाँ

बालिका बालश्रम के उन्मूलन हेतु सरकार एवं समाज को प्रत्येक स्तर पर बड़े पैमाने पर रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो इस प्रकार है।

- **कठोर निगरानी एवं कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करना** :– बालिका बालश्रम के उन्मूलन हेतु कठोर कानूनों के निर्माण एवं उनके अनुपालना को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है क्योंकि बालिका बालश्रमिक ऐसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं जहाँ उनकी पहचान करना कठिन होता है, इसलिए उन पर कठोर निगरानी की आवश्यकता है, तब ही बालिका बालश्रम का उन्मूलन संभव हो पाएगा। इस हेतु खतरनाक उद्योगों में कार्यरत बालिका बालश्रमिक की पहचान कर दोषियों पर कठोर दंड की कार्यवाही आवश्यक है।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देना :–** बालिका बाल श्रमिक के उन्मूलन हेतु बालिकाओं से उपेक्षित व्यवहार एवं लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाना आवश्यक है। इसके लिए लड़कियों के प्रति न केवल समाज एवं परिवार की सदियों से चली आ रही कुत्सित मानसिकता को बदलना होगा, वरन बालिकाओं के सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर की गारंटी एवं उसकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना होगा। उनके शिक्षण व प्रशिक्षण के समुचित सुविधा पर अधिक बल देना उतना ही आवश्यक है।
- **आर्थिक सहायता व सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना :–** यद्यपि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2010 से ही अस्तित्व में है, किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की दशा शोचनीय है। वहाँ या तो पर्याप्त मात्रा में विद्यालय नहीं है और यदि हैं भी तो वहाँ पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के अभाव के साथ–साथ सुरक्षित परिवहन का भी पूर्णतया अभाव है। अतः सुरक्षित परिवहन, पर्याप्त आधारभूत सुविधा एवं निःशुल्क शिक्षा को यथार्थ के धरातल पर सुनिश्चित करना अति आवश्यक है तभी बालिका बाल श्रम का उन्मूलन संभव है।
- **सघन जागरूकता अभियान** :– बालिका बाल श्रम उन्मूलन हेतु समाज में विभिन्न माध्यमों से जन–जागरूकता कार्यक्रम चलाने पडेंगे। चाहे वे नारा लेखन, पोस्टर, कहानी, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, अथवा सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी द्वारा संदेशों के माध्यम से हों। समाज के प्रबुद्ध एवं जागरूक नागरिकों को इस हेतु आगे आना ही पड़ेगा। इसके साथ ही विद्यालयों में भी जन–जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए तभी बालिका बाल श्रम का उन्मूलन संभव हो पाएगा।
- **गैर सरकारी संगठनों की भूमिका** :– बालिका बालश्रम उन्मूलन में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संगठन विभिन्न स्तरो पर न केवल बालिका बालश्रम उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, वरन बालिका श्रमिकों से सम्बन्धित

विभिन्न कानूनों, प्रावधानों आदि के साथ बालिका श्रमिकों के शिक्षण व पुनर्वास में भी सहयोग प्रदान करते हैं।

- **अनिवार्य शिक्षा का अधिकार** :– बालिका बाल श्रमिक को यद्यपि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है किन्तु कार्य करने के अतिरिक्त वह विभिन्न कारणों से विद्यालय नहीं जा पाती हैं। अतः उसके लिए न केवल सांयकालीन विद्यालय में शिक्षण के प्रयास किये जाएं, वरन् साथ ही उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार शिक्षक एवं विद्यालयों को भी न केवल ड्राप–आऊट बालिका श्रमिक छात्राओं की पहचान करनी चाहिए वरन उनके माता–पिता से संपर्क कर सुरक्षित और अनुकूल शैक्षिक वातावरण के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **व्यावसायिक एवं औद्योगिक समुदाय की भागीदारी** :– बालिका बाल श्रमिक उन्मूलन में व्यावसायिक एवं औद्योगिक घरानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है यदि ये सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की पालना स्वाभाविक रूप से करें, एवं कार्यस्थलों पर मानवीय एवं नैतिक मापदण्ड अपनाएँ और 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को कार्य पर नहीं रखें तो बालिका श्रम उन्मूलन में काफी सहायता मिल सकती है।
- **समाज की भूमिका** :– बालिका बाल श्रम उन्मूलन में समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की भी अहम भूमिका है, जैसे यदि उन्हें बालिका बाल श्रमिक कार्य करते हुए दिखें तो प्रशासन को तुरन्त सूचित कर शिकायत करें। समाज के धनवान व्यक्ति भामाशाह के रूप में आगे आएँ और बालिकाओं से सम्बन्धित संस्थाओं को न केवल खुले दिल से दान दें, वरन उनकी देखरेख की भी जिम्मेदारी का निर्वाह करें।

4.9 बालिका बालश्रम से जुड़ी संस्थाएँ

यद्यपि राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ बालक एवं बालिकाओं के हितों हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही हैं, इन संस्थाओं के सराहनीय प्रयासों के कारण ही बड़े पैमाने पर बालिका बाल श्रमिकों को न केवल पुर्नवासित किया गया है, वरन उन्हें शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएँ इस प्रकार हैं :–

- **बचपन बचाओ आंदोलन** :– इस संस्था के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी हैं, इनका कार्यक्षेत्र बालिका व बालश्रम के विरूद्ध अभियान चलाना, बाल तस्करी एवं बालिका शोषण के विरूद्ध कार्य करना है। इसके साथ ही छुड़ाए गए बालिका एवं बाल श्रमिकों का पुनर्वास कर उन्हें शिक्षण–प्रशिक्षण एवं कौशल से जोड़ने का प्रयास भी किये जाते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से बालिका बालश्रम एंव शोषण को रोकना है। इस हेतु विद्यालय छोड़ चुकी बालिकाओं एवं बालकों को पुनः शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है।

- **स्माइल फाउंडेशन** :– इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं गरीब बालिकाओं के संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करना है, एवं जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उनके शिक्षण–प्रशिक्षण एवं पोषण आदि से सम्बन्धित कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
- **क्राई, चाइल्ड राइट्ज एण्ड यू** :– बालक एवं बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु इस संस्था के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, जिनमें बालिका संरक्षण, नीति सुधार, सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना प्रमुख है।
- **इण्डिया एक्शन एण्ड इण्डिया** :– इस संस्था का मुख्य उद्देश्य बालिका बालश्रम रोकने हेतु सामुदायिक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को साकार रूप देना है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु भी प्रयास किया जाता है।
- **केयर इण्डिया** :– यह संस्था बालिका सशक्तीकरण एवं उनके विकास हेतु कार्य करती है। यह संस्था बालिका श्रम उन्मूलन हेतु परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कार्यरत है।
- **चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन चाइल्डलाइन 1098** :– यह संस्था संकटग्रस्त बालिकाओं की आपातकालीन परिस्थितियाँ हेतु चौबीस घंटे तत्पर रहती हैं। विशेषकर बालश्रम से मुक्त बालिकाओं के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु तत्काल कार्य करती हैं। साथ ही उनकी काउंसलिंग करती है, उन्हें मेडिकल एवं कानूनी सहायता उपलब्ध करवाती हैं।

4.10 निष्कर्ष

बालिका बालश्रम एक गंभीर चुनौती है। यह श्रम प्रायः घरेलू एवं असंगठित क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाने के साथ छुपा हुआ भी रहता है। बालिका बालश्रम विकास, समानता और न्याय के आदर्शों के विरूद्ध है, जो न केवल परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति को अवरूद्ध करता है, वरन् बालिका को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान के अवसर से भी वंचित करता है। बालिका बालश्रमिक की समस्या विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंगिक असमानताओं के विभिन्न आयामों से जुड़ी हुई है। बालिका बाल श्रमिक प्रायः परिवार, समाज और कार्यस्थल तीनों ही जगह उत्पीड़न व शोषण का शिकार होती है। साथ ही उनके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जगह मानवाधिकार का हनन होता है, इस समस्या का समाधान सभी को संयुक्त रूप से करना होगा, जिसके अन्तर्गत परिवार, समाज व प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित हैं। जब देश में लैंगिक असमानता समाप्त होकर उन्हें बालक के समान ही सुरक्षा, सम्मान एवं अवसर प्राप्त होंगे, उनके भी भविष्य हेतु समाज व राष्ट्र चिंतित होंगे और जब देश बालिका श्रम मुक्त राष्ट्र होगा, तभी वह राष्ट्र सशक्त, समृद्ध व समतामूलक राष्ट्र बन सकेगा।

☯☯☯

5

राजस्थान में बाल श्रमिक एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

5.0 परिचय

भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित राजस्थान की भौगोलिक स्थिति $23^0$12 से $30^0$21 उत्तरी अक्षांशों एवं $60^0$30 से 78.17^0 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है।[1] राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पूर्व में इसका नाम राजपूताना था जो 1800 ईस्वी में जार्ज थामस द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात् इतिहासकार जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक 'एनलस एंड एक्टिविटिज ऑफ राजस्थान' में इसका नाम राजस्थान रखा।[2] राजस्थान राजपूत विरासतों के कारण यह राज्य राजपूताना कहलाया।[3]

राजस्थान के पश्चिम में थार मरूस्थल है एवं विश्व की पुरातन श्रेणियों में से एक अरावली श्रेणी है। राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 1070 कि.मी. पाकिस्तान से लगती है एवं अन्तर्राज्यीय सीमा के अन्तर्गत यह पांच राज्यों से जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्यप्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तरप्रदेश एवं हरियाणा है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 में पूर्ण हुआ। यहाँ का क्षेत्रफल 3,42,239 कि.मी है। यहां की जलवायु शुष्क से उप आर्द मानसूनी जलवायु है। राजस्थान में 50 जिले हैं। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में प्राकृतिक रूप से विभक्त करती है। यह पर्वत

श्रृंखलाबद्ध उदयपुर बांसवाड़ा, डुंगरपूर एवं प्रतापगढ़ में चौड़े हो गए एवं गुरूशिखर पर्वत (1722 मी.) पर सबसे ऊंचे एवं जोधपुर में अरावली विलग पहाड़ियों व जैसलमेर में ऊंचे टीलों के रूप में दृष्टिगत होती है।[4]

अजमेर के आनासागर झील से निकलकर 32 कि.मी. की दूरी तक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र मे बहने के पश्चात् मारवाड़ में जोधपुर, बाड़मेर, जालौर एवं बालोतरा मार्ग से होती हुई 330 कि.मी बहने के पश्चात यह अरब सागर की कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है।[5] इसी प्रकार सांभर झील डीडवाना एवं पचभद्रा नमक झील है एवं जोधपुर की बालसमंद एवं कायलाना झील भी प्रसिद्ध है।[6] राजस्थान में बड़े उद्योग धन्धों एवं व्यवसायों में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, कांच उद्योग एवं ऊनी उद्योग प्रमुख हैं। कोटा जिला राजस्थान में औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है।

राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां की आर्थिक परिस्थितियां समृद्ध नहीं हो पायी, यही कारण है कि यहां पर पर्याप्त मात्रा में उद्योग धन्धे विकसित नहीं हो सके

जिस कारण यहाँ के निवासियों को जीवन यापन हेतु हमेशा ही रोजगार का अभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। राजस्थान में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक संरचना में विकृति आदि के कारण भी राजस्थान राज्य पिछड़ेपन का शिकार रहा है। राजस्थान में अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करती है और इसी कारण गरीब परिवारों में आर्थिक जीवन यापन के संसाधनों का तीव्र अभाव होता है। जिसका प्रभाव बालक के जीवन पर भी पड़ता है। यही कारण है कि माता–पिता बालक को स्वयं का भोजन अर्जित करने हेतु बाल श्रमिक बनने पर मजबूर कर देते हैं अथवा परिवार के वयस्क सदस्यों के साथ कार्य करने के लिए सम्मिलित हो जाते हैं। यही कार्य उन्हें बाल श्रमिक बना देता है। जिसके कारण बालक का ना केवल शारीरिक, बौद्धिक व नैतिक विकास अवरूद्ध होता है वरन वह उपेक्षित, वंचित, शोषित एवं दुर्व्यवहार का शिकार भी हो जाता है। यदि हम भारत की बात करें तो कुल बाल श्रमिकों का 12 प्रतिशत भाग मजदूरी में लगा हुआ है जिसमें खतरनाक व्यवसाय भी सम्मिलित हैं।

5.1 राजस्थान की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या
2001	56,507188 (5.65 करोड़)
2011	68548437 (6.86 करोड़)
2021	81180000 (8.12 करोड़ अनुमानित)
2022	83,390000 (8.34 करोड़ अनुमानित)

(स्त्रोत– 2011 जनगणना प्रक्षेपण रिपोर्ट)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान की जनसंख्या जहां 2001 में 5.65 करोड़ थी, वह 2011 में बढ़कर 6.86 करोड़ हो गई, वहीं 2021 में अनुमानित जनसंख्या 8.12 करोड़ व 2023 में 8.36 करोड़ होने का अनुमान है। एन.एफ.एच.एस. की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल प्रजनन दर 2016 में जहाँ 2.4 की तुलना में प्रति महिला 2 बालक है वहीं औसत प्रजनन दर 2.7 से 2.3 है। राजस्थान में वर्ष 2011 में 18.08 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर है।[7]

- **जनसंख्या घनत्व**

यदि हम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह 2011 में 200 व्यक्ति प्रति कि.मी था, जो कि 2021 में बढ़कर 232 व्यक्ति प्रति व्यक्ति हो गया। इस प्रकार राजस्थान भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 18वें स्थान पर है।

- **साक्षरता**

राजस्थान में साक्षरता दर में वृद्धि की प्रवृति देखी गई है, जहां 2001 में साक्षरता का प्रतिशत 60.41 था वहीं 2011 में यह प्रतिशत बढ़कर 66.11 हो गया जिसमें पुरूष साक्षरता 79.19 व महिला साक्षरता 52.12 प्रतिशत है।

5.2 राजस्थान में बालश्रम का स्वरूप

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सातवाँ बड़ा राज्य है इसका कारण यहाँ का कम जनसंख्या घनत्व है क्योंकि यहाँ भारत का महान थार रेगिस्तान है जो कि कुल क्षेत्रफल का 60 से 61 प्रतिशत है। यही कारण है कि राजस्थान कम उत्पादकता एवं संसाधनों की कमी के कारण अशिक्षा एवं पिछड़ेपन का शिकार रहा है और इसका परिणाम हमें बालश्रम की ओर अग्रसर होते बालकों में दिखाई देता है जो बालश्रम की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। निम्न तालिका से स्पष्ट है कि भारत में विभिन्न राज्यों में बालश्रम की स्थिति बदतर है।

तालिका संख्या – 5.1

भारत एवं राजस्थान में बाल श्रमिकों का प्रतिशत

क्र.सं.	वर्ष	भारत में बाल श्रमिकों की संख्या	राजस्थान में बाल श्रमिकों की संख्या	राजस्थान में बाल श्रमिकों का प्रतिशत
1.	1971	10753985	587389	5.46
2.	1981	87400	819605	6.00
3.	1991	11285349	774199	8.86
4.	2001	126625	12662570	9.96
5.	2011	11720724	252338	8.4

स्त्रोत– राज्यवार बाल श्रमिक की गणना 2001–2011

तालिका से स्पष्ट है कि भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों की संख्या 2001 में 1266377 थी जो 2011 में बढ़कर 11720724 हो गई। राजस्थान में बाल श्रमिकों की संख्या 2001 में 126625 थी वह 2011 में घटकर 252338 रह गई अर्थात 2.0901 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। तालिका से स्पष्ट है कि 2001 में बाल श्रमिक बहुत अधिक मात्रा में थे किन्तु विभिन्न प्रयासों एवं प्रावधानों के कारण बाल श्रमिक की दर में गिरावट आई है। यूनिसेफ एवं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ष 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के अंत तक कोविड–19 के कारण 8.9 मिलीयन तक बाल श्रमिकों की दर में वृद्धि हो सकती है।[8]

यदि हम उपर्युक्त तालिका का विश्लेषण करें तो यहाँ स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या में 2001 व 2011 के मध्य गिरावट देखी गई है, वहीं राजस्थान में बाल श्रमिकों के प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि रही किन्तु 2001 से 2011 के मध्य 2.6 मिलीयन की गिरावट दर्ज की गई।[9] इससे स्पष्ट है कि बालश्रम के उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रयासों के कारण एवं बालश्रम के प्रति जागरूकता के कारण गिरावट आई थी।

5.3 राजस्थान व अन्य राज्यों में बाल श्रमिकों की तुलनात्मक स्थिति (2011)

तालिका संख्या– 5.2

राज्य	स्थान	संख्या (मिलीयन में)	प्रतिशत
उत्तरप्रदेश	1	2.18	21.5
बिहार	2	1.69	10.7
राजस्थान	3	0.85	8.4
महाराष्ट्र	4	0.73	7.2
मध्यप्रदेश	5	0.70	6.9

स्त्रोत– 2011 की जनगणना

राजस्थान में 5–14 आयु वर्ग के बालकों में 10 प्रतिशत बालश्रम राजस्थान में पाया जाता है जबकि भारत के 21.5 प्रतिशत बाल श्रमिक उत्तरप्रदेश में हैं। सेव द चिल्ड्रन 2016 की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से अधिकतर बाल श्रमिक उत्तरप्रदेश में प्रचलित रेशम उद्योग में कार्यरत है।[10]

राजस्थान में बाल श्रमिक जैसा कि 'वर्क नो चाइल्ड की रिपोर्ट 2021' में बताया गया है कि राजस्थान में बाल श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यहाँ बालक ईंट भट्टे, पत्थर से रेत बनाने, खेती, कालीन उद्योग, ग्रेनाइट उद्योग, बीड़ी उद्योग, आरा–तारी का काम, ग्रेनाइट कटिंग उद्योग, गहनों की कलई, चूड़ी उद्योग, होटल, ढाबों आदि पर कार्यरत बाल श्रमिक पाए जाते हैं।[11]

इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न जिलों जैसे गंगानगर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा इत्यादि जिलों में ईंट भट्टों पर परिवार सहित कार्य करने वाले बाल श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है। राजस्थान में हर दसवाँ बालक बाल श्रमिक है। निम्न तालिका से राजस्थान में बाल श्रमिकों का प्रतिशत निम्न रूप से दृष्टिगोचर होता है।

5.4 राजस्थान में बाल श्रमिकों का प्रतिशत

तालिका संख्या – 5.3

वर्ष	बाल श्रमिकों का प्रतिशत
1971	5.6
1981	6.00
1991	6.86
2001	9.96
2011	8.4

राजस्थान में बाल श्रमिकों का स्थान उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि, बाल श्रमिकों की संख्या में 5.6 प्रतिशत थी वह 2001 में अपने सर्वोच्च स्तर 9.96 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 2011 में 8.4 प्रतिशत रह गई। जहाँ 1971 व 1981 में 8वें नम्बर पर था।

यद्यपि राजस्थान में बाल श्रमिकों की वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है किन्तु कोविड–19 की वजह से बाल श्रमिकों की संख्या में और वृद्धि हो गई है। सन् 1971 से 2011 तक भारत के राजस्थान राज्य में बाल श्रमिकों की दृष्टि से स्थान इस प्रकार हैं।

5.5 बाल श्रम की दृष्टि से राजस्थान का स्थान

तालिका संख्या – 5.4

वर्ष	स्थान	संख्या
1971	8	587389
1981	8	819605
1991	7	774199
2001	3	1262570
2011	3	252338

जहाँ 1971 में यह बाल श्रमिकों की दृष्टि से आठवें स्थान पर था वहीं 2011 में यह तीसरे स्थान पर आ गया।[12] केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट "भारत में बालक 2018 के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं।

तालिका संख्या – 5.5

आयु अनुसार बालक व बालिका श्रमिकों का तुलनात्मक अनुपात (2011)

आयु	बालक	बालिका
5–9	1.48	1.68
10–14	7.52	9.84

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में बालिका बाल श्रमिक की संख्या अधिक है एवं बालक बाल श्रमिकों की स्थिति बालिकाओं की तुलना में कम है।

राजस्थान में बांसवाड़ा, चितौड़, डूंगरपुर और उदयपुर में बाल श्रम की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ अधिकांश आदिवासी गरीब, अशिक्षित बेरोजगार होते हैं। इनके यहाँ 7 से 8 बच्चे होते हें जिन्हें कम आयु में ही कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश बालक जो व्यवसाय मिलता है वहीं काम कर लेते हैं। धोलपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व अजमेर में बाल श्रमिक पर्यटन से जुड़े हैं। अजमेर, भीलवाड़ा में बालक जहाँ ईंट भट्टों पर कार्य

करते हैं वहीं जयपुर में रत्न, हीरा कटाई व रत्न पॉलिश के उद्योगों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक हैं। जालौर में हर पांचवाँ बालक और हर चौथी बालिका बाल श्रमिक है।

राजस्थान में विभिन्न राज्यों से बाल श्रमिकों को बाल मजदूरी करने हेतु लाया गया है जो इस प्रकार हैं :–

(1) बिहार

(2) झारखण्ड

(3) उत्तरप्रदेश

(4) पश्चिम बंगाल

(5) ओडिशा

राजस्थान में सर्वाधिक बाल श्रमिक बिहार से लाया जाता है। जिनकी संख्या लगभग 90 प्रतिशत है। इसी प्रकार बालकों को अन्य राज्यों से भी तस्करी करके लाया जाता है और उनसे विभिन्न स्थानों पर बंद कमरे में कार्य कराया जाता है और इस कारण बालकों का शोषण होता है जो न केवल इनके अल्पकालीन वरन् दीर्घकालीन दुष्परिणाम बालकों के साथ देश को भुगतने पड़ते हैं।

बाल तस्करी भी बाल श्रम से ही जुड़ी है जिसमें बालकों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं यौन उत्पीड़न होता है। इनसे कम मजदूरी में अधिक समय तक कार्य करवाना, घरेलू नौकर के रूप में रखकर, अथवा कानूनी जामा पहनाने के लिए इन बालकों का गोदनामा ले लिया जाता है। फिर इनका शोषण किया जाता है। बाल तस्करी बालकों के लिए हिंसा, यौन उत्पीड़न एवं एच.आई.वी. संक्रमण का खतरा भी पैदा करती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8–10 वर्ष की आयु वाले बालकों से 10 घण्टे से अधिक कार्य करवाया जाता है और उन्हें यह भी पता नहीं कि उनके काम के पैसे भी मिल रहे हैं या नहीं। राजस्थान में बाल श्रमिकों को रोजगार देने वाले क्षेत्र–

(1) रत्न

(2) कढ़ाई

(3) बीड़ी

(4) कालीन बुनाई

(5) बीटी कपास

(6) कृषि

(7) ईंट भट्टा

(8) आरा–तारी, गोटा पत्ती

(9) होटल, ढाबा, दुकान पर कार्य

(10) पर्यटन

(11) स्लेट व पेंसिल का कार्य

(13) रंगाई, छपाई का कार्य

5.6 राजस्थान में बालश्रम के कारण

बालश्रम की समस्या का मुख्य कारण गरीबी एवं अशिक्षा है। गरीब परिवार की आय का बड़ा स्त्रोत बाल श्रमिकों द्वारा अर्जित की गई आय से है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में प्रायः यह देखा गया है कि पारिवारिक अथवा व्यावसायिक संगठनों में कार्यरत वयस्क व्यक्तियों के साथ बालकों का होना अति आवश्यक माना जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार शाही महलों एवं विरासतों वाला राज्य राजस्थान में भारत के 10 प्रतिशत बाल श्रमिक पाये जाते हैं। भारत में बाल श्रम की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान में बालश्रम की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।

राजस्थान में बालश्रम के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :–

(1) **अशिक्षा** :– राजस्थान में साक्षरता की दर 2011 के अनुसार 47.58 प्रतिशत साक्षर हैं। यहाँ 54409906 मं से 2588435 लोग पूर्ण साक्षर हैं। स्पष्ट है कि राजस्थान में गरीबी एवं बेकारी के कारण बालकों को विद्यालय भेजने की अपेक्षा काम पर भेजना या खेती का कार्य करना अथवा पशुपालन आदि से सम्बन्धित कार्य करना आदि है। नवीनतम 2023 के साक्षरता आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत है।

(2) **गरीबी** :– राजस्थान में लगभग 28 से 30 प्रतिशत व्यक्तियों को गरीबी में रहना पड़ता है। गरीबी की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वाँ स्थान है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर व प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में ज्यादा गरीबी है। अतः गरीबी के कारण बालकों को बालश्रम की ओर अग्रसर होना पड़ता है।

(3) **वयस्क बेराजगारी** :– राजस्थान में 24.5 प्रतिशत व्यक्ति बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार वयस्क बेरोजगारी के कारण राजस्थान में बालकों को परिवार की आय अर्जन हेतु कार्य पर भेज दिया जाता है।

(4) **बालश्रम का सस्ता और अनुशासित होना :–** राजस्थान में गरीब परिवार के सदस्य अपने बालकों को कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए भेज देते हैं। नियोक्ता भी बालकों को इसलिए काम पर रख लेते हैं क्योंकि उनसे कम मजदूरी पर अधिक कार्य करवा सकते हैं व बालक वयस्कों की तुलना में अनुशासित भी होते हैं।

(5) **आधारभूत सुविधाओं (पानी–बिजली, सड़कों) का अभाव :–** राजस्थान का 60 प्रतिशत भाग मरूस्थलीय है। यहाँ बिजली, पानी का संकट होने के कारण उद्योग धन्धे विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है व पारिवारिक मजबूरी के कारण वे अपने बालकों को रोजगार में लगा देते हैं।

(6) **प्रवासी बाल श्रमिक :–** राजस्थान में जब पानी की कमी के कारण पर्याप्त खेती नहीं हो पाती है तो वे रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर अपने परिवार सहित चले जाते हैं। कई क्षेत्रों में कम आय वाले परिवार के लिये प्रवास आजीविका का एक प्रमुख स्त्रोत है। परिवार की कम से कम आधी आय प्रवास पर निर्भर करती है।[13] जैसे दक्षिणी राजस्थान में जुलाई से सितम्बर तक कपास की खेती हेतु गुजरात की ओर प्रवास करना व नवम्बर माह से अप्रेल के मध्य तक ईंट भट्टों पर कार्य करते हैं। इन स्थानों पर वयस्क व्यक्तियों के साथ बालक भी कार्य करते हैं व एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण ये पर्याप्त शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

(7) **पशुपालन व कृषि में बालकों से कार्य करवाना :–** बालक गाय, भैंस व बकरियों को चारा चराने हेतु जंगल आदि में ले जाने का कार्य करते हैं जिसमें उन्हें दिन भर लग जाता है, साथ ही वे परिवार के साथ कृषि कार्य में भी सहयोग करते हैं।

(8) **सामाजिक संरचना का विकृत होना :–** राजस्थान में सामाजिक मापदण्ड एवं इसकी संरचनाओं में अनेक कमियां हैं। यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव व जाति की स्थिति के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है और निम्न एवं दलित जातियों के बालकों से शैक्षणिक स्थानों पर भेदभाव किया जाता है। इस कारण बालक विद्यालय जाने से कतराता है।

(9) **जागरूकता का अभाव** :– राजस्थान में अशिक्षा, गरीबी एवं जागरूकता के अभाव के कारण भी बालश्रम में वृद्धि हुई है। अधिकांश लोगों को उनके हितार्थ चालाई जाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है।

(10) **कानूनों के क्रियान्वयन की कठोरता से अनुपालना नहीं होना :–** राजस्थान में बालश्रम का एक कारण कानूनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव भी है जिसके कारण बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

यूनिसेफ के अनुसार :– भारत राजस्थान और अन्य राज्यों में बालश्रम केवल कारखानों से कर्मचारी घरों में स्थानान्तरित हो गया है एवं बालक अभी भी बीड़ी उत्पादन और आतिशबाजी उत्पादन जैसे हानिकारक उद्योगों में लगे हैं। यही कारण है कि गृह आधारित क्षेत्रों में बालश्रम स्थानान्तरित होने से वास्तविक बालश्रम का पता लगाना कठिन है फिर भी 2017–18 के मध्य लगभग 50,000 बाल श्रमिकों का पुर्नवास किया गया है यद्यपि यह समग्र बालश्रम का छोटा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारतीय परिवारों के बालकों की आय बहुत आवश्यक मानी जाती है।[14]

5.7 राजस्थान में बालश्रम की स्थिति

राजस्थान में विभिन्न जिलों में बालश्रम विभिन्न कार्यों में लगा हुआ है। 18 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा कटिंग, पॉलिशिंग, आरा–तारी, कारपेट उद्योग, भीख मांगना, बीड़ी बनाना, मिल्स में कार्य करना, कृषि व पशुपालन सम्बन्धी कार्य करना एवं चाय की थड़ियों, परचूनी या

किराना की दुकानों पर कार्य करना, खेतों में, ईंट भट्टा उद्योग में, लुहार का कार्य, जूता पॉलिश करना, झाड़ू लगाना आदि उद्योगों में बाल श्रमिकों से 10 से 16 घण्टे कार्य करवाया जाता है। राजस्थान में प्रवासी बाल श्रमिक भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये श्रमिक राजस्थान राज्य से पड़ौसी राज्यों, उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों से तस्करी द्वारा बालश्रम हेतु लाये जाते हैं। राज्य में बाल श्रमिकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।[15]

5.8 राजस्थान में बालश्रम उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास

राजस्थान में बालश्रम एक जटिल समस्या है, बालश्रम उन्मूलन हेतु किये गये विभिन्न प्रावधानों के बावजूद यह समस्या वर्तमान में भी बनी हुई है। बालश्रम की समस्या किसी देश की सरकार, समाज, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि वे अपनी राजनीतिक प्राथमिकता एवं इच्छाशक्ति से इस बालश्रम को समाप्त करना चाहते हैं अथवा जारी रखना चाहते हैं। यदि हम बालश्रम की समस्या की तह में जाकर देखें तो इसका प्रमुख कारण अशिक्षा व गरीबी है और इसकी वजह से एक दुष्चक्र चलता रहता है।

गरीबी → अशिक्षा → बालश्रम → अकुशल हुनर → कम आय → गरीबी

इस दुष्चक्र को सामाजिक एवं राजनैतिक इच्छाशक्ति के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है अन्यथा यह दुष्चक्र अनवरत चलता रहेगा। इस दुष्चक्र को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तर पर अथक प्रयास अनवरत रूप से जारी हैं। जिनका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बालश्रम उन्मूलन के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं।

- राजस्थान सरकार द्वारा बालकों को अधिकार प्रदान करने व बालश्रम नीति 2008 के अन्तर्गत बालकों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है।
- समस्त बालकों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान किये जाने के प्रयास सुनिश्चित किये गये हैं।
- समस्त बालकों को विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करने को सुनिश्चित करना।
- समस्त बालकों को उनके जन्म से लेकर किशोरावस्था तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना।
- बालकों की तस्करी रोकने हेतु सीमा क्षेत्रों में चैक पोस्ट लगाना।
- विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बालकों की पहचान करने एवं उनके पुर्नस्थापना की व्यवस्था करना।

- सभी बालकों को उनकी वृद्धि व विकास एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना आदि।
- सभी बालकों को स्वस्थ वातावरण के साथ–साथ स्वच्छ जल भी उपलब्ध कराना आदि राजस्थान सरकार की नीति में सम्मिलित है।

इस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न नीतियों एंव कानूनों का निर्माण कर सख्ती के साथ उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया ताकि बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्ति दिलाकर पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके एवं उन्हें शिक्षण व प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके।

5.9 राजस्थान में बालश्रम उन्मूलन योजना

राजस्थान में बालश्रम उन्मूलन हेतु निम्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जो इस प्रकार है :–

5.9.1 राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग

राजस्थान में बालश्रम की समस्या एक चुनौती बनी हुई है इसलिए बालश्रम उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित बाल अधिकार सम्मेलन एवं अभिसमय के तहत बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत में भी केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा भी बाल अधिकारों के संरक्षक होने के नाते 2008 में एक "राज्य बाल विकास नीति" का मसौदा तैयार किया गया। साथ ही बालकों से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन हेतु एवं स्वतंत्र नियामक वैधानिक तंत्र के रूप में 23 फरवरी 2010 को राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की स्थापना की गई।[16]

- **राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की संरचना**

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग में 6 सदस्य होंगे जिनमें से 2 महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। अन्य सदस्यों को उनके योग्यता एवं अनुभव और निष्ठा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

- **कार्यकाल**

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ

- राजस्थान में आयोग का मुख्य कार्य बालकों के अधिकारों का संरक्षण करना है।[17]
- आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत सुनवाई करने वाले सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थित सुनिश्चित करने के साथ उसकी जाँच करना।

- किसी भी दस्तावेज की खोज के साथ उसके बयान पर साक्ष्य प्राप्त करना।
- संबंधित कार्यालय अथवा न्यायालय से उसकी प्रति प्राप्त करने का अधिकार रखना।
- गवाहों एवं दस्तावेजों की जांच हेतु कमीशन प्राप्त करना।
- जब आयोग पूरी जांच कर लेता है और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि, बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों की उल्लंघन हुआ है तो आयोग संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है।
- बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु वर्तमान में लागू कानून की जांच एवं समीक्षा करके उसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।
- राज्य सरकार को बाल अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से संबधित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। साथ ही बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर उन मामलों पर कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना।
- जो बालक आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा या घरेलू हिंसा, तस्करी, यातना, शोषण आदि से प्रभावित बालकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कारणों की जांच कर उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करवाना।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों की समीक्षा कर बालकों के सर्वोत्तम हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिश करना।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि बाल अधिकार अधिसमय आदि को ध्यान में रखकर राजस्थान बाल संरक्षण आयोग बालकों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों को सुनिश्चित करके उनके कल्याण हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं।

इसी प्रकार जिला स्तर पर भी बालकों के लिये "जिला बाल संरक्षण इकाई" कार्यरत है।

5.9.2 जिला बाल संरक्षण इकाई

बालकों के अधिकारों एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है। बालकों की सुरक्षा, भागीदारी एवं पोषण को सुनिश्चित करते हुए राजस्थान के जिलों में जहाँ 33 बाल कल्याण समितियाँ हैं, वहीं 34 किशोर न्याय बोर्ड कार्य कर रहे हैं।

"अजमेर जिले" में सुभाष नगर में किशोर न्याय बोर्ड स्थित है।

- **जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्य**

जिला स्तर पर इस इकाई का दायित्व है कि वह जिला स्तर पर समस्त बाल अधिकारों एवं उनके समन्वय हेतु जिम्मेदार गतिविधि के कार्यान्वयन हेतु जवाबदेह हो। इस हेतु बालकों के

कल्याणकारी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करके यह इकाई ऐसे कार्य करती है ताकि बाल अधिकारों का हनन नहीं हो सके। यह इकाई निम्नलिखित कार्य करती है :–

- बालकों हेतु ऐसी आवश्यक सेवाओं को सुनिश्चित करना जो कि बाल जीवन में जीवन रक्षा, विकास, संरक्षण एवं भागीदारी हेतु आवश्यक हो।
- देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों हेतु व्यक्तिगत योजना सुनिश्चित करना।
- डी.सी.पी.यू. अपने संपर्क द्वारा जोखिमग्रस्त परिवारों के विशेष संरक्षण एवं आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करना।
- विषम परिस्थितियों में रहने वाले बालकों हेतु जिला विशिष्ट डाटाबेस तैयार करना।
- डी.सी.पी.यू. द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु विशिष्ट स्वैच्छिक संगठनों की पहचान कर उन्हें समर्थन प्रदान करना।
- किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर प्रत्येक स्तर पर बाल संरक्षण समितियों को स्थापित करना।
- बाल संरक्षण कार्यक्रमों में कार्यरत समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण देना एवं अन्य जिलों की बाल संरक्षण इकाई के साथ संपर्क करना आदि हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा न केवल राज्य स्तर पर वरन् जिला स्तर पर भी बाल संरक्षण समितियों का गठन किया गया है ताकि बाल अधिकारों का हनन नहीं हो सके।

बालश्रम उन्मूलन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कई प्रयास एवं योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ताकि बालश्रम का उन्मूलन हो सके, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा बाल श्रमिकों की सुरक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संरक्षण के साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :–

- **बालश्रम उन्मूलन हेतु विशेष अभियान** :– राजस्थान सरकार द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें मुक्त करवाकर उनका पुनर्वास किया जाता है एवं विद्यालयों में उनका विशेष प्रवेश अभियान के तहत दाखिला करवाया जाता है।
- **राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना** :– श्रम मंत्रालय की इस योजना को केन्द्र व राज्य सरकार दोनों का सहयोग प्राप्त होता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 9–14 वर्ष की

आयुवर्ग के बाल श्रमिकों की पहचान कर उन्हें व्यवसायिक शिक्षण एंव प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- **विशेष प्रशिक्षण संस्थान** :– राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्थापित इन विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से बालकों की आयु एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है।
- **आवश्यक शिक्षा का अधिकार** :– राजस्थान सरकार ने भी केन्द्र सरकार की तरह 6–14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है।
- **बालश्रमिक हेल्पलाईन एवं शिकायत निवारण** :– बालश्रम उन्मूलन की दिशा में यह सराहनीय कदम है। इसके अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा हेल्पलाईन नम्बरों के माध्यम से बालश्रम मामले की जानकारी दी जा सकती है।
- **जन–जागरूकता कार्यक्रम** :– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बालश्रम के विरूद्ध एवं बालकों की शिक्षा के महत्व पर समाज में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, नुक्कड़ नाटकों, शिविरों एवं रैलियों का आयोजन किया जाता है। साथ ही 12 जून को प्रतिवर्ष बालश्रम निषेध दिवस मनाया जाता है ताकि समाज में इन बालकों के प्रति संवेदना उत्पन्न हो सके।
- **विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र** :– राजस्थान के ऐसे राज्य जहां बालश्रम की समस्या अधिक है वहां सरकार द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु विशेष योजनाऐं एवं कार्यक्रम क्रियान्वित कर बालकों का पुनर्वास किया जाता है एवं उनके शैक्षणिक कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न बाल कल्याणकारी योजनाऐं भी क्रियान्वित की जा रही हैं जो इस प्रकार हैं :–

- **मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना** :– राजस्थान की इस योजना के अन्तर्गत घर पर रहकर कार्य करने वाले बालकों के कौशल को बढ़ावा देने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है।
- **मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना** :– राजस्थान की इस योजना के अन्तर्गत कोरोना काल में माता अथवा पिता या दोनों की मृत्यु होने पर बालक को प्रतिमाह 2500/– रूपये एवं 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी एवं 18 वर्ष होने तक उन्हें पाँच लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे।
- **पहल योजना** :– बाल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने एवं उनके अधिकारों का संरक्षण एवं प्रवर्तन हेतु निगरानी व निर्देश प्रदान करने के लिये इस योजना को बढ़ावा दिया गया है।

- **पालनहार योजना** :– यह योजना अनाथ बालकों के पालन–पोषण, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने हेतु प्रतिमाह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 750/– एवं इसके बाद 1500/– रूपये प्रतिमाह देय होंगे और 2000/– रूपये का सालाना अनुदान दिया जायेगा।
- **मुख्यमंत्री बालगोपाल योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को स्कूलों में पोष्टिक आहार एवं दूध प्रदान किया जाता है ताकि बालक कुपोषित नहीं हों।
- **बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना** :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस हेतु उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि वे बीच में ही अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ें।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के द्वारा इस दिशा में निरंतर सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं।

5.10 शोध अध्ययन क्षेत्र अजमेर में बालश्रम की स्थिति

अजमेर में यद्यपि बालश्रम उन्मूलन के विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाऐं बालकों को बालश्रम से मुक्त कराकर उनके पुनर्वास हेतु एवं उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही है। इन संस्थाओं की ओर से किये जा रहे प्रयासों के अच्छे परिणाम भी सामने आये हैं एवं बालश्रम की दर में भी कमी आई है। अजमेर जिले में बालश्रमिक एक निश्चितता को परिलक्षित करता है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के माता–पिता की मानसिक अवधारणा के कारण यहां बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विपन्नता से जूझ रहे परिवारों के बालक ही अधिक संख्या में बाल श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। अजमेर में बालश्रम उन्मूलन के प्रयासों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही में 2011 से 2023 तक 392 बालश्रमिक मुक्त कराये गये हैं इनमें से 135 नियोक्ताओं के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं 495 बालकों को भिक्षावृति से मुक्त कराया गया है।

इसी प्रकार अजमेर में बालश्रम एवं मानव तस्करी के रोकथाम के लिए गठित पुलिस की मानव तस्करी विरोधी शाखा ने गत वर्ष 2023 में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही करते हुए बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। इनमें से अधिकांश बाल मजदूरों को कम मजदूरी एवं खाने–पीने के खर्चों पर बिहार, पश्चिम बंगाल से लाया गया था एवं उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर फैक्ट्री में विभिन्न कार्य कराये जा रहे थे, जिन्हें उपर्युक्त टीम ने मुक्त कराया, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है–

मानव तस्करी विरोधी इकाई की 2023 में कार्यवाही

थाना	कार्यवाही	बालश्रमिक
पुष्कर	03	19
दरगाह	04	08
क्लॉक टावर	06	08
कोतवाली	04	06
सिविल लाइन	03	05
अलवर गेट	03	05
क्रिश्चयनगंज	04	04
किशनगढ़	01	03
गंज	02	02
ब्यावर शहर	01	02
गांधीनगर	01	01
मदनगंज	01	01
कुल	33	64

स्त्रोत : राजस्थान पत्रिका, 8 जनवरी 2024

मानव तस्करी विरोधी शाखा ने दरगाह क्षेत्र एवं क्लॉक टावर क्षेत्र में क्रमशः 4 एवं 6 स्थानों पर कार्यवाही करते हुए 8–8 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। इसी प्रकार कोतवाली थाना क्षेत्र में 4, सिविल लाइन एवं अलवर गेट में 3, क्रिश्चयनगंज में 4, गंज में 2 एवं गांधीनगर से 1 बाल श्रमिक को कार्यवाही करते हुए मुक्त कराया। ये बाल श्रमिक दरगाह, क्लॉक टावर, सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेन्ट, ढाबे एवं चाय की थड़ी पर कार्य करते हुए पाये गये जबकि अलवर गेट, क्रिश्चयनगंज थाना क्षेत्र में किराना स्टोर, सर्विस सेन्टर एवं जूस सेन्टर पर पाये गये इसके अतिरिक्त दरगाह बाजार व पुष्कर क्षेत्र एवं अन्य हिस्सो मे होटल ढाबों एवं रेस्टोरेन्ट के बाहर से 43 बालकों को भिक्षावृति करते हुए पाया गया। इसी प्रकार 30 जनवरी 2024 को 3 बाल श्रमिकों को मांगलियावास क्षेत्र के पायस डेयरी प्लांट से जिनकी उम्र 14, 15 एवं 16 वर्ष थी को रेस्क्यू किया गया।

27 फरवरी 2024 को मानव तस्करी विरोधी इकाई एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे–8 पर गगवाना स्थित एक होटल से बाल श्रमिक को मुक्त करवाया गया जहां गेगल थाने में नवीन किशोर न्याय अधिनियम–2016 एवं बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 एवं भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार 19 अप्रेल 2024 में अजमेर के आदर्शनगर क्षेत्र में 1 बाल श्रमिक को सीवरेज लाइन को खोदने के कार्य में लगा हुआ पाया गया।

अजमेर में बालश्रम उन्मूलन के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जा रही है जिसमें मानव तस्कर विरोधी समिति, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हैल्पलाइन, श्रम विभाग एवं पुलिस एकसाथ मिलकर कार्य कर रही है और लगभग 100 से अधिक बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त करवाया गया है और उनका पुर्नवास करवाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया। साथ ही उनके अभिभावकों की काउंसलिंग कर उन्हें घर तक पहुंचाया गया। किन्तु विडम्बना की स्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब बाल श्रमिकों को मुक्त करवाने के पश्चात् उनका पुर्नवास करवाया जाता है एवं बालक कुछ समय पश्चात ही पुनः बालश्रम के दलदल में फंस जाता है। चूंकि बालक राष्ट्र की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं बालकों के उत्थान एवं विकास के लिये 1974 की राष्ट्रीय बालश्रम नीति में कहा गया है कि देश के कर्णधार हमारे देश के बालक लोकतंत्र की सर्वोत्तम परंपराओं को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय मूल्यों की अवधारणा, इसके सहयोग एवं सक्रिय संस्कृति की रक्षार्थ हमें बालकों को उनकी बुनियादी आवश्यकताऐं पूरी करने एवं उन्हें पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिये।

इसी प्रकार अजमेर में शोध सर्वे के दौरान सर्वाधिक बालश्रम बीड़ी उद्योग, गोटा लगाने, बटन, तुरपन, होटल–ढाबा, शादी में लाईट उठाने, कैटरिंग का कार्य करने, लुहार का कार्य, किराना की दुकान पर कार्य करने एवं न्यूज पेपर बेचने, बूट–पॉलिश करने एवं घरेलू सहायक के रूप में कार्य करते हुए पाया गया।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अजमेर में व्याप्त बालश्रम एक सामाजिक कुरीति के रूप में विस्तार लेता जा रहा है। बालक से कम मजदूरी पर अधिक कार्य करवाना, पूजीवाद की प्रकृति है जिसके कारण वह शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से शोषित होता है। बालक ऐसी परिस्थितियों में निश्चित रूप से मानवीय अधिकारों से वंचित हो जााता है और अपने भावी जीवन के विकास के मार्ग की ओर प्रवृत न होकर वह आपराधिक एवं अन्य हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है जिसके कारण उसका बचपन समाप्त हो जाता है और इसका खामियाजा बालक के परिवार, समाज एवं राष्ट्र को भुगतना पड़ता है।

5.11 गैर सरकारी संगठन :– मानवाधिकार एवं बाल श्रमिक

मानवाधिकार समाज एवं राष्ट्र का विषय नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति का विषय है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी गरिमा एवं सम्मान से संबंधित है उसी प्रकार बालश्रम भी किसी राष्ट्र विशेष की चुनौती नहीं होकर संपूर्ण मानव जाति के लिए एक कलंक और चुनौती है। जब बालकों को अल्पायु में ही पारिवारिक आय में वृद्धि हेतु कम आय में कठोर परिश्रम करना पड़ता है जिससे उसकी शिक्षा, आराम एवं मनोरंजन के क्षण बाधित होते हैं जो कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बालश्रम एक सामाजिक समस्या भी है जो न केवल बालकों के अधिकारों का हनन करती है वरन उनके समग्र विकास में भी अवरोध उत्पन्न

कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर देती है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकारी संगठनों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों की भी अहम भूमिका है।

गैर सरकारी संगठन :– गैर सरकारी संगठन से तात्पर्य समाज कल्याण हेतु स्वैच्छिक जन समूह के संगठन से है जिसका संचालन एक स्वायत बोर्ड द्वारा किया जाता है एवं संगठन द्वारा किये जाने वाले कार्य हेतु एक कोष की स्थापना की जाती है इन संगठनों की स्थापना में किसी विधि की बाध्यता का अभाव होने के कारण ही यह स्वैच्छिक संगठन कहलाते हैं एवं सरकार के राजनैतिक नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर कार्य करते है। गैर सरकारी संगठन गरीबों के कल्याण, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने जैसे जनता की भलाई के कार्य करते हैं। यह संगठन स्व–वित्त पोषित नहीं होते हैं इन्हें बाहरी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

गैर सरकारी संगठन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ :– गैर सरकारी संगठनों की मानवाधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर 71 में यह व्यवस्था की गई थी कि गैर सरकारी संगठनों को परामर्शदात्री भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। इसी आधार पर इन गैर सरकारी संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों द्वारा निर्मित मानवाधिकारों से संबंधित घोषणाओं, अभिसमय एवं प्रसंविदाओं के निर्माण में सहायता प्रदान की है जिसमें महिला एवं बाल अधिकार प्रमुख हैं।

इस प्रकार गैर सरकारी संगठन बालकों एवं व्यक्तियों के मानवाधिकारों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनसे संबंधित कुछ संगठन इस प्रकार हैं –

- एमनेस्टी इन्टरनेशनल लंदन, 1962
- विश्व फ्रेन्ड्स ऑफ अर्थ एम्सर्टडम, 1971
- माइन्योरिटी राइट्स ग्रुप लंदन
- सेव द चिल्ड्रम कमीशन फॉर लंदन
- एशिया वाच, 1978
- अफ्रीका वाच
- अमेरिका वाच
- मिडिल इस्ट वाच
- हेलंस्की वाच
- ह्यूमन राइट्स वाच न्यूयार्क, 1978

इसी प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी बालश्रम उन्मूलन एवं बाल अधिकारों, शिक्षा एवं बाल सुरक्षा हेतु विभिन्न स्वयंसेवी या गैर सरकारी संस्थाऐं कार्यरत हैं जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण संस्थायें इस प्रकार है :–

- **यूनिसेफ** :– यूनिसेफ विश्व के बालकों को मानवीय और उनके विश्वास एवं कल्याण हेतु स्थापित संस्था है। यह 192 देशों में कार्यरत है।[19] यह बाल अधिकारों की रक्षा, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, टीकाकरण एवं आपातकालीन समय में राहत प्रदान करने वाली संस्था है।[20] यह बालश्रम के विरूद्ध कार्य करने एवं उसके उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है।

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** :– अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी एक संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित कर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।[21] यह संगठन बालश्रम के उन्मूलन हेतु सरकार, श्रमिक संगठनों एवं नियोक्ताओं के साथ मिलकर कार्य करता है। अब तक इसके 189 अभिसमय सम्मेलन हो चुके हैं। इसके बालश्रम से संबंधित दो अभिसमय महत्वपूर्ण हैं, अभिसमय 138 जो कार्य करने की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है एवं अभिसमय 182 जो बालश्रम के सबसे खराब रूप जैसे गुलामी, यौन शोषण, सशस्त्र संघर्ष में बालकों का उपयोग एवं अन्य अवैध या खतरनाक कार्यों में बालकों से श्रम कराना आदि। इन अभिसमयों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियमयों के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी सदस्य राष्ट्र इसका पालन करेंगे।

- **चाईल्ड राइट्स एण्ड यू (सी.आर.यू)** :– यह भारत का गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना विपन्न कपूर ने 1979 में की थी। यह 4 प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करता है :–

  (1) शिक्षा एवं विकास का अधिकार

  (2) स्वास्थ्य एवं पोषण का अधिकार

  (3) बाल भागीदारी का अधिकार

  (4) सुरक्षा एवं संरक्षण का अधिकार

यह संस्था बालश्रम के उन्मूलन हेतु प्रयासरत है। इसने अभी तक तीन मिलीयन से अधिक बालकों के जीवन को प्रभावित किया है।

- **सेव द चिल्ड्रन** :– यह बालकों के कल्याण से संबंधित एक महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1919 में लंदन में की गई थी। इसका लक्ष्य दुनियाभर के बालकों का भविष्य बेहतर बनाने में मदद करना है जिसके वे हकदार हैं।

- **बचपन बचाओ आंदोलन** :– यह भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना नोबल पुरस्कार एवं कई अन्य पुरस्कार प्राप्त कैलाश सत्यार्थी द्वारा सन् 1980 में की गई थी। इस संस्था ने पिछले 4 दशकों में लगभग 90 हजार से अधिक बालकों को बंधक, तस्करी एवं बालश्रम से बचाया है। कैलाश सत्यार्थी "ग्लोबल कैम्पन फोर ऐजुकेशन" के

प्रेणता एवं संस्थापक भी रहे हैं। इन्हीं के अथक प्रयासों से 2009 में भारत में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

- **ग्लोबल मार्च अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर** :– बालश्रम के विरूद्ध वैश्विक स्तर पर समस्त प्रकार के बालश्रम, गुलामी, तस्करी के विरूद्ध ट्रेड यूनियनों, शिक्षकों एवं नागरिक संगठनों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। यह समस्त बालकों हेतु निशुल्क सार्थक, गुणवतापूर्ण सार्वजनिक निःशुल्क शिक्षा का लाभ बच्चों तक पहुँचाना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के अभिसमय 138 एवं 182 को लागू करवाने के साथ बालश्रम उन्मूलन हेतु विश्वव्यापी आंदालन का निर्माण कर सरकारों पर बालश्रम के विरूद्ध सख्त कानून का निर्माण करवाने का दबाव आदि डालना प्रमुख है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बालश्रम उन्मूलन में सरकारी संस्थाओं के साथ–साथ गैर सरकारी संगठन भी विभिन्न माध्यमों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

5.12 बालश्रम उन्मूलन में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

बालश्रम उन्मूलन में गैर सरकारी संगठन निम्न प्रकार से अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करते हैं :–

- **जागरूकता अभियान** :– गैर सरकारी संगठन जन–जागरूकता के माध्यम से लोगों को बालकों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के महत्व के बारें में समझाने का प्रयास करते हैं, इस हेतु वे विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं जैसे पोस्टर, होर्डिंग, मिडिया नुक्कड नाटक आदि।

- **आर्थिक सशक्तीकरण** :– बालश्रम का मुख्य कारण गरीबी है और इसके कारण ही व्यक्ति अपने बालकों को बालश्रमिक बनने पर मजबूर करता है। इस समस्या के निराकरण हेतु गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाऐं गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने में न केवल सहायता करती है वरन् उन्हें आर्थिक मदद भी प्रदान करती है। सेव द चिल्ड्रन एवं स्नेहालय आदि संगठनों के कार्य इस दिशा में प्रशंसनीय हैं।

- **बालकों में शैक्षणिक जागरूकता उत्पन्न करना** :– अधिकाशं गैर सरकारी स्वंयसेवी संस्थाऐं बालकों को शिक्षा की ओर प्रेरित करते हैं और इस हेतु उन्हें आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध करवाते हैं। बालश्रम करने वाले बालकों के लिए चाइल्ड राइट एण्ड यू, बचपन बचाओ आंदोलन जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करे हैं।

- **विशेष शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम** :– बालश्रमिकों के लिए कुछ संस्थाऐं सांयकालीन विद्यालय चलाते हैं जहाँ वे पढाई से संबंधित सामग्री भी स्वयं ही प्रदान करते हैं एवं भविष्य हेतु बालकों के लिए ऐसे व्यावसायिक कार्यक्रम भी चलाते हैं ताकि बच्चों को कार्य से संबंधित कौशल प्राप्त हो सके और वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें।

- **कानूनी सहायता एवं बालश्रमिकों के संरक्षण हेतु अभियान** :– गैर सरकारी संगठन विभिन्न कारखानों एवं औद्योगिक परिसरों में बालश्रमिकों को कार्य पर रखने वालो के विरूद्ध पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर छापे मारकर कार्यवाही करते हैं और जहाँ वे बालकों को जबरन श्रम से मुक्ति दिलाकर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

- **पुनर्वास केन्द्र एवं संरक्षण गृह** :– गैर सरकारी संस्थाऐं बाल श्रमिकों को बालश्रम से मुक्त करवाकर उन्हें पुनर्वास सेवाऐं उपलब्ध करवाते हैं ताकि उन्हें सुरक्षिण एवं संरक्षित वातावरण प्राप्त हो सके, क्योंकि बालश्रम से मुक्त करवाऐ गये बालक शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं अतः उन्हें चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य सेवाऐं भी उपलब्ध करवानी पड़ती है।

- **सरकारी नीतियों पर प्रभाव** :– गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाऐं जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिसेफ आदि सरकार के साथ मिलकर बालश्रम विरोधी कानूनों को सख्त बनाने के साथ इनकी पालना को भी सुनिश्चित करवाते हैं। यह सरकारी नीतियों पर भी दबाव डालते हैं साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी नीतियाँ एवं योजनाऐं बालकों के कल्याण एवं हित में ही कार्य करें ताकि बालश्रम का उन्मूलन संभव हो सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गैर सरकारी संगठन न केवल बालकों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं वरन् वे बाल श्रमिकों हेतु बने कानूनों की अनुपालना करवाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करते हैं कि वे बालश्रम के उन्मूलन हेतु सही दिशा में कार्य करें।

5.13 गैर सरकारी संगठन के समक्ष चुनौतियाँ एवं समस्याऐं

यद्यपि गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन बालश्रम उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं किन्तु उन्हें अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में कई समस्याऐं एवं चुनौतियों का सामना करना पडता है जो इस प्रकार हे :–

- **वित्तीय संसाधनों की कमी** :– गैर सरकारी संगठन स्व–वित्त पोषी होते हैं, ये वित्त के लिए अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जिसके कारण इन्हें अधिकांश समय वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव उनके अभियानों एवं कार्यक्रमों पर पड़ता है और वे इतने प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं।

- **सामाजिक परंपराओं का विरोध** :– गैर सरकारी संस्थाऐं कई बार ऐसे क्षेत्रों में कार्य करती है जो बहुत ही पिछड़े एवं अशिक्षित क्षेत्र होते हैं, इनकी अपनी सामाजिक मान्यताऐं एवं परंपराऐं होती हैं इस कारण इन गैर सरकारी संस्थाओं को यहाँ कार्य करने एवं लोगों को समझाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के

लिए पारिवारिक आय में वृद्धि हेतु बालकों को काम करने के लिये भेजना, बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजना, बाल विवाह करना आदि।

- **सरकारी सहायता का पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होना** :– गैर सरकारी संगठनों को कार्य करने हेतु विभिन्न सरकारी संगठनों एवं विभागों का सहयोग अपेक्षित होता है किन्तु उन्हें जब इनका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो इनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और सरकारी विभागों एवं अधिकारियों की उदासीनता, अनदेखी एवं भ्रष्ट्राचार के कारण बालश्रम उन्मूलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
- **कानूनों के क्रियान्वयन का सख्त नहीं होना** :– प्रायः यह देखा गया है कि बालश्रम उन्मूलन हेतु जो भी कानून बनाये गये हैं वह सैद्धान्तिक रूप से तो सख्त एवं प्रभावी हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन बहुत धीमा होता है और इतना प्रभावी नहीं होता है। यद्यपि गैर सरकारी संगठन इन कानूनी प्रक्रियाओं की उचित एवं शीघ्र पालना हेतु प्रयास करती हैं किन्तु यह उनके लिये चुनौतीपूर्ण प्रयास साबित होते हैं।

निष्कर्ष

राजस्थान ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से धनी राज्य है, किन्तु बालश्रम की दृष्टि से यह भारत में तीसरे स्थान पर आता है। यहां बालश्रम कृषि उद्योगों एवं घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से पाया जाता है। चूंकि राजस्थान के कुछ हिस्से विशेषकर पश्चिम राजस्थान की कारीगरी एवं हस्तशिल्प उद्योग विश्वप्रसिद्ध हैं, इस कारण इन उद्योगों से संबंधित उत्पादों की मांग अधिक होती है जिसकी आपूर्ति हेतु छोटे बालकों को बचपन से ही काम पर लगा दिया जाता है। ताकि उनसे कम मजदूरी में अधिक कार्य करवाया जा सके। इसी प्रकार अजमेर में पर्यटन उद्योग एवं जयपुर में हीरा कटाई उद्योग जेसे क्षेत्रों में भी बालश्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन सबका मुख्य कारण पारिवारिक गरीबी, कृषि की मानसून पर निर्भरता, राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ आदि कारण बालश्रम हेतु उत्तरदायी हैं। बालश्रम के कारण बालक को कई शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का शिकार होना पड़ता है वह थकान, कुपोषण एवं तनाव को सहन करने के कारण अवसादग्रस्त हो जाता है। इस कारण न तो वह शिक्षा प्राप्त कर पाता है और न ही गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ पाता है। कई बार वह आपराधिक गतिविधियों जैसे नशा, चोरी आदि में संलिप्त होकर समाज की मुख्यधारा से कटने लगता है, अथवा सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलता है।

बालश्रम उन्मूलन हेतु य़द्यपि राजस्थान सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं, बालश्रम रोकने के लिये ना केवल सख्त कार्यवाही की जा रही है वरन् विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रम भी इस हेतु चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई का गठन किया गया है ताकि बालश्रम समाप्त हो सके। बालश्रम उन्मूलन में सरकारी संस्थाओं के साथ गैर सरकारी संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इन संगठनों के द्वारा कई प्रयास किये जाते हैं जैसे, बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर

उनका पुर्नवास करना, समाज में जन–जागरूकता फैलाना, सरकारी नीति निर्धारण में सहायता करना एवं सरकार पर दबाव बनाना आदि। कुछ प्रमुख गैर सरकारी संगठन जो बालश्रम उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जेसे यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड् राइट्स एण्ड यू, एवं भारत में कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बाल कल्याण एंव बालश्रम समाप्त करने के प्रयास सराहनीय हैं। यद्यपि गैर सरकारी संगठनों के समक्ष कई समस्याऐं एवं चुनौतियां भी हैं फिर भी हम कह सकते हैं कि इन गैर सरकारी संगठनों का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब सरकार, समाज के प्रबुद्ध नागरिक एवं संगठन सहयोग प्रदान करें। तभी बालक बालश्रम के दलदल से निकलकर सम्मानजनक एवं गरिमामयी जिंदगी की उडान भरकर अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।

6

निष्कर्ष एवं सुझाव

व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने एवं समाज में गरिमामय और सम्मानपूर्वक जीवन जीने हेतु अधिकारो की आवश्यकता होती है। मानव को यह अधिकार सभ्य समाज में ही प्राप्त होते हैं, किन्तु कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जो मानव को जन्म से ही मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। अतः वर्तमान समय में मानवाधिकार सभ्य समाज की कसौटी का परिचायक होने के कारण सार्वभौमिक अवधारणा बन चुका है। इसी प्रकार बालकों के मानवाधिकारों को भी सुनिश्चित किया जा चुका है। समाज में बालकों की विशेष स्थिति के कारण राज्य बालकों की पूर्ण सुरक्षा, संरक्षण, भेदभाव, उपेक्षा एवं शोषण से संरक्षित करने के दायित्व का निर्वाह जिम्मेदारी से कर रहे हैं एवं बालकों की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सहायता एवं संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। बालकों को विभिन्न कारणों जैसे गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, विकृत सामाजिक संरचना, पिता की बीमारी एवं अपंगता आदि कई ऐसे कारण है जिसके कारण बालक को बालश्रम की ओर अग्रसर होना पड़ता है। चूंकि बालकों की सुरक्षा, संरक्षण एवं बाल कल्याण राज्य का सार्वभौमिक विषय है इसलिए बालश्रम के उन्मूलन से संबंधित विभिन्न प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर किये जा रहे हैं एवं मानव होने के नाते बालकों को भी कुछ अधिकार प्राथमिक रूप से प्राप्त हैं, जैसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता,

नस्ल आदि के आधार पर बालकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा एवं इसके साथ ही उनके अस्तित्व, विकास एवं जीवन रक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु बालकों को उनकी न्यूनतम आयु (6–14 वर्ष) से पूर्व उन्हें खतरनाक उद्योगों में कार्य करने हेतु विवश नहीं किया जा सकता है। बालक को जन्म के समय नाम एवं पहचान प्राप्त करने, नागरिकता प्राप्त करने, माता–पिता द्वारा उचित देखभाल करने एवं पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में पूर्ण रूप से भागीदारी प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है।

यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम उन्मूलन हेतु विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं इसके उपरांत भी कई बालक बालश्रम करने को विवश हो जाते हैं जिनका उनके शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं वह विभिन्न बिमारियों जैसे टी.बी. दमा, अस्थमा, सिलोकोसिस, जोड़ों में जकड़न आदि से ग्रसित हो जाते हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बालश्रम उन्मूलन के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे हैं जिसके कारण बालश्रम की दर में कमी दृष्टिगोचर हुई है। इसके उपरांत भी यह समस्या विश्व के प्रत्येक राष्ट्र के लिये चुनौती बनी हुई है। कोविड–19 महामारी के कारण जब व्यस्क व्यक्तियों को प्रयास करने के पश्चात भी रोजगार प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होने अपने बालकों को कार्य हेतु कम मजदूरी पर श्रम करने हेतु मजबूर किया अथवा उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में गिरवी रख दिया।

प्रस्तुत अध्याय में शोध कार्य से प्राप्त आनुभाविक यथार्थ निष्कर्षों का अध्यायवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के मानवाधिकारों, रोजगार की विद्यमान स्थिति, एवं कार्यदशाओं, बालश्रम से जीवन स्तर एवं पारिवारिक आए में सुधार आदि का विश्लेषण करके वर्तमान समय में कानूनों के क्रियान्वयन की प्रभाविकता के साथ उनके सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं में अंतर का विश्लेषण करने का भी गंभीर प्रयास किया गया है।

बालश्रम समस्या समाधान के सुझाव

बालश्रम के कारणों और उसके प्रभावों का अध्ययन करने पर यह आवश्यक हो जाता है कि हमें बालश्रम की चुनौती को स्वीकार कर उसके समाधान के उपाय भी खोजने चाहिए। ताकि बालक अपनी सुकुमार अवस्था का सदुपयोग कर सकेगा और एक सम्मानपूर्ण एवं गौरवपूर्ण जिंदगी के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेगा। इसके लिए हमें निम्न समाधान अपनाने चाहिए–

- **बालश्रम की परिभाषा में संशोधन** :– बालक शब्द की जो परिभाषा दी गई है, उसमें 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों को बच्चे की परिभाषा में सम्मिलित किया जाना चाहिए ना कि 0 से 14 वर्ष के बालकों को।
- **"निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009"** में भी सुधार किया जाना चाहिए और इसकी उम्र 0–14 की अपेक्षा 0–18 वर्ष तक की जानी

चाहिए ताकि सभी बालक पढ़ सकें एवं साक्षर हो सकें। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए एवं ऐसे बालक जो शैक्षणिक दृष्टि से वंचित है उनके उन्नयन हेतु विशेष योजना बनाकर उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 'माइनर विनर' के अनुसार यदि विद्यालय नहीं जाने वाले बालकों के अभिभावकों को दंड देने का प्रावधान हो तो बाल मजदूरी की समस्या हल हो सकती है।

- **वयस्क रोजगार को सुनिश्चित करना** :– बालश्रम समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि वयस्क रोजगार को सुनिश्चित नहीं किया जाये। विभिन्न योजनाओं एवं प्रावधानों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वयस्क व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके। जैसे भारत की बात करें तो कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है, जैसे नरेगा और महानरेगा जैसी योजनाएं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही शहरी रोजगार गारंटी योजना की भी शुरूआत की गई है। इस प्रकार ऐसी अन्य और योजनाओं के माध्यम से बाल श्रम को समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। साथ ही बाल श्रमिक की आय भी वयस्क व्यक्ति के बराबर कर दी जानी चाहिए जिससे बाल श्रम का क्रमिक उन्मूलन संभव हो सके।
- **बाल श्रमिकों सहित सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा :–** राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की सरकारों को चाहिए कि वे गरीब माता–पिता की आजीविका का उचित प्रबंध करें एवं बालश्रम सहित सभी के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें अपने कम उम्र के बालकों को बाल श्रमिक के रूप में प्रस्तुत नहीं करना पड़े।
- **बालकों द्वारा अपनी बात रखने के लिए बालश्रम मंच की आवश्यकता :–** बालकों को भी उनकी समस्या के समाधान हेतु एक मंच की आवश्यकता को व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिये जहाँ बालक अपनी बात रख सकें व अपनी समस्याओं से समाज एवं सरकार को अवगत करा सकें एवं इसलिए बालकों का भी एक संगठन बनाया जाना चाहिए।
- बालश्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत संगठित क्षेत्रों के साथ असंगठित क्षेत्रों जैसे होटल, ढाबों, दुकान, चाय की थड़ी आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **बालश्रम से संबंधित कानूनों एवं प्रावधानों का कठोरता से पालन करवाना** :– सरकार द्वारा जो भी कानून एवं प्रावधान बाल श्रमिकों के लिए बनाए जाते हैं उनका कठोरता से पालन करवाया जाए और उनका उल्लंघन होने पर सजा का तत्काल प्रावधान होना चाहिए एवं बालश्रम अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- **बालकों के पुनर्वास पर ध्यान केन्द्रित करना :–** राज्य एवं केन्द्र सरकारों को चाहिए कि वे बाल श्रमिकों को जब श्रम करते हुए विभिन्न होटल, ढाबों, उद्योगों और अन्य व्यवसाय में कार्यरत होने के पश्चात् मुक्त कराती है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। साथ ही उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएँ इन बालकों को शोषण से मुक्त कराती है लेकिन वही बालक कुछ रूपयों के लालच में उनके माता–पिता के द्वारा पुनः बालश्रम में धकेल दिए जाते हैं। इस हेतु राज्य सरकारों को विशेष प्रावधानों की समीक्षा करनी चाहिए।
- **बाल श्रमिकों द्वारा उत्पादित माल का बहिष्कार किया जाना :–** बालश्रम का उन्मूलन तभी संभव है जब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रमिकों द्वारा तैयार किए गए उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बहिष्कार किया जाए, जैसा कि भारत में विभिन्न उत्पादनों एवं विशेष रूप से कालीन उद्योगों में, जिसमें बालश्रम लगा होता है, उसे लोगों द्वारा खरीदने का बहिष्कार किया जाए इससे बालश्रम के उन्मूलन में सहायता प्राप्त हो सकेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं यूनीसेफ की महत्वपूर्ण भूमिका :–** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनीसेफ बालश्रम के संबंध में संशोधित सम्मेलनों एवं सिफारिशों को तैयार करके एक सार्थक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं और बालश्रम उन्मूलन के संदर्भ में विशेष प्रयास के द्वारा इस समस्या का समाधान करने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं।
- **प्रशासनिक स्तर पर समस्या का समाधान :–** बालश्रम की समस्या का समाधान प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार किया जाना आवश्यक है कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं बनाई जाएं, उनका पूरा लाभ बालकों को प्राप्त हो और वह विशिष्ट योजनाओं से लाभान्वित हो सकें ताकि उनका आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और इस प्रकार वे बाल श्रमिक बनने की अपेक्षा भविष्य में सभ्य नागरिक बन सकेंगे।
- **सामाजिक स्तर पर बाल श्रम समस्या का समाधान –** जब तक एक जागरूक समाज बालश्रम की समस्या के समाधान हेतु संवेदनशील एवं जागरूक नहीं होगा तब तक बालश्रम के उन्मूलन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। नागरिकों की सामाजिक रूप से दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से ही बालश्रम की समस्या का समाधान संभव हो पाएगा। इसलिए सर्वेक्षण के साथ जनजागरण अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें बाल श्रमिकों से संबंधित कानूनों एवं प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर दिए जाने वाले दंड के रूप में नागरिकों को सचेत किया जा सके। इस प्रकार समाज के प्रबुद्ध बुद्विजीवियों, नागरिकों को बाल श्रम उन्मूलन हेतु मैदान में उतर जाना चाहिए। यही कारण है कि हर साल 12 जून को बालश्रम निषेध

दिवस मनाया जाता है। एक चुनौती के रूप में सामाजिक स्तर पर बाल श्रम को लिया जाना चाहिए। एक नारा काफी प्रसिद्ध है 'बच्चों को खेती नहीं सपनों पर काम करना चाहिए'।

- **आर्थिक स्तर पर बाल श्रम समस्या का समाधान :–** बाल श्रम के उद्‌भव का मुख्य कारण गरीबी एवं बेरोजगारी है जो कि बाल श्रम को एक दुष्चक्र के रूप में परिवर्तित कर देती है। आर्थिक स्तर पर ऐसे प्रयास अवश्य किये जाने चाहिये ताकि कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके एवं ऐसे परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हों ताकि, वे अपना और अपने परिवार का भरणपोषण कर सकें जिससे बालक को कार्य करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े। इसके लिए देश के विभिन्न हिस्सों में संगठित व्यवसायों के साथ असंगठित क्षेत्रों में एवं बालश्रम, प्रधान उद्योगों के साथ उन फसलों की पहचान करना भी आवश्यक है। ताकि उनका गहनता से अध्ययन किया जा सके और समाधान प्राप्त करने का प्रयास संभव हो सके।
- **राजनीतिक स्तर पर बाल श्रम समस्या का समाधान :–** बालश्रम समस्या के उन्मूलन के लिए राजनीतिक स्तर पर व्यापक रूप से प्रयास किए जाने चाहिए और एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर इसे समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चूँकि बालक देश का भविष्य होते हैं और उनके कंधे पर ही देश का विकास निर्भर करता है, अतः राजनीतिक इच्छाशक्ति के द्वारा बाल श्रम उन्मूलन का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को आपसी मतभेद मिटाकर बाल श्रम की समस्या के समाधान के प्रयास किए जाने चाहिए। साथ ही बालकों के लिए बाल कोष की स्थापना भी की जानी चाहिए चूंकि बालक राजनीतिक दलों के वोट बैंक का हिस्सा नहीं होते हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों द्वारा इस समस्या की उपेक्षा कर दी जाती है। किन्तु विभिन्न माध्यमों से इस समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए तभी बाल श्रम समस्या का समाधान संभव हो सकेगा।
- **उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति अथवा बाल बोर्ड का गठन :–** सरकार द्वारा एक बाल बोर्ड अथवा उच्चस्तरीय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाना चाहिए ताकि वह समिति समय–समय पर स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बालश्रम का आंकलन कर सके व इससे सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट तैयार कर बालश्रम उन्मूलन के प्रयासों, सिफारिशों एवं सुझावों से सम्बन्धित रिपोर्ट सरकार को सौंप दें ताकि सरकार द्वारा इस समस्या का प्रभावी समाधान संभव हो सके।
- बालश्रम से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए ताकि बालश्रम के मामलों को अतिशीघ्र निपटाया जा सके।

- बालकों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि बालक रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त कर बालक कम खतरनाक वैकल्पिक रोजगार में कार्य कर अपना व परिवार का भरण पोषण कर सकें।
- **स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावी भूमिका** :– बाल श्रम के उन्मूलन हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया जा सकता है, जैसे बाल श्रमिक सर्वेक्षण के समय स्वयंसेवी संस्थाएं अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। ये संस्थाएं जन जागरण अभियान के द्वारा नागरिकों में बाल श्रम उन्मूलन के प्रति जागरूकता उत्पन्न कर सकती हैं। इसके लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे नुक्कड़ नाटक, नृत्य, गीत, कविता, कहानी पत्र, पत्रिकाओं में लेख दीवार लेखन आदि। इस प्रकार श्रम विरोधी कानूनों की जानकारी नियोक्ताओं, माता–पिता और बुद्धिजीवियों आदि के समक्ष रखकर और उन्हें समझाने का प्रयास किया जा सकता है।

बाल श्रम समस्या का समाधान करने हेतु निम्न सिफारिशें भी अपनाई जा सकती हैं जो इस प्रकार हैं :–

- **बाल श्रमिक को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना** :– बाल श्रमिकों को खतरनाक व्यवसाय से छुड़ाने के पश्चात् जब उनका पुनर्वास किया जाये और वह बाल श्रमिक पढ़–लिखकर कुछ बन जाये तो उस बाल श्रमिक को अन्य बाल श्रमिकों के समक्ष रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ताकि अन्य बालक भी इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सुधार सके।
- **विद्यालय जाने का समय एवं कैलेंडर बाल श्रमिकों के अनुरूप बनना चाहिये** :– यदि विद्यालय जाने का समय एवं कैलेंडर बाल श्रमिक के कार्य करने के अनुसार बने तो बाल श्रम की समस्या का समाधान संभव हो सकता है। जैसे जिन दिनों बाल श्रमिक को खेतों पर फसल कटाई एवं बुवाई का कार्य करना पड़ता हो अथवा अन्य व्यवसायों में भी जहाँ समयानुसार कार्य होता हो उन दिनों विद्यालय का समय बाल श्रमिक के कार्य की प्रकृति के अनुसार बनाया जाना चाहिये।
- **बाल श्रमिकों के अभिभावकों को कानूनी नोटिस जारी करना** :– यदि ऐसे बाल श्रमिक जो विद्यालय नहीं जा रहे हैं और इसकी अपेक्षा वे यदि किसी कार्य में संलग्न पाए जायें, कोई कार्य कर रहे हैं तो उनके माता–पिता को यदि कानूनी नोटिस दिया जाये अथवा उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही एवं दण्ड का प्रावधान किया जाये अथवा इससे उन्हें डराया जाये तो बाल श्रमिकों के माता–पिता अपने बालक को कार्य पर भेजने की अपेक्षा विद्यालय भेजने पर मजबूर हो सकेंगे।

- **झुग्गी झोंपड़ियों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक केन्द्र संचालित करना** :– यदि बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु उनके आवासीय स्थानों पर जहाँ बाल श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक होती है में केन्द्र संचालित किये जायें तो ऐसे बाल श्रमिक जो दूसरी जगह आने–जाने में असुविधा एवं आलस का अनुभव करते हैं तो इन रोजगारोन्मुख शिक्षा केन्द्रों पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

- **पारम्परिक शिक्षा पद्धति की अपेक्षा बाल केन्द्रित शिक्षा पद्धति को अपनाना** :– बाल श्रमिकों हेतु पारम्परिक शिक्षा पद्धति की अपेक्षा बाल केन्द्रित दृष्टिकोण पर आधारित पद्धति को अपनाया जाना चाहिये ताकि बाल श्रमिकों के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान की जा सके।

- **विभिन्न सरकारी विभागों में तालमेल** :– कई बार ऐसा होता है कि बाल श्रमिक को बाल श्रम से मुक्त करवाकर उसका पुनर्वास करने के पश्चात उसे विद्यालय में भरती तो करा दिया जाता है, किन्तु वही बालक कुछ समय पश्चात् पुनः बाल श्रम में धकेल दिया जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी विभागों में आपसी सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिये जैसा कि किशोर न्याय के अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी अपनी सामूहिक कार्यवाही के द्वारा बाल श्रमिकों को मुक्त कराते हैं।

- **बाल श्रमिकों को छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करना** :– बाल श्रमिकों को शिक्षा प्राप्त करने पर उसे प्रोत्साहन राशि अथवा निश्चित समय के अंतराल पर यदि छात्रवृत्ति प्रदान की जाये तो वह बालक शिक्षा प्राप्त करने की ओर आकर्षित होगा और साथ ही उसके माता–पिता भी छात्रवृत्ति मिलने के कारण उसे विद्यालय भेजने के लिये प्रेरित होंगे।

- **बाल श्रमिकों हेतु गतिशील या नुक्कड़ विद्यालय** :– जहाँ बाल श्रमिक कार्य करते हैं अथवा जहाँ वे रहते हैं वहां गतिशील विद्यालय द्वारा उनके शैक्षणिक कार्य को सम्पन्न किया जा सकता है। यह गतिशील विद्यालय सप्ताह के निश्चित दिन दो या तीन जगह दो–दो दिन के लिये जा सकता है और बालकों को शिक्षा प्रदान कर सकता है।

- **विशेष विद्यालय** :– भारत में बाल श्रमिकों हेतु विशेष विद्यालय प्रदान किये जाने चाहिये, उन्हें कुछ औपचारिक दस्तावेजों में छूट प्रदान की जानी चाहिये। इसके लिये निम्न उपायों पर बल दिया जाना चाहिये :–
  - पाठ्यक्रम रूचिकर, बाल केन्द्रित एवं खेल से जोड़ा जाना चाहिये।
  - विद्यालय में प्रवेश हेतु विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक बाल श्रमिकों को प्रवेश प्राप्त करने पर बल दिया जाना चाहिये।

- इन विशेष विद्यालयों में जो बाल श्रमिकों हेतु चलाये जाते हैं उनका विद्यालय समय बाल श्रमिकों के अनुसार ही होना चाहिये।
- विशेष विद्यालय ऐसी जगह स्थापित किये जाने चाहिये जहां बालक आसानी से जा सकें, जैसे खेत के पास कृषि विद्यालय, चरवाहा विद्यालय आदि।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम, रूचिकर सरल, एवं मातृभाषा में होना चाहिये।
- शिक्षकों को विशेष विद्यालय में पढ़ाने हेतु इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाये कि वे बाल केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाकर खेल के माध्यम से बालकों को जानकारी प्रदान कर सकें।
- विशेष विद्यालय में पाठ्यक्रम सम्बन्धित सहायक सामग्री जैसे चौक, स्लेट पेंसिल, किताबें, बोर्ड, खिलौने आदि की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।
- विशेष विद्यालय में श्रम रोजगार सम्बन्धी उपयोगी कौशल शिक्षा की व्यवस्था भी होनी चाहिये।
- बालक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित हो सके, इसके लिये उन्हें निःशुल्क पाठ्य सामग्री, मिड डे मिल, पोशाक एवं छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये और समय–समय पर इनके स्वास्थ्य आदि की जाँच हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को इनसे सम्बद्ध किया जाना चाहिये।
- बालक को बाल श्रम से छुड़ाकर गरीब परिवार के किसी भी एक अध्ययनरत प्रतिभाशाली बालक को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी चाहिये।

इसी प्रकार जैसा कि यूनीसेफ में भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर यासमीन अली खान हक ने कहा है कि कोविड–19 के बाद भारत में 15 लाख स्कूलों के बंद होने से कई मिलीयन बालकों पर प्रभाव पड़ा है और उनके बाल श्रम और असुरक्षित प्रवासन में जाने का खतरा और बड़ गया है। कोविड–19 के कारण बेसहारा बालकों से उपेक्षा, दुर्व्यवहार एवं शोषण की आशंका और तीव्र हो गई है। इस प्रकार बाल श्रम के जो विभिन्न कारण हैं, जिसके कारण बाल श्रम की ओर बालक को प्रेरित होना पड़ता है। किसी भी देश या परिवार में बाल श्रम के कोई अलग कारण नहीं होते हैं। सभी के समान कारण होते हैं।

बाल श्रमिक श्रम करने के कारण न केवल अपने समाज से अलग हो जाते हैं, वरन् वे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के कार्य से भी वंचित हो जाते हैं, जिसका सीधा प्रभाव बाल श्रमिक के जीवन पर पड़ता है। कृषि जैसे कार्य में बाल श्रमिक अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार्यरत होते हैं इसलिए वे कम उम्र में ही परिवार के साथ काम करने लग जाते हैं। उनकी बाल श्रमिक में गिनती नहीं होती है। इसी प्रकार बालक घरेलू कार्य में भी अपने परिवार जन का सहयोग करते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनने एवं बाल श्रमिकों के लिए

बनाए गए कानूनों और प्रावधानों का कठोरता से पालन करवाने को सुनिश्चित किया जाए, तभी बाल श्रम का उन्मूलन संभव हो पाएगा।

भावी शोध हेतु सुझाव

- प्रस्तुत शोध कार्य केवल अजमेर शहर तक ही सीमित है, इसे पूरे अजमेर जिले में भी देखा जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य 6–14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों तक ही सीमित है, इसे 6–18 वर्ष तक की आयु के बालकों, जो कि खतरनाक कार्यों में संलग्न रहते हैं उनके संदर्भ में भी देखा जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य संपूर्ण राजस्थान एवं अजमेर जिले से व्यापक निदर्श लेकर भी किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य बाल श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक एवं मानवाधिकार स्थिति को लेकर किया गया है और इसमें बाल शोषण के शारीरिक एवं मानसिक प्रभावों का ही अध्ययन किया गया है इसे बाल शोषण के अन्य व्यापक चरों जैसे बालश्रम एवं बाल विवाह अथवा बालश्रम एवं यौन शोषण आदि अन्य रूपों को लेकर भी शोध कार्य किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध कार्य में बाल श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के अतिरिक्त अन्य पक्षों को लेकर भी शोध कार्य किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, प्रशान्त (2002) : काम के बोझ तले दबा बचपन : कारण एवं निवारण, योजना प्रकाशन, 46
2. अवाचट, अनिल (1988) : द वार्फ एण्ड द वेफ्ट, इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खण्ड गगपपप संख्या 34
3. अमीन, एस. तथा एल, जुबेर ए. (2003) : चिल्ड्रन राइटस एण्ड जेन्डर इन साउथ एशिया कान्टैक्स्ट एण्ड चेलेन्जेस, ढाका बी.आर.ए.सी. यूनिवर्सिटी
4. आई.एल.ओ. (2006) : द एण्ड आफ चाइल्ड लेबर विदइन रिच, ग्लोबल रिपोर्ट, अण्डर द फोलोअप टू द आई.एल.ओ.।
5. अय्यर, कृष्णा वी.आर. (1979) ला एण्ड लाइफ, पृ.सं. 9
6. अग्रवाल, शिवशंकर (2011) : सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एण्ड सांख्यिकी, रितु प्रकाशन, जयपुर, पृ.सं. 27
7. आदि, एच. (1994) : 19वीं शताब्दी में भारत में मिशनरी शिक्षा व समाज सुधारक।
8. आमोद, कण्ठ एवं वर्मा, आर.एम. (1993) : नेग्लेक्टेड चाइल्ड, प्रयास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
9. एबार्ट, एडिथ (1910) : वूमन इन इन्डस्ट्रीज, ए स्टडी इन अमेरिकन इकोनोमिक्स हिस्ट्री, न्यूयार्क।

10. एटकिन, एस. (1993) : वाइस फ्राम द फील्ड, चिल्ड्रन आफ माइग्रेंट, फार्म वर्क्स टेल देयर स्टोरिज, बोस्टन, लिटल ब्राउन कम्पनी।

11. एरिन, फिलिप (1962) : कन्ट्रीज आफ चाइल्डहुड ए सोशल हिस्ट्री आफ फेमिली लाइफ न्यूयार्क।

12. एंजेल्स, (1884) : ओरिजन आफ फेमिली प्राइवेट प्रोपर्टी एण्ड स्टेट इन मार्क्स एन्जेल्स सलेक्टेड वर्क्स, फ्रेंकर्फट जर्मनी प्रकाशन।

13. ए रिपोर्ट आफ हयूमन राइट्स वाच, 2007

14. एनसाइक्लोपीडिया आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, वोल्यूम प्ए 1987

15. कपाड़िया, यामिनी आर. तथा नायडू, उषा (1985) : चाइल्ड लेबर एण्ड हेल्थ : प्रोब्लम्स एण्ड प्रास्टेक्ट्स, टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज।

16. कुमार, एस. (1995) : जेंडर इसूज एण्ड क्वालिटी आफ वर्क लाईफ (लेख) लेबर एण्ड डवलेपमेन्ट खण्ड ५, संख्या ५

17. कुलश्रेष्ठ, डी.के., एवं शर्मा, एस.के., (1980) : चाइल्ड लेबर इन मुरादाबाद, मेंटलवेयर इन्डस्ट्री, द इकोनोमिक टाइम्स।

18. कुमार, एस., (1993) : चाइल्ड लेबर एण्ड एजूकेशन सिंह एण्ड मोहंती, चिल्ड्रन एट वर्क, सी.आर. पब्लिशिंग कोरपोरेशन।

19. किश्वर, मधु एवं रूथवनता (1984) : इन सर्च आफ आन्सर्स जेड बुक्स लिमिटेड, लन्दन।

20. कुमार, वी. (2000) : प्राबलम्स आफ वर्किंग चिल्ड्रन, ए.पी.एच. पब्लिशिंग कोरपोरेशन, न्यू दिल्ली।

21. कुमार, डी. (2015) : मानवाधिकार और बालश्रम एक तुलनात्मक अध्ययन, चैन्नई सत्य प्रकाशन।

22. कौशिक, एस., (2004) : बालश्रम समस्या और समाधान, नई दिल्ली प्रभात प्रकाशन, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउन्डेशन की रिपोर्ट, 2021

23. केन्ट, जार्ज (1995) : चिल्ड्रन इन इन्टरनेशनल पोलिटिकल इकोनोमी, न्यूयार्क, सेन्ट मार्टिन्स प्रेस न्यूयार्क।

24. खान, एस. (1993) : माइग्रेट चाइल्ड लेबर इन कारपोरेट इण्डस्ट्रीज आफ मिर्जापुर, भदोही, नेग्लेक्टेड चाइल्ड, प्रयास पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

25. खांडेकर, मंदाकिनी (1970) : ए रिपोर्ट आन द सिचुएशन आफ चिल्ड्रन एण्ड यूथ इन ग्रेटर बाम्बे, टाटा इन्डस्ट्रीज आफ सोशल साइंसेज।

26. खातू, के.के., (1983) : वर्किंग चिल्ड्रन इन इण्डिया, 1983, आपरेशन रिसर्च ग्रुप, बड़ौदा।

27. गाल्सी, डागल्स (1997) : चाइल्ड लेबर एण्ड द डिविजन आफ लेबर इन एर्ली इंग्लिश काटन मिल्स, जनरल आफ पोपूलेशन इकोनोमिक्स, पृ.सं. 14–32

28. गेटले, डेविड (1996) : चाइल्ड वर्क्स इन विक्टोरियन वेरिन्गटान, द रिपोर्ट आफ चिल्ड्रन कमीशन इन टू चाइल्ड लेबर, स्टेफार्ड : स्टेफार्डशायर यूनिवर्सिटी प्रेस।

29. गुड्स, सी.वी. तथा स्केट्स, डी.ई. (1954) : मेथडस एण्ड रिसर्च न्यूयार्क एटलटन कन्ट्री क्राउडस (90)

30. गोस्वामी, एम., (2018) : बालश्रम : शिक्षा पर प्रभाव, कोलकत्ता कल्याणी पब्लिकेशन।

31. गुप्ता, समीर दास (1979) चाइल्ड लेबर, ए नेशनल प्राब्लम्स योजना वोल्यूम नं. 20, पृ.सं. 25

32. गिरी, वी.वी., (1958) : चिल्ड्रन : नीडस एण्ड राइटस न्यूयार्क, इरविग्टन पब्लिशर्स।

33. घोष, ए. (1992) स्ट्रीट चिल्ड्रन आफ कलकत्ता, ए सिचुऐशनल एनालिसिज, नेशनल लेबर इन्डस्टीट्यूट, नोयडा।

34. चतुर्वेदी, तथा संजय एवं लोढा, भारत में मानवाधिकार।

35. जोशी, आर.पी. (2005) : मानवाधिकार एवं कर्तव्य, जयपुर प्रकाशन।

36. जुआल, वी.एन., (1985) : चाइल्ड लेबर द टवाइस एक्सप्लायटेड, गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी।

37. जाली, रिचर्ड, डिप्टी एक्जिक्यूटीव डायरेक्टर यूनिसेफ दा वर्ल्ड समिट एण्ड कन्वेंशन आन दा राइटस आफ दा चिल्ड्रन : लेण्डमार्क फार चिल्ड्रन।

38. जयन्ती, पी.पी., (1998) : चाइल्ड लेबर ए सोशियो लीगल स्टडी कश्मीर यूनिवर्सिटी ला जनरल्स।

39. टॉड, कर्नल (1990) : एनल्स एण्ड एन्टीक्विटिज आफ राजस्थान, भाग द्वितीय, जोधपुर।

40. मिरर, डब्ल्यू (1977) : हयूमन राइटस एण्ड बिबिलियोग्राफी ए.बी.सी. फ्लियो प्रेस प्रकाशन, सांता बारबारा केलिफोर्निया।

41. डी. सूजा तथा टी एण्टोनिया, आर.एस., (2016) : डिस्कवरी आफ मिशनरीज एक्ट एक्सप्लोरेशन एण्ड एक्सपेंशन आफ कल्चर्स, विज्ञान एवं तकनीकी विकास मंत्रालय, भारत।

42. यादव, डी.एस., (2012) : भारत में मानवाधिकार, आत्मा प्रकाशन, जयपुर।

43. दत्ता, सोमदत्त, किशोर (2001) : चाइल्ड लेबर इन इण्डिया : ट्रेकिंग दा रूट आफ दा प्राब्लम, इण्डियन एसोसियेशन आफ सोशल साइंस इन्स्टीट्यूट।

44. नेथन, डेविड एण्ड नाथलेकेब्रिन, लोकतन्त्र, 80 प्रश्न और उत्तर।

45. नेरडिनेली, क्लार्क (1990) चाइल्ड लेबर एण्ड दा इन्डस्ट्रीयल रिवोल्यूशन (रिसर्च इन इकोनोमिक हिस्ट्री)।

46. नीरा, बुर्रा (1997) : बोर्न टू वर्क : चाइल्ड लेबर इन इण्डिया।

47. पामर, वी.एन. (1928) : फिल्ड स्टडीज इन सोशियोलोजी, शिकागो यूनिवर्सिटी।

48. पुरूषोत्तम, पी., (1983) : प्रोफाइल आफ बीड़ी वकर्स, सोशल चेंज।

49. पाण्डेय, मंजू (1988) : भारत में बाल श्रमिक : कालीन उद्योगों का अध्ययन, मानक पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

50. बेकले, ए., तथा बायडेन, जे., (1988) : कम्सेटिंग चाइल्ड लेबर, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा।

51. बीड़ी एवं सिगार कामगार, कण्डीशन आफ एम्पलायमेन्ट अधिनियम 1966 बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनिमयन) अधिनियम 1986

52. बसु, दुर्गादास (2003) : कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया, नागपुर प्रकाशन, बधावा कम्पनी।

53. बनर्जी, एस., (1979) : चाइल्ड लेबर इन इण्डिया, दा एन्टी स्लेवरी सोसायटी, लंदन।

54. ब्रेमनर, एच., (1974) : चिल्ड्रन एण्ड यूथ : सोशल प्रोस्पेक्टस एण्ड सोशल पोलिसी।

55. फड़िया, बी.एल., (2006) : प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, जयपुर प्रकाशन।

56. बोहरा, अनिल (2005) : बालश्रम एवं अधिकार, गौरव बुक सेन्टर प्रकाशन, नई दिल्ली।

57. भट्टी, किरण (1996) : चाइल्ड लेबर ब्रेकिंग दा विजियर्स सर्किल, इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, फरवरी 7

58. मेहता, पी.एल, एण्ड जैसवाल, एस.एस., (1966) : चाइल्ड लेबर एण्ड दा ला, मिथ एण्ड रियलिटी आफ वेलफेयर मेजर्स, दीप एण्ड ला पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।

59. मिश्रा, हरिन्द्र किशोर (2000) : मल्टी डायमेन्शनल एप्रोच्ड, चाइल्ड लेबर इन इण्डिया।

60. मिश्रा, आर.एन. (2003) : चाइल्ड लेबर इन हेजाडर्स सेक्टर, डिस्कवरी पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।

61. राफेल (1967) : ह्यूमन राइट्स ओल्ड एण्ड न्यू पॉलिटिकल, थ्योरी एण्ड राइट्ज आफ पेन।

62. लुकवान, वासेन होव ज्वाची, निकोलस चार्ल्स डेलागा (2007) : दबाव में चपलता।

63. लुस्टेश, भूपेन्द्र, दत्ता मन्दिरा, नानगिया सुदेश (2002) : इन दा नेम आफ चाइल्ड लेबर इरिडिकेशन एण्ड इवेल्यूशन प्रोग्राम, शिप्रा पब्लिकेशन, सकरपुर।

64. वरन्दानी, गुरूशरण (1994) : चाइल्ड लेबर वूमन वर्क्स, आशीष पब्लिकेशन्स हाउस, न्यू देहली।

65. वेजल्स, एलेन (1979) : दी रूट्स एण्ड द आरियन्ट आफ ह्यूमन राइट्स।
66. वेड, एण्ड फिलिप्स (1931) : कान्स्टीट्यूशनल ला लोंगमेन्स प्रकाशन, लंदन।
67. शुक्ला, वी.एन. (2001) : कान्स्टीटयूशनल आफ इण्डिया, आर्टिकल 24, इस्टर्न बुक कम्पनी, नवां एडीशन।
68. सिंह, नगेन्द्र (1985) : ह्यूमन राइट्स इन चेंजिंग वर्ल्ड, क्लेरेडेन प्रेस, आक्सफोर्ड।
69. सैनी, श्रवण कुमार (2013) : मानवाधिकार विधियाँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
70. यंग, पी.वी. (1960) : साइंटिफिक सोशल सर्वे एण्ड रिसर्च, बॉम्बे एशिया पब्लिशिंग हाउस।
71. त्रिवेदी, एस.एन. (1991) : एक्सप्लाइटेशन आफ चाइल्ड लेबर इन ट्राइबल इण्डिया, दया पब्लिकेशन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
72. त्रिवेदी, आर.एन., एवं शुक्ला, बी.पी. (2004) : रिसर्च मेथेडोलोजी, जयपुर कॉलेज बुक डिपो।
73. श्री, निवासन (1979) : डेमोग्राफिक एण्ड सोशियो इकोनोमिक एक्सपेक्टस आफ चाइल्ड इन इण्डिया, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।
74. बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986
75. जुयाल, बी.एन. (1985) : चाईल्ड लेबर द टवाइज एक्सपलाइटेशन, गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज, राजघाट, वाराणसी, पृ.सं. 3
76. गिरी, वी.वी. (1951) : लेबर प्राब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री ऐरिया, पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, पृ.सं. 360
77. कुलश्रेष्ठ, जे.सी. (1978) : चाइल्ड लेबर इन इंडिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, संपादकीय
78. सिंह सुरजीत (1997) : "सम आस्पेक्ट आफ चाइल्ड लेबर इन राजस्थान", वर्किंग पेपर नं. 95, विकासात्मक अध्ययन संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर, पृ.सं. 2–5
79. अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट
80. गिरी, वी.वी. (1951) : लेबर प्राब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री ऐरिया, पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, पृ.सं. 360
81. लिटन, जी.के.करन, के.अनुप एवं सत्पथी, (2005) : "चिल्ड्रन स्कूल एण्ड वर्क" : ग्लीम्पसेज फ्रॉम इण्डिया, मनोहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ.सं. 88
82. जूलियन फर्टकेम्प/रीसेंट सम्पादकीय/फरवरी 2010
83. अर्न्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

84. सिंह सुरजीत (1997) : "सम आस्पेक्ट आफ चाइल्ड लेबर इन राजस्थान", वर्किंग पेपर नं. 95, विकासात्मक अध्ययन संस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर, पृ.सं. 2–5

85. बोहरा, अमित, बालश्रम एवं अधिकार, गौरव बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृ.सं. 25.

समाचार–पत्र

86. राजस्थान पत्रिका, जयपुर।

87. राष्ट्रदूत, जयपुर।

88. टाइम्फ ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।

89. स्टेट्समैन, नई दिल्ली।

90. जनसत्ता, नई दिल्ली।

91. द इंडियन एक्सप्रेस, मुम्बई।

92. सहारा समय, नई दिल्ली।

पत्रिकाऐं

93. फ्रंटलाईन, चेन्नई।

94. आऊटलुक, मुम्बई।

95. इंडिया टुडे, नई दिल्ली।

96. इकोनोमिक एंड पॉलटिकल वीकली, मुम्बई।

97. योजना, नई दिल्ली।

98. कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली।

99. हंस, नई दिल्ली।

100. प्रथम प्रवक्ता, जयपुर।

जनरल्स

101. भारतीय सामाजिक चिंतन कोलकत्ता।

102. मूल प्रश्न, उदयपुर।

103. साऊथ एशियन जनरल्स ऑफ सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज, केरल।

104. द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साईंस, मेरठ।

105. सोशल चेंज, नई दिल्ली।

106. शोधक, जयपुर।

107. सदन इकोनोमिस्ठ, बैंगलोर।